ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

वर्ष : 50 • अंक : 1 अप्रैल 2006 मूल्य : सात रुपये

मुद्दे और चुनौतियां : सी.एस.राव

ग्रामीण बाजार : अभी लंबा है सफ़र

यशस्विनी : कृषक स्वास्थ्य बीमा

सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा

भारत-अमरीका परमाणु समझौता

जम्मू-कश्मीर बजट : बिजली पर जोर

बीमा

संदर्भ–ग्रंथ

भारत 2006

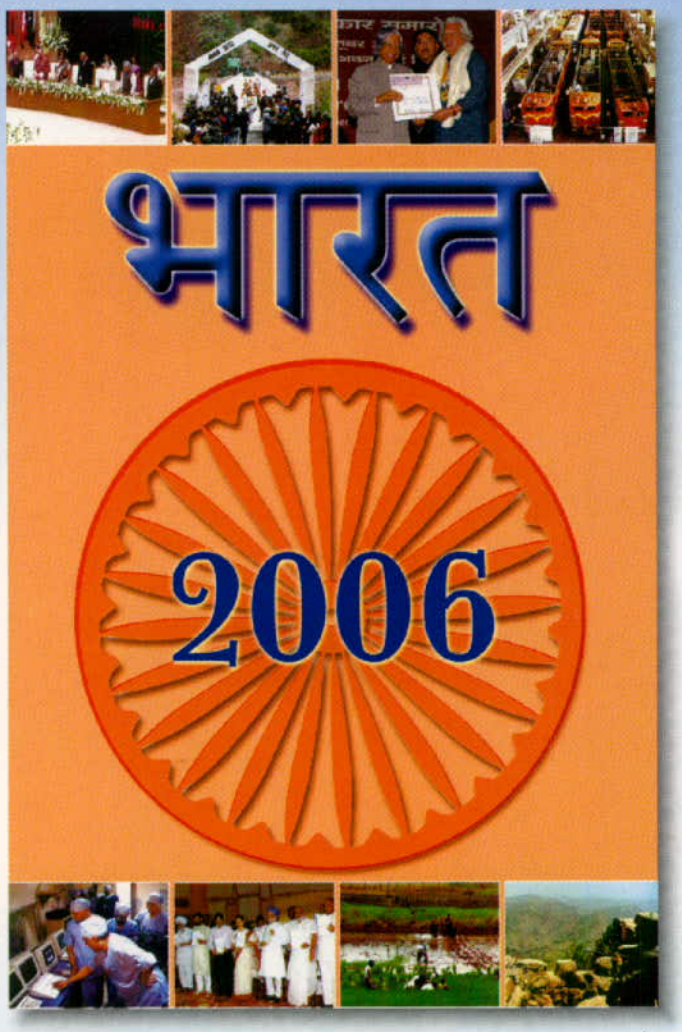

भारत के भौगोलिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षिक एवं तकनीकी विकास आदि के बारे में प्रामाणिक जानकारी के लिए

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वेबसाइट :
http: //www.publicationsdivision.nic.in
e-mail: dpd@sb.nic.in

पृष्ठः 1170 मूल्यः 200 रुपये

आज ही खरीदें

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

*प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 (फोन. 24365610, 24367260) *हॉल न. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054, (फोन. 23890205) *कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालाड पायर, मुंबई–400038 (फोन. 22610081) *8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता–700069 (फोन. 22488030) *राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई–600090 (फोन. 24917673) *प्रेस रोड, निकट गवर्नमेंट प्रेस, तिरूअनंतपुरम–695001 (फोन. 24605383) *ब्लाक न. 4, प्रथम तल, गृहकल्प कॉम्प्लैक्स, एम. जे. रोड, नामपल्ली, हैदराबाद–5401 (फोन. 24605383) *बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, 800004, (फोन. 2301823) हाल न. 1, *दूसरी मंजिल, केंद्रीय भवन, सेक्टर–8, अलीगंज, लखनउ–226024 (फोन. 2325455) *प्रथम तल, एफ विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बैंगलोर–560034, (फोन. 25537244) * अंबिका कॉम्प्लैक्स, प्रथम तल, पलदी, अहमदाबाद–380007 (फोन. 26588669) * के.के.बी. रोड, न्यू कालोनी, हाउस न. 7 चेनी कुथी, गुवाहाटी–781003 (फोन. 2665090)

योजना

वर्ष : 50 • अंक 1 अप्रैल 2006 चैत्र-बैशाख, शक संवत 1928 कुल पृष्ठ : 52

प्रधान संपादक
अनुराग मिश्रा

सहायक संपादक
राकेशरेणु

उप संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666/2508, 2511
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : yojana@techpilgrim.com
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजूमदार

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516

आवरण - मुकुल चक्रवर्ती

इस अंक में

संपादकीय	-	5
भारतीय बीमा क्षेत्र: मुद्दे और चुनौतियां	सी.एस. राव	7
भारतीय बीमा उद्योग: एक समीक्षा	-	13
सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर एक नज़र	एन.देवदासन	20
ग्रामीण बाज़ार: अभी लंबा है सफ़र	नरेन एन. जोशी	25
जीवन बीमा: जीवन की एक अनिवार्यता	हेना नक़वी	29
भारत-अमरीका संयुक्त वक्तव्य	-	31
बंद नहीं किया जाएगा सामरिक परमाणु कार्यक्रम: प्रधानमंत्री	-	32
झरोखा जम्मू-कश्मीर का	-	34
अनुकरणीय पहल: सहकारी कृषक स्वास्थ्य कार्यक्रम-यशस्विनी	देवी शेट्टी	38
विकलांगों के प्रोत्साहन की कार्ययोजना	अनंत कुमार देव व्यास कुंडू	39
विश्व धरोहर बनने की राह पर नदी द्वीप: माजूली	राय अवधेश कुमार श्रीवास्तव	42
मानवाधिकार और भारत	ऋतु सारस्वत	44
ख़बरों में	-	47
मंथन: सहिष्णु बनिए	जियाउर रहमान जाफरी	48
स्वास्थ्य चर्चा: ग़रीबों का सेब अमरूद	श्रीनाथ सहाय	49
नये प्रकाशन: साहित्य की सामाजिकता	कृष्ण कुमार	51

योजना हिन्दी के अतिरिक्त **असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया. पंजाबी, तेलुगु** तथा **उर्दू** भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। **पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिये मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :**

व्यापार प्रबंधक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु. **द्विवार्षिक :** 135 रु.; **त्रैवार्षिक :** 190 रु.; विदेशों में **वार्षिक** दरें : **पड़ोसी देश :** 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश :** 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिये 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।

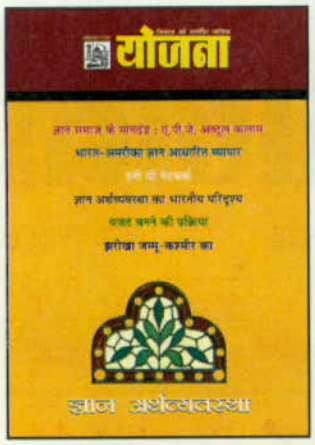

आपकी राय

ज्ञान समाज और भारतीय किसान

के.पी. प्रभाकरन नायर का आलेख 'ज्ञान समाज और भारतीय किसान' पढ़ा। वास्तव में लेखक के विचार गौरतलब हैं। यदि लेखक या *योजना* के संपादक यह भी बता देते कि 'किसानों का परंपरागत ज्ञान' *योजना* पत्रिका तक कैसे पहुंचे तो संभवत: पत्रिका की उपादेयता और इस आलेख के लेखक का उद्देश्य पूरा हो जाता। परंपरागत किसान प्राय: अशिक्षित हैं, यह उनकी मुख्य समस्या है।

इसे 'ज्ञान अंक' कहना सही होगा।

ठाकुर सोहन सिंह भदौरिया
बीकानेर, राजस्थान

विविधता की कमी है

मैं *योजना* का नियमित पाठक हूं तथा लगभग आधा दशक से पत्रिका का अध्ययन तथा संकलन करता आ रहा हूं। निश्चित रूप से यह पत्रिका की उत्कृष्टता तथा इसके हर अंक में छपे लेखों की गुणवत्ता का परिचायक है। पत्रिका की भाषा शैली सरल, सुबोध तथा प्रवाहमय है।

परंतु लगभग एक वर्ष से पत्रिका के प्रत्येक अंक को पढ़ने के बाद उस संतुष्टि का अहसास नहीं होता जो इससे पहले हुआ करता था। पत्रिका के लेख आज भी उत्कृष्ट हैं परंतु इसकी विविधता तथा सारगर्भिता समाप्त होती जा रही है। पहले *योजना* में विभिन्न आर्थिक मुद्दों, जैसे कृषि, उद्योग-व्यापार- वाणिज्य, बैंकिंग तथा विभिन्न आर्थिक नीतियों से संबंधित विद्वानों के उत्कृष्ट लेख समाहित होते थे तथा पत्रिका के नाम की सार्थकता को पुष्ट करते थे। पहले यह छात्र, अध्यापक, शोधार्थी, योजनाकार, सामान्यजन सभी वर्गों के लिये उपयोगी तथा ज्ञानवर्धक थी। परंतु अब *योजना* में किसी एक ही मुद्दे को उठाया जाता है और उसी पर सारे लेख झोंक दिये जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे थाली में रोटी-ही-रोटी या सलाद-ही- सलाद परोसा गया हो। हमारी आप से प्रार्थना है कि पत्रिका पर पाठकों के भरोसे और विश्वास को कायम रखने का प्रयास किया जाए तथा किसी एक मुद्दे के अतिरिक्त अन्य मुद्दों पर भी सामग्री उपलब्ध कराई जाए। हर बार जम्मू-कश्मीर झरोखा प्रस्तुत किया जाता है। कभी-कभी केरल और कन्याकुमारी को भी झरोखे से दिखाना चाहिए। 'जहां चाह वहां राह' स्तंभ कोटा पूरा करता हुआ प्रतीत होता है।

वर्तमान समय में समाचार, शोध यात्रा तथा अन्य नये कॉलम प्रशंसनीय हैं। जनवरी अंक 'सूचना का अधिकार' काफी ज्ञानवर्द्धक लगा तथा फरवरी के अंक में जन केरोसिन परियोजना के बारे में जानकारी तथा 'ज्ञान अर्थव्यवस्था का भारतीय परिदृश्य' नामक लेख बहुत ही ज्ञानवर्द्धक लगा।

अंत में पुन: अनुरोध है कि मेरे सुझावों पर गंभीरता से विचार करें तथा अमल करने की योजना बनाएं।

राजेश प्रसाद
इलाहाबाद

भारत के पास भी 'ज्ञान' है

योजना का फरवरी 2006 अंक पढ़ा। वास्तव में आज ज्ञान ने पूंजी का रूप ले लिया है। जिसके पास ज्ञान है, वह बहुत बड़ा है। माननीय राष्ट्रपति का सुझाव एकदम सही है कि देश में शिक्षा का विकास युद्धस्तर पर होना चाहिए और साथ-साथ अपनी गुणवत्ता में भी सुधार लाना चाहिए। आज विश्व जगत में सूचना क्रांति की लहर है, यह क्रांति 'ज्ञान' के द्वारा ही संभव हो सकी है। ज्ञान फैलाने के लिये हमें देश में 'शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सफल कार्यक्रम बनाने होंगे। आज वैश्वीकरण के दौर में वही देश आगे निकलेगा जिसके पास ज्ञान होगा।

राजीव रंजन कुमार
जहानाबाद, बिहार

विज्ञापनों की भरमार

योजना मासिक का कई वर्षों से अध्ययन कर रहा हूं। आपके द्वारा संकलित सामग्री से लाखों छात्रों को अपनी जिंदगी के कठिन रास्तों में काफी लाभ हुआ है और वे कामयाब साबित हुए हैं। यह भारत के शैक्षिक जगत में मील का पत्थर साबित होता है। फिर भी पाठकों का यह कर्तव्य बनता है कि पत्रिका

में अरुचिकर सामग्री पर संवैधानिक तरीके से विरोध जताए। *योजना* के दिसंबर 2005 एवं जनवरी 2006 अंक में बढ़ते अरुचिकर विज्ञापनों से पाठक आहत हो गए हैं। जरूरी विज्ञापनों के समावेश से पाठकों को परहेज नहीं है। लेकिन अत्यधिक व्यावसायिक विज्ञापनों जिनमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रचार, पुस्तक का प्रचार आदि शामिल हैं, के लिये अनेक पत्रिकाएं बाजार में उपलब्ध हैं। कृपया *योजना* जैसी अतिविशिष्ट पत्रिकाओं से विज्ञापनों को अलग रखें। इसके बदले में अन्य सामग्री दें।

शिव कुमार सिंह
सैदपुर, पटना

मड़वा जैसी पंचायतों से मिलती है प्रेरणा

ज्ञान अर्थव्यवस्था पर आधारित फरवरी 06 अंक में प्रकाशित सभी लेख अत्यंत प्रशंसनीय हैं। महामहिम राष्ट्रपति के भाषण का अंश 'ज्ञान समाज के मापदंड' राष्ट्र के पुनर्निर्माण में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट करने वाला लगा। वहीं जन केरोसीन योजना के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट जानकारी भी काफी लाभदायक है। एल.सी. जैन का लेख 'हिंदू-मुसलमान का साझा श्मशान' वास्तव में अनुकरणीय लगा। सांप्रदायिक सद्भाव का अनोखा मिसाल कायम करने वाला कर्नाटक का गड़वा पंचायत तथा वहां की जनता सराहना की पात्र है जिन्होंने समूचे देश को यह अनोखा प्रयोग करके संदेश देने का कार्य किया है। यदि दोनों धर्म इस तरह से पूरे देश में सामाजिक स्तर पर एक होकर कार्य करने लगें तो फिर सामने सृजनात्मक कार्य ही नजर आएंगे ऐसे में किसी भी सांप्रदायिक दंगे और द्वेष का समाज में कोई स्थान नहीं रह जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछेक राजनीतिक दल तथा राजनेता अपने दलीय हित एवं सत्ता के लोभ में जानबूझकर तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं तथा मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहकर उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे हिंदूओं का भारत है, वैसे ही मुसलमानों का भी भारत है, फिर उन्हें जानबूझकर हमसे अलग करके दलीय हित साधना ठीक नहीं है। ऐसे में गड़वा पंचायत के लोगों ने कौमी एकता को प्राथमिकता दी है। यह कार्य हम लोगों के लिये प्रेरणादायी है। इस तरह के समाचार हमें *योजना* के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं इसलिये *योजना* टीम भी ऐसे रचनात्मक तथ्यों और लेखों के प्रकाशन के लिये धन्यवाद की पात्र है।

अधिनाथ झा
लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर, बिहार

आर्थिक विकासोन्मुखी विदेश संबंध पर स्तंभ शुरू करें

योजना के फरवरी अंक में 'ज्ञान अर्थव्यवस्था' पर सभी लेख ज्ञानवर्धक एवं जानकारीपूर्ण हैं। इनसे 'ज्ञान' और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के संबंध में स्पष्ट समझ का विकास होगा।

कुछ समय से पत्रिका के कलेवर में बहुत बदलाव आया है जिससे पत्रिका की उपयोगिता निरंतर बढ़ रही है। इसमें 'झरोखा जम्मू कश्मीर का' जैसे स्तंभ एवं विदेशों से संबंध पर पर्याप्त लेख आ रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है विदेश संबंध में, जिनका आर्थिक विकास से संबंध है उन पर नियमित स्तंभ बनाएं जैसे आपने जनवरी अंक में डब्ल्यूटीओ, भारत -अमरीका संबंध में तो लेख दिया किंतु आसियान सम्मेलन व दक्षेस शिखर सम्मेलन को छोड़ दिया जिसके कारण आपके पाठकों को इन विषयों पर प्रामाणिक जानकारी नहीं मिल पाई है।

प्रद्युम्न सिंह
इंदिरा नगर, कानपुर

बेहतरीन आर्थिक दृष्टिकोण

योजना का फरवरी 2006 अंक पढ़ा। ज्ञान अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होने के कारण इसके ज्यादातर लेख आधुनिक अर्थशास्त्र से जुड़े रहे, जो *योजना* की बेहतरीन आर्थिक सामाजिक दृष्टि को दर्शाता है। इसका नियमित पाठक होने के कारण अनुरोध करूंगा कि 'बजट' के बारे में गहन जानकारी प्रस्तुत करने की कृपा करें जिससे कि बजट शब्द की व्युत्पत्ति, बजट का इतिहास तथा बेहतरीन बजट कैसे बनाया जाए आदि प्रश्नों का उत्तर मिल सकें। *योजना* के सारे अंक बेहतरीन होते हैं और इसके सभी लेख उत्कृष्ट। इसके लिये मैं उन सभी लेखकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो अपने लेख बहुत ही गंभीरता और बारीकी के साथ प्रस्तुत करते हैं।

दीपेन्द्र दीपक त्रिपाठी
गोरखपुर, उ.प्र.

उर्दू और संस्कृत को संवर्द्धित करें

योजना का 'ज्ञान विशेषांक' पूर्ववर्ती अंकों की ही भांति रोचक लगा। 'ज्ञान अर्थव्यवस्था' पर प्रकाशित सारगर्भित लेखों को पढ़ कर बेहद हर्ष हुआ।

मेरे विचार से सरकार की प्रवासी भारतीयों को भारतीय नागरिक का दर्जा दिए जाने की पहल उचित है। परंतु यह सशर्त होनी चाहिए, ताकि बाद में इससे कोई झमेला न उठ खड़ा हो। सरकार को उन्हें पिछड़े राज्यों में निवेश करने हेतु प्रेरित करना चाहिए तथा इसके लिये विशेष पैकेज की भी घोषणा की जानी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर धीरे-धीरे आतंक से मुक्ति पा रहा है। इसके पीछे सरकारी तंत्र का प्रयास प्रशंसनीय है। वहां कृषि का विकास औषधीय पौधों के संदर्भ में हो तो वहां की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। भाषाई तौर पर उर्दू का संरक्षण तथा संवर्धन बेहद जरूरी है। मैदानी राज्यों में, संस्कृत को उसी तरह संरक्षित तथा संवर्धित करना चाहिए।

संजीव पटेल
सेन्ट्रल हिंदू स्कूल, वाराणसी

लोक प्रशासन
(हिन्दी माध्यम)

By **Atul Lohiya**

(A person who believes in scientific approach and hard work)

UGC-NET
QUALIFIED IN TWO SUBJECTS
(HISTORY & PUB. ADMINISTRATION)

लोक प्रशासन ही क्यों?

क्योंकि...

* आप एक लोक प्रशासक बनने जा रहे हैं ;
* परीक्षा की चुनौतियों एवं बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अंकदायी विषय
* इसकी महत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि जारी;
* भविष्य में सामान्य अध्ययन के अनिवार्य भाग के रूप में लोक प्रशासन को शामिल किए जाने की अधिकतम संभावना;
* वर्तमान समय में भी अंकों के खेल में सबसे आगे: आपका अध्ययन 600 अंकों के लिए, लेकिन आप हल कर सकेंगे एक हजार से अधिक अंकों के प्रश्न (वैकल्पिक विषय - 600 + निबंध - 200 + G.S. (Polity) - 90 + G.S. (Social Problem) + G.S. Current Affairs + साक्षात्कार
* ...और अब **परिणाम में भी सबसे आगे:** विगत वर्षों में लोक प्रशासन से बेहतर सफलता।
* लोक प्रशासन न पढ़ें, तब भी उसका 60-70 प्रतिशत सिलेबस सामान्य अध्ययन के भाग के रूप में हर परीक्षार्थी के लिए पढ़ना अनिवार्य;
* प्रत्येक परीक्षार्थी द्वारा जिज्ञासावश भी अधिकांश सिलेबस का अध्ययन, जैसे - भर्ती, प्रशिक्षण, अलग कमेटी, वेतन एवं सेवा शर्तें आदि।

क्या है कोई विकल्प इससे बेहतर?
लोक प्रशासन का चयन - उचित निर्णय और व्यावसायिक दृष्टिकोण
तो आइये करें - लोक प्रशासन के अध्ययन की शुरूआत, 'अतुल लोहिया' के साथ।

अतुल लोहिया ही क्यों?

क्योंकि...

* केवल हम कराते हैं लोक प्रशासन का सम्पूर्ण एवं समग्र अध्ययन;
* ***UPSC*** के साथ ***UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS*** की भी तैयारी;
* अध्यापन की शैली - विशिष्ट व वैज्ञानिक (दो घंटे से लेकर 200 घंटे तक एक कड़ी के रूप में पढ़ाने का दावा)
* नोट्स - वैज्ञानिक तरीके से तैयार पूर्णतः संशोधित, परिमार्जित एवं परिवर्धित, (Pre. और Mains के लिए अलग-अलग) संदर्भ : 80 से 85 स्रोत;
* केवल हमारे नोट्स से UPSC (Pre.) 2001, 2002, 2003, 2004 एवं 2005 में लगभग 90 प्रतिशत प्रश्न आए;
* Revision Notes - चार्ट के रूप में उपलब्ध कराने वाले एकमात्र शिक्षक;
* हम देते हैं प्रत्येक क्लास का 40 प्रतिशत समय प्रश्न अभ्यास में और शेष समय विषय की बेहतर समझ एवं छात्रों की परिपक्व सोच को विकसित करने में।
* इसके अतिरिक्त आप प्राप्त कर सकते हैं – प्रतियोगी वातावरण, कुशल परिचर्चा समूह, और भी...

लोक प्रशासन
Mains के साथ-साथ
Pre. के लिये भी बेहतर विकल्प

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
(पूर्णतः संशोधित, परिमार्जित एवं परिवर्धित कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)

MAINS - 2500/-
MAINS + PRE. - 3500/-
डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त
Send DD/MO in favour of Atul Lohiya

नया सत्र : दिल्ली 31 मई, 2006
नामांकन जारी: 17 मई, 2006

नया सत्र : इलाहाबाद - 4 जून
नामांकन जारी: 21 मई, 2006

"PRABHA"
AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOUBTLESS KNOWLEDGE, DESIRELESS SERVICE
प्रभा

105, VIRAT BHAWAN (MTNL BLDG.), NEAR BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009
Phone : 27653498, 27655134, 32544250. Cell.: 9810651005 • e-mail: atullohiya@rediffmail.com
Branch : 305/250, COLONELGANJ, NEAR COLONELGANJ POLICE STATION, ALLAHABAD.

संपादकीय

भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर विकासमान है। सरकार बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की जरूरत समझ चुकी है तथा सार्वजनिक-निजी साझीदारी की दिशा में कदम उठा चुकी है। यदि बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं होता तो आने वाले वर्षों में प्रगति की गति मंद पड़ सकती है। तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्था के साथ कदमताल बनाए रखने के लिये देश को बिजली घरों, सड़कों और बंदरगाहों के निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। इस संदर्भ में बीमा क्षेत्र की भूमिका प्रमुख होगी क्योंकि यह बुनियादी ढांचागत विकास के लिये न केवल दीर्घकालिक कोष उपलब्ध कराता है, बल्कि जोखिम लेने की सामर्थ्य भी बढ़ाता है। यह क्षेत्र सार्वजनिक-निजी साझीदारी को भी मजबूत करता है।

बड़े पूंजीगत परिव्यय वाले निवेश में अनेक जोखिम होते हैं। ये परियोजना क्रियान्वयन में निहित खतरों, आपदाजनित जोखिम तथा वित्तीय खतरों के रूप में होते हैं। इन जोखिमों को उठाए बगैर वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोष के लिये वादा करना कठिन होता है। बीमा क्षेत्र इसका निराकरण करता है।

बीमा उद्योग का बड़ा सामाजिक महत्व है। यह महत्व आपदाओं-विपदाओं आदि से संबद्ध होता है। बीमा कंपनियां प्रीमियम के रूप में संग्रहित कोष का इस्तेमाल कर अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में मदद करती हैं। इस क्षेत्र में रोज़गार की भी भारी संभावनाएं मौजूद हैं।

बीमा क्षेत्र में हाल ही में किए गए सुधारों के फलस्वरूप भारतीय बीमा उद्योग आगे बढ़ चला है। सुधार प्रक्रिया का मुख्य अवयव वर्ष 2000 में इस क्षेत्र को खोलना तथा इसकी अंशपूंजी में 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिया जाना था। इस बदलाव के बाद दुनियाभर के बीमाकर्ता भारतीय बाजार पर अधिकार जमाने के लिये दौड़ पड़े हैं। सुधारों के दो उद्देश्य हैं। पहला, अब तक बीमा के दायरे से बाहर रही बड़ी आबादी को उपयुक्त बीमा पॉलिसी उपलब्ध करा कवर करना तथा दूसरा, बीमा उद्योग को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये उनके कार्य निष्पादन का स्तर उठाना।

उदारीकरण के बाद के दौर में बीमा उद्योग में प्रतिस्पर्धा के फायदे गोचर होने लगे हैं। पेंशन पॉलिसियों का बाजार बढ़ रहा है जिससे संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा। निजी कंपनियों द्वारा आरंभ किया गया यूनिट लिंक्ड बीमा बाजार तेजी से प्रगति कर रहा है। ग्राहकों के सम्मुख अब अनेक विकल्प मौजूद हैं। इससे उनका सशक्तीकरण हुआ है। ग्राहक सेवा में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा आवश्यकता-आधारित स्कीम आदि के द्वारा अब ग्राहकों को सेवा तथा क्रियात्मक कुशलता संबंधी अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यव्यवहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

उद्योग की मांग है कि विदेशी कंपनियों की पूंजी भागीदारी पर 26 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया जाए।

योजना का यह अंक न केवल आत्मनिरीक्षण का अवसर उपलब्ध कराता है बल्कि बीमा क्षेत्र के लिये कार्ययोजना तैयार करने का अवसर भी प्रदान करता है। अंक में शामिल विशेषज्ञों के लेख बीमा बाजार को विरूपित होने से बचाने के उपायों पर विचार करने के साथ-साथ इसके स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार करते हैं ताकि बीमाधारक और बीमाप्रदाता, दोनों के हितों की रक्षा की जा सके। ❑

विकास को समर्पित मासिक

योजना

मई 2006 अंक

आपदा प्रबंधन

पर केंद्रित

- प्राकृतिक आपदाएं अचानक आती हैं। ऐसी हालत में हमारी तैयारी ही हमें इनसे होने वाली कष्टों से बचा सकती है और पीड़ितों को अपना घर-बार फिर से बसाने में मदद कर सकती है।
- इस विषय पर अपने लेखों के साथ योजना के पाठकों से रूबरू होने वाले प्रख्यात लेखकों में शामिल हैं: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक पी.के.धर चक्रवर्ती, एनसीआर योजना बोर्ड के सदस्य सचिव पी. के.मिश्रा आदि।

पाठक कृपया अपना आदेश स्थानीय एजेंट को दें अथवा विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पूर्वी खंड-4, लेवल-7, रामकृष्णपुरम, नयी दिल्ली-110066 (दूरभाष:26100207 फैक्स: 26175516) को संपर्क करें।

बिक्री तथा अन्य जानकारियों के लिये संपर्क करें:

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पूर्वी खंड-IV रामकृष्ण पुरम, नयी दिल्ली-110001 (दूरभाष: 26105590, तार : सूचनाप्रकाशन * बिक्रीकेंद्र) * सूचना भवन, सीजीओ कॉम्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (दूरभाष: 23890205) * कॉमर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038 (दूरभाष: 22610081) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर, चेन्नई-600070 (दूरभाष: 24917673) * प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकला कॉम्लेक्स, एमजे रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034 (दूरभाष: 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2301823) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-8, अलीगंज, लखनऊ- 226024 (दूरभाष: 2325455) * अंबिका कॉम्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669) * नौजान रोड, उजान बाजार, गुवाहटी-781001 (दूरभाष: 2516792) * द्वारा/पीआईबी, मालवीय नगर, भोपाल-462003 (म.प्र.) (दूरभाष: 2556350) * द्वारा/पीआईबी, बी-7/बी, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302001 (राजस्थान) (दूरभाष: 2384483)

पत्रिका स्थानीय समाचारपत्र विक्रेताओं से भी प्राप्त की जा सकती है

भारतीय बीमा क्षेत्र : मुद्दे और चुनौतियां

○ सी.एस. राव

आक्रामक मार्केटिंग के फलस्वरूप बीमा देश के 'सनराइज' उद्योग के रूप में उभरा है और युवा प्रतिभा रोजगार के लिये इस ओर आकृष्ट हुई है

भारतवासियों की एक पीढ़ी के लिये जीवन बीमा का मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम ही रहा है। 1956 में जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन किया गया। इसने पहली सितंबर, 1956 से काम करना आरंभ किया। अगले 16 वर्षों तक गैर-जीवन बीमा निजी क्षेत्र में बना रहा। पहली जनवरी, 1973 से देश में सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण के पूर्व भारत में सार्वजनिक एवं निजी, दोनों ही क्षेत्रों में अनेक कंपनियां एक-दूसरे से स्पर्धा करती थीं। इनमें से कुछ विदेशी कंपनियों की शाखाएं थीं, तो कुछ भारतीय उद्यमियों द्वारा स्थापित देसी कंपनियां थीं। भारतीय बीमा उद्योग, खासकर सामान्य बीमा उद्योग की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि वे किसी-न-किसी व्यावसायिक घराने का विस्तार थीं।

राष्ट्रीयकृत दौर

राष्ट्रीयकृत उद्योग में न्यूनतम विनियमन होता है। बीमा उद्योग को विनियमित करने का बुनियादी मकसद पॉलिसीधारकों का हितरक्षण होता है। पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी की भुगतान क्षमता को लेकर कोई संदेह नहीं हो सकता। इसलिये, वित्तीय पक्ष में किसी गंभीर चिंता का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन सरकार की नीति-निर्माता तथा जनहित रक्षक की भूमिका को सेवा प्रचालक तथा सेवा प्रदाता की भूमिका से अलग करने के कोई प्रयास नहीं किए गए। इसमें यह धारणा भी अंतर्निहित थी कि सरकार के प्रति तथा सरकार के मार्फत संसद के प्रति जवाबदेही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त होता है। इसलिये विनियमन में किसी प्रकार की वस्तुनिष्ठता अथवा जनता के सम्मुख प्रकटन को आवश्यक नहीं समझा गया।

इस तरह के विनियमन अथवा नियंत्रण का परिणाम यह हुआ :

- सेवा प्रदाताओं को असीमित स्वैच्छिक अधिकार मिल गए।
- प्रचालनात्मक अकुशलता तथा खराब सेवा।
- निर्णय प्रक्रिया तथा जवाबदेही में पारदर्शिता का अभाव।
- प्रवेश में भारी अवरोध तथा निजी पूंजी का नगण्य प्रवाह।
- उपभोक्ताओं के लिये गैर-प्रतिस्पर्धी मूल्य एवं बेहद संकुचित विकल्पों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की हितरक्षा का अभाव।

भारतीय बीमा उद्योग को इस बात का श्रेय जाता है कि इसने अपनी प्रगति के साथ-साथ प्रदत्त सेवाओं में विविधता बनाए रखी। यह यकीन के साथ कहा जा सकता है कि आज भारतीय बीमा उद्योग दुनिया के किसी भी भाग में उपलब्ध जोखिम कवरेज़ उपलब्ध कराने में सक्षम है। यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि पचास के दशक में लगभग 25 करोड़ रुपये के आधार प्रीमियम से शुरू होने वाला उद्योग आज वार्षिक प्रीमियम राशि के रूप में 65,000 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि अर्जित कर रहा है। विगत लगभग एक दशक में यह उद्योग देश के सभी अंचलों और समुदायों के बीच पहुंचने में सफल हुआ है। भारत में इस राष्ट्रीयकृत उद्योग की विशेषता रही है कि इसने विभिन्न स्थानों पर निवास करने वाले लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है। आज बीमा का संदेश शहरों से लेकर गांवों तक सबकी जानकारी में है।

आंकड़े भारतीय जीवन बीमा निगम के सराहनीय काम की गवाही देते हैं, चाहे वह प्रीमियम से संबद्ध हो, अथवा बीमाधारकों की संख्या को लेकर, या बीमा पॉलिसियों की विविधता को लेकर या फिर भौगोलिक पहुंच को लेकर हों। लेकिन एकाधिकार के कारण एक समयावधि के उपरांत व्यवसाय की जितनी प्रगति होनी चाहिए, उतनी प्रगति यह नहीं कर पाया।

राष्ट्रीयकरण के बाद जीवन बीमा उद्योग को एक स्वायत्त निकाय के अंतर्गत ले आया गया था, जबकि सामान्य बीमा को राष्ट्रीयकरण के बाद चार कंपनियों में रखा गया जिनका नियंत्रण एक होल्डिंग कंपनी के अधीन था। यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने किस वजह से जीवन बीमा तथा गैर-जीवन बीमा उद्योगों के लिये अलग-अलग नीतियां अपनाई। संभवत: समूचे जीवन बीमा उद्योग को एक कंपनी द्वारा संचालित करने के पीछे प्रशासन का

मकसद एक समान कवरेज़, बीमा पॉलिसियों की एकरूपता, उपभोक्ता संतुष्टि के लिये समान रूप से ध्यान देना रहा हो। इसी तरह, सामान्य बीमा के लिये चार कंपनियां स्थापित करने के पीछे मंशा इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं के फायदे के लिये किंचित स्पर्धा उत्पन्न करने की रही हो।

लेकिन बीते समय की घटनाओं से जाहिर होता है कि इनमें से किसी भी प्रकार के संगठन ने इस उद्योग के बाजारचालित होने की संकल्पना को पूर्णतया पूरा नहीं किया है। जीवन बीमा क्षेत्र में एकल प्रशासनिक ढांचे वाला बड़ा संगठन स्वत: बोझ बन गया था क्योंकि निर्णय-प्रक्रिया यहां धीमी थी। सामान्य बीमा के लिये चार कंपनियां प्रकटत: स्पर्धा तथा बेहतर ग्राहक सेवा के लिये गठित की गई थीं लेकिन यह प्रयास भी इस वजह से सफल नहीं हो पाया क्योंकि ये सभी प्रशासनिक मामलों, नीतियों के क्रियान्वयन, नवीन पॉलिसियां शुरू करने, ग्राहकों की शिकायतों के निबटान आदि मामलों में एक छतरी के नीचे आ गई थीं। इस कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिसमें भारतीय उपभोक्ताओं को इस एकीकृत व्यवस्था से ही संतोष करना पड़ रहा था, यहां उनके पास कोई विकल्प नहीं था।

बीमा की पहुंच चिंताजनक रूप से कम रही है। जीवन बीमा का औसत आकार महज 45,000 रुपये है। इसी तरह, बीमा घनत्व (प्रतिव्यक्ति बीमा प्रीमियम) के मामले में हमारा देश विश्व में सबसे कम घनत्व वाले देशों में शामिल है। गैर-जीवन बीमा के मामले में तो पॉलिसी तभी ली जाती है जब उसके लिये कोई मजबूरी हो। यह मजबूरी संसाधन मुहैया कराने वाली संस्था अथवा मशीनरी या संयंत्र के आपूर्तिकर्ता की शर्तों के कारण उत्पन्न होती है। बाजार के स्वस्थ विकास के लिये हमें मजबूरी की इस स्थिति से निकलना होगा। भारत में बीमा को एक ऐसी सेवा के रूप में विकसित होना होगा जिसमें अंतर्निहित गुणों के कारण, लोग उसकी मांग करें। भारतीय बीमा उद्योग की धीमी प्रगति की एक वजह संभवत: इसमें स्पर्धा का अभाव रही है।

सरकार द्वारा गठित मल्होत्रा समिति, जिसने बीमा क्षेत्र को खोलकर भारतीय बीमा बाजार को व्यापक करने का सुझाव दिया, की सोच के पीछे उपर्युक्त तथ्य जरूर रहे होंगे। मल्होत्रा समिति के सुझावों पर अमल करते हुए सरकार ने मौजूदा बीमा कंपनियों के एकाधिकारी अधिकारों को समाप्त करने के लिये कानून बनाने का निर्णय लिया। बाजार में नयी कंपनियों का प्रवेश संभव बनाते समय यह उम्मीद की गई कि इससे इस कदम से इस उद्योग में अपेक्षित प्रगति होगी।

सुधारों और उदारीकरण का युग

विश्व के अन्य अनेक देशों की तरह भारत में अब बुनियादी ढांचागत सेवाओं के निजीकरण और व्यवसायीकरण के प्रति नीतिगत स्तर पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन प्रतिस्पर्धा की थोड़ी-बहुत संभावना के बावजूद ढांचागत क्षेत्र में अभी भी एकाधिकार तत्वों के बने रहने की प्रबल संभावनाएं हैं। अत: सरकार को निवेशकों को समान अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वहन करनी होगी। दूसरी तरफ, उसे ग्राहकों को शोषण से भी बचाना होगा। बुनियादी ढांचे के व्यवसायीकरण तथा नयी-नयी सेवाओं के आने से लेन-देन की लागत में भी भारी वृद्धि होगी। लेकिन इसे न्यूनतम स्तर पर रखे जाने की जरूरत है। इन उद्देश्यों के मद्देनजर सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये विनियमन हेतु एक नियामक ढांचा जरूरी हो जाता है।

अलग-अलग देशों में तथा देश के भीतर अलग-अलग क्षेत्रों में विनियमन का कार्यक्षेत्र अलग-अलग होगा। लेकिन सामान्यत: विनियमन के दायरे में निम्नांकित विषय शामिल किए जाते हैं :

- दरों का विनियमन
- सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
- कुशलता तथा उत्पादकता बढ़ाना
- उपभोक्ताओं का हितरक्षण
- बीमा क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना
- विभिन्न बीमा कंपनियों के बीच विवादों का शीघ्र निबटान, तथा
- कंपनियों के समूह बनने को रोकना।

नियामक को कार्यकारी से अलग बनाए रखना होगा, क्योंकि कार्यकारी को सेवाओं का प्रमुख प्रदाता बने रहना है। अत: नियामक के स्वतंत्र अस्तित्व एवं क्रियाकलाप के लिये उसे अपने अधिकारों के इस्तेमाल की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिये नियामक की स्वायत्तता को कानूनी गारंटी प्राप्त हो, न कि वह कार्यकारी की इच्छा पर निर्भर रहे। कानून द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नियामक सरकारी अनुमोदन से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करे। यह लक्ष्य एक नियामक ढांचे के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। इसके लिये निम्नांकित बातें अपेक्षित हैं :

- नियामकों की पात्रता के लिये अपेक्षित योग्यता, पूर्व निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया तथा सेवा अवधि।
- नियामकों तथा सरकार के अधिकारों को अलग-अलग करना।
- पर्याप्त कानूनी प्राधिकार।
- नियामकों को सर्वोत्तम विशेषज्ञों की सेवाएं हासिल करने तथा सरकारी अनुमोदन हासिल किए बगैर खर्च करने की अनुमति देना।
- बजटीय प्रक्रिया से मुक्त स्वायत्त कोष।

बीमा नियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 निम्नलिखित धाराएं/अनुबंधों के द्वारा बीमा नियामक को स्वतंत्रता प्रदान करता है :

1. **अध्याय II-अनुबंध 4 :** अधिनियम में एक बहुसदस्यीय प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) एक अध्यक्ष

(ख) पूर्णकालिक सदस्य, जो पांच से अधिक न हों

(ग) अंशकालिक सदस्य, जो चार से अधिक न हों।

2. **अध्याय II-अनुबंध 5 :** अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की निश्चित सेवावधि।

(क) अध्यक्ष के लिये पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक

(ख) सदस्यों के लिये पांच वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक

3. **अध्याय II-अनुबंध 6 :** केवल प्रस्तावित अधिनियम में निर्धारित आधारों पर ही सेवा समाप्त की जा सकती है।
4. **अध्याय II-अनुबंध 7 :** किसी सदस्य की नियुक्ति के बाद उसके वेतन, भत्तों तथा अन्य शर्तों में फेरबदल नहीं किया जाएगा।
5. **अध्याय II-अनुबंध 8 :** सदस्यों की भविष्य में नियुक्ति पर प्रतिबंध।
6. **अध्याय VI-अनुबंध 25 :** इस अधिनियम के अनुरूप विनियम बनाने के अधिकार प्राधिकरण को दिए गए।

इस अधिनियम में 100 करोड़ रुपये की आरंभिक अंशपूंजी वाले नये भारतीय बीमा कंपनियों को शामिल करने के प्रावधान हैं। यदि कोई भारतीय कंपनी अंशपूंजी में विदेशी सहयोग लेना चाहे तो वह अधिकतम 26 प्रतिशत विदेशी पूंजी स्वीकार कर सकती है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि प्रीमियम के रूप में हासिल राशि को कंपनियां देश के भीतर ही निवेश कर सकती हैं। यह प्रावधान प्राय: सभी देशों के बीमा कानून में शामिल होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्यक्ष बीमाकर्ता कंपनियों की पुनर्बीमा कराने के अधिकार में कटौती की जाए। लेकिन मौजूदा कानूनों के अनुसार पुनर्बीमा के ऐसे समझौते नियामक द्वारा परीक्षण और अनुमोदन के उपरांत ही किए जा सकते हैं। ढांचागत सुविधाओं के क्षेत्र में भारत को तीव्र विकास की दरकार है। इसलिये बीमा कंपनियों के कोषों के निवेश के बारे में कुछ नियम होंगे। देसी एवं विदेशी संगठनों ने निरंतर यह इंगित किया है कि वृहत ढांचागत परियोजनाओं के लिये कोष बीमा कंपनियों की जीवन बीमा तथा पेंशन निधि से जुटाया जा सकता है।

उत्तर उदारीकरण युग में भारतीय बीमा क्षेत्र

लगभग एक दशक के गहन विचार-विमर्श के बाद भारत में बीमा में सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त कर इसे निजी क्षेत्र के भागीदारों के लिये भी खोलने की सहमति बनी। आज नियामक तथा इस उद्योग से जुड़ी कंपनियों के संयुक्त प्रयास से बीमा के फायदों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, इस उद्योग में जनता के विश्वास को पुनर्स्थापित किया गया है तथा यह उद्योग काफी ज्यादा गतिशील बन गया है।

पिछले पांच सालों में भारतीय बीमा उद्योग में नाटकीय परिवर्तन आया है। आज देश में 15 जीवन बीमा कंपनियां, 14 गैर-जीवन बीमा कंपनियां तथा एक पुनर्बीमा कंपनी कार्यरत है। प्राधिकरण के पास कुछ अन्य संभावित बीमा कंपनियों के आवेदन अभी विचाराधीन हैं तथा इन कंपनियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। 31 मार्च, 2005 को बीमा क्षेत्र में कुल 1,288.44 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था जबकि इसकी अधिकतम सीमा 26 प्रतिशत ही निर्धारित की गई है।

वर्ष 2000-01 में जीवन बीमा क्षेत्र में पहले वर्ष का प्रीमियम 9,709.55 करोड़ रुपये था जो 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष में बढ़कर 25,342.87 करोड़ रुपये हो गया। चार साल की अवधि में यह 260 प्रतिशत की प्रगति थी। पिछले चार वर्ष में निजी कंपनियों ने 20 प्रतिशत बाजार पर अधिकार कर लिया है। बीमा घनत्व वर्ष 2004 में 15.70 अमरीकी डॉलर हो गया था जबकि वर्ष 2000 में यह 7.60 अमरीकी डॉलर ही था। प्रीमियम के सकल घरेलू उत्पाद (सघउ) के प्रतिशत के रूप में बीमा की पहुंच भी वर्ष 2000 के 1.77 से बढ़कर 2004 में 2.45 हो चुका था।

गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में भी वर्ष 2000 में अर्जित 10,087.03 करोड़ रुपये की प्रीमियम राशि के स्थान पर 180 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2004 में 18,095.25 करोड़ रुपये की राशि अर्जित की गई। सामान्य बीमा के क्षेत्र में भी निजी प्रचालकों ने 31 मार्च, 2005 तक 20 प्रतिशत बाजार पर कब्जा कर लिया था। बीमा घनत्व वर्ष 2000 के 2.30 अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2004 में 4.0 अमरीकी डॉलर हो गया था। इसी तरह बीमा की पहुंच भी वर्ष 2000 के 0.55 के मुकाबले वर्ष 2004 में बढ़कर 0.63 हो गया।

बीमा क्षेत्र को व्यापक बनाने का श्रेय सार्वजनिक एवं निजी, दोनों क्षेत्रों को जाता है। निजी क्षेत्र ने जहां आक्रामक मार्केटिंग रणनीति अपनाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई वहीं सार्वजनिक क्षेत्र अपनी प्राथमिकताएं और मार्केटिंग रणनीति पुनर्निर्धारित कर अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे।

कुल प्रीमियम राशि के लिहाज़ से वर्ष 2000 में भारत का विश्व में 23वां स्थान था जो 2004 में सुधर कर 19वां हो गया। इसके साथ ही विश्व बाजार में इसका हिस्सा इसी अवधि में 0.41 प्रतिशत से सुधर कर 0.65 प्रतिशत हो गया। ये सुधार भले ही नाटकीय न प्रतीत हों लेकिन उनकी दिशा और गति भारत के विश्व परिदृश्य पर उभरने का संकेत देते हैं।

अवसर तथा चुनौतियां

वर्ष 2004 में भारत में प्रतिव्यक्ति बीमा प्रीमियम 19.7 अमरीकी डॉलर था और इसकी पहुंच सघउ के 3.07 प्रतिशत तक थी। अनुमान है कि एक अरब की आबादी वाले देश में महज करीब 4 करोड़ लोगों ने ही बीमा कराया हुआ है। इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भारत में भारी संभावनाएं मौजूद हैं जिनका दोहन किया जाना है। इसीलिये बीमा नियामक प्राधिकरण की स्थापना कर बीमा को निजी क्षेत्र के लिये खोल दिया गया।

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बीच स्पर्धा के लाभदायी परिणाम अब दिखने लगे हैं। निजी क्षेत्र ने एक जीवंत यूनिट लिंक्ड बीमा बाजार का विकास किया है। वार्षिकी (एन्युटी) बाजार की प्रगति भी शुरू हो गई है। पेंशन बाजार का भारी विकास हो रहा है। इससे संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में बड़ी तादाद में लोग लाभान्वित होंगे। नयी बीमा कंपनियां अनेक नयी-नयी पॉलिसियां लेकर आ रही हैं। ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करने वाले उत्पादों में से चुनने के लिये कहा जा रहा है। इस विकल्प से ग्राहक सशक्त हुए हैं जो अपने में सकारात्मक संकेत है।

सामान्य बीमा मामले में भी निजी क्षेत्र ने वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के साथ कॉरपोरेट एजेंसी का संबंध स्थापित कर चुनौतियों का मुकाबला करने की ठान ली है। दरों के मामले में नवाचार की संभावना कम होने के कारण सामान्य बीमा कंपनियां अपना ध्यान कॉरपोरेट ग्राहकों को कुल जोखिम प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराने पर लगा रही है। इससे उन्हें सार्वजनिक बीमा कंपनियों के लाभदायी कॉरपोरेट खाते में सेंध लगाने में मदद मिली है। ग्राहकों को उच्चस्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने और उनका विश्वास जीतने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे समय आने पर बड़े कॉरपोरेट खातों तक पहुंचा जा सके।

उपर्युक्त विकासों के बावजूद अभी भी अनेक अवसर अछूते हैं। हालांकि एक अध्ययन से ज्ञात होता है कि ग्रामीण इलाकों की लगभग 73 प्रतिशत आबादी के पास कोई भी जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है तथा इन अंचलों में गैर-जीवन बीमा की पहुंच मात्र 14 प्रतिशत लोगों तक है जो केवल मोटर वाहन बीमा के रूप में है। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कंपनियों के लिये भारी संभावनाएं मौजूद हैं।

भारत में स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के क्षेत्र में भी बीमा उद्योग के लिये भारी संभावनाएं मौजूद हैं। स्वास्थ्य बीमा बाजार की संभावनाओं का पता लगाने के लिये अनेक अध्ययन तथा शोध किए गए जिनसे ज्ञात होता है कि बीमा कंपनियों को अकेले यह क्षेत्र ही अनेकानेक अवसर उपलब्ध करा सकता है।

सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत की विशेषता दुनियाभर में सुज्ञात है। बीपीओ सेवाओं के लिये भी भारत वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। इन क्षेत्रों की नयी मांगें हैं जिन्हें बीमा कंपनियों को नवाचारी पॉलिसियों के द्वारा कवर करना है।

देश में जनसांख्यीय परिवर्तन हो रहा है। बाहरी दुनिया से अवगत युवा पीढ़ी को विकसित देशों सरीखी सेवाएं और उत्पाद चाहिए। भारतीय बीमा कंपनियों को इस चुनौती को स्वीकार कर विकसित देशों के समकक्ष सेवाएं उपलब्ध कराना होगा।

जीवन बीमा उद्योग की एक बड़ी चुनौती परिसंपत्तियों और देनदारियों का मिलान होती है। गिरती ब्याज दरों की वजह से भुगतान राशि तथा निवेशों पर मिलने वाले लाभ के अंतर को पाटना बड़ी चुनौती साबित होगी। इस क्षेत्र में उद्योग को उन्नत कौशल विकसित करने होंगे। व्यापारिक गतिविधियों में लागत कम करने के लिये इसे सर्वोत्तम व्यवहार अपनाने होंगे। इस दिशा में, गौण कार्य बाहर से कराने का चलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन बाहरी सेवा प्रदाताओं के साथ संबंधों के प्रबंधन में पैदा होने वाली चुनौतियों से निबटने के उपाय करने होंगे।

बीमा एक बेहद तकनीकी विषय है तथा यह अन्य वित्तीय सेवा उद्योग के दूसरे क्षेत्रों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। परिवर्तन के साथ कदमताल बनाए रखने, प्रतिस्पर्धी बने रहने और इस व्यवसाय की बढ़ती दुरूहताओं से निबटने के लिये सक्षम मानव संसाधन विकास हेतु सतत प्रयास करने होंगे। बीमा जोखिम स्वीकरण, संपत्ति/देनदारी प्रबंधन, निवेश, रणनीतिक प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में दक्षता हासिल करने की सख्त जरूरत होगी। जीवन बीमाकर्ताओं को वित्तीय नियोजन तथा सेवानिवृत्ति नियोजन को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए।

बीमा क्षेत्र को खोले जाने के बाद के बीमा उत्पादों की मार्केटिंग के लिये दलाल, कॉरपोरेट एजेंट तथा बैंक बीमा जैसे नये वितरण चैनल शुरू हुए हैं। प्रमुख चुनौती लेनदेन की लागत कम कर निम्न आयवर्ग के परिवारों तक बीमा पहुंचाने की है। लेनदेन की लागत कम करने के लिये अब तक मौजूदा ऋण अथवा बचत सेवा चैनल के साथ इसे जोड़ने की प्रविधि अपनाई जाती रही है।

देश की आर्थिक मजबूती से प्रतिव्यक्ति आय बढ़ेगी। इससे बीमा उत्पादों की मांग में वृद्धि होगी और बीमा प्रीमियम में तेजी से बढ़ोतरी होगी। उदारीकरण, दरों को नियम-मुक्त करने तथा स्पर्धा बढ़ने के कारण बीमा परिदृश्य में परिवर्तन जारी रहेगा।

उद्देश्य हासिल करने में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की सफलता

संस्थागत सुधार के प्रति भारतीय दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि धारणीय विकास केवल मूल्य आधारित वित्तीय मजबूती, स्थिरता, प्रबंधन क्षमता तथा जनता के प्रति जवाबदेही वाले माहौल में ही संभव है। भारतीय कानून-निर्माताओं ने यह भी महसूस किया कि बीमा क्षेत्र में किसी भी अर्थपूर्ण सुधार के लिये प्रभावी बीमा कानून अनिवार्य शर्त है। इसीलिये, 1999 में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 को लागू कर बीमा प्रशासन के कानूनी ढांचे को मजबूती दी गई। इस अधिनियम और बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकरण ने बीमा व्यवसाय के सभी पहलुओं से संबद्ध अब तक 33 विनियम जारी किए हैं।

प्राधिकरण ने खुलेपन और पारदर्शिता में हमेशा यकीन किया है तथा विनियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विभिन्न हितधारियों के साथ परामर्श किया है जिससे बाजार के विभिन्न घटकों के बीच उन्हें व्यापक स्वीकृति मिली है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी विभिन्न विनियमों का मूल्यांकन करने पर उन्हें विश्वस्तरीय पाया है। इस तरह, भारतीय बीमा बाजार का संचालन वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।

प्राधिकरण की दृष्टि में बीमा कंपनियां सार्वजनिक धन की न्यासी होती हैं और उन पर बीमाधारियों तथा अंशधारियों के पैसों को सुरक्षित रखने का गुरुतर दायित्व होता है। प्रबंधन की किसी भी गलती से आम लोगों की निगाह में इन कंपनियों की विश्वसनीयता क्षरित हो सकती है। इससे देश में बीमा कंपनियों की प्रगति को धक्का लग सकता है। इसलिये प्राधिकरण वित्तीय सामर्थ्य, विनियमों के अनुपालन के मामले में प्रवर्तकों का पिछला रिकॉर्ड और साख, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की क्षमता, उत्पाद नवाचार, तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशल, बीमा के

क्षेत्रीय केंद्र के रूप में भारत के विकास के प्रति प्रतिबद्धता आदि के आधार पर बीमा कंपनी खोलने के आवेदनों की गहरी पड़ताल करता है। उनके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने भुगतान क्षमता संबंधी कड़े कानून बनाए हैं और बीमा कंपनियों का निवेश वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों में ही करने के लिये पर्याप्त विनियम लागू किया है।

उदारीकरण के कार्यक्रम के साथ-साथ कॉरपोरेट प्रशासन तथा बाजार आचरण के स्तरोन्नयन तथा बीमा कंपनियों द्वारा बीमाधारियों का हितरक्षण के उपाय भी किए गए हैं। इसका लक्ष्य बीमा उद्योग में आधुनिकीकरण और कौशल को बढ़ावा देना, भारतवासियों को बीमा उत्पादों एवं सेवा संबंधी व्यापक विकल्प एवं बेहतर मूल्य सुलभ कराना तथा एक मजबूत एवं प्रगतिशील केंद्र के रूप में भारत की छवि विकसित करना है।

प्राधिकरण ने यह भी स्वीकार किया कि बीमा व्यवसाय में मध्यस्थों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिये भारत में पहली मर्तबा बीमा कानून में संशोधन कर बीमा मध्यस्थों को अनुमति प्रदान की गई। ग्राहकों के हितों को प्रस्तुत करने वाले पेशेवर बीमा दलालों तथा स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों की उपस्थिति से बीमाकर्ताओं द्वारा अपना कौशल बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रवेश के समय कंपनियों की कठोर जांच के साथ-साथ उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है ताकि भुगतान क्षम अंतर बनाए रखा जाए और विश्वसनीय निवेश नीति अपनाई जाए।

इन उपायों से सरकारी एकाधिकार से मुक्त बाजार व्यवस्था में अंतरण आसान हो गया है। इन प्रयासों के लाभकारी प्रभाव अब लोग महसूस करने लगे हैं। अब उनके पास चुनने के लिये अनेक विकल्प हैं; उन्हें उत्पादों की अधिक जानकारी है, उन्हें प्रशिक्षित एजेंटों तथा दलालों की परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं तथा ग्राहक सेवा अब बेहतर तरीके से प्रदान की जाती है। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना है।

निष्कर्ष

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का लक्ष्य पॉलिसीधारकों का हितरक्षण तथा बीमा उद्योग का अनुशासित विकास सुनिश्चित करने के लिये उन्हें विनियमित करना और प्रोत्साहन देना है। संतोषजनक बात है कि उद्योग ने ग्राहक सेवा का स्तर उन्नत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उत्पाद नवाचार पर ध्यान देने के फलस्वरूप नये पॉलिसीधारक जोड़ने में सफलता मिली है। इस उद्योग ने सफलतापूर्वक नवीन वितरण चैनलों के साथ प्रयोग कर लेनदेन की लागत कम की है। नियामक निकाय की सफलता कर एक मानक पॉलिसीधारकों को मिलने वाले फायदे भी हैं। ❑

(लेखक बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं)

प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में इलाहाबाद के गौरव को पुनर्स्थापित करने का एक अप्रतिम प्रयास

इतिहास

- उपनिवेशवादी
- नव उपनिवेशवादी
- राष्ट्रवादी (कैम्ब्रिज स्कूल)
- राष्ट्रवादी मार्क्सवादी
- उपाश्रय वादी (सब अल्टर्न)

१. गाँधी नेता थे नहीं ! 'लोगों' ने नेता बना दिया ?
२. क्या गाँधी दलाल-उप दलालों की श्रृंखला में सबसे बड़े दलाल (Power-Broker) थे ?
३. क्या भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष संरक्षक-संरक्षित (Patron-Client) रिस्ते का परिणाम था ?
४. क्या भारतीय राजनीति में महात्मा गाँधी की भूमिका को संघर्ष-विराम-संघर्ष (S.T.S) की शब्दावली में समुचित रूप से परिभाषित किया जा सकता है ?
५. गाँधी ने जन आन्दोलनों पर अंकुश लगाते हुए भी अपनी लोकप्रियता बनाए रखी। इस विरोधाभास की व्याख्या आप कैसे करेंगे ?

द्वारा

शशांक शेखर नये पाठ्यक्रम के विशेषज्ञ

चन्द्रशेखर प्वाइंट

47, चिन्तामणि रोड, जार्जटाउन, इलाहाबाद, मोबाइलः 9450771588

IAS 2006-07

ADMISSION NOTICE

We offer the most time-tested and performance-oriented classroom courses in India (Eng. & हिन्दी)

GEOGRAPHY
by Prof. Majid Husain

Mains Batch Starts 9th June
Screen Test 26th May-2nd June
REGISTRATION OPEN

GEN.STUDIES
by. Dr. Ramesh Singh

Mains Batch Starts 12 th June
with INDIAN ECONOMY
Also at Brilliance IAS, Lucknow
Cell. 09415409569

OUR IAS RANKERS

Arshdeep Singh *IAS, 3rd Topper*
Shurbir Singh *IAS, 4th Topper*
Rajiv Garg *Customs*
S.K. Mahanta *(Customs), Geo. 362*
Dinesh Kumar *IAS*
Punam *IAS*
R.Masakui *IFS, Int. 240*
Dheeraj Garg *IPS*
S.K. Yadav *Customs*
Rajiv Ranjan *Customs*
J.P. Singh *IPS*
Sanjiv Singh *IPS*
Manish Surati *Customs*
Aakash Dewangan *263rd*

OUR STATE SERVICES RANKERS

Brajesh Tripathi *2nd Topper Uttranchal*
Rajkumar Mishra *4th Topper UPPCS*
Om Prakash Bishnoi — Rajasthan, SCS *16th Topper*
Kamala *Ranker MPPCS*
Manisha Thakur *9th Topper Chhatisgarh*

Other Toppers: Pankaj Kr. Pandey, IAS,43rd, 2004., Prithipal Singh, IPS, 2004., Diparva Lakra, IAS, 2004., Ramesh Kumar, IAS, 2004.,Mayur Maheshwari, IAS,6th Topper, 2003.,Akhilesh Kr. Jha, IPS, 2003., R.K. Bhardwaj, IRS, 2003., Babulal Sonal, IRS, 2003.,Hareshwar Prasad, IRS, 2002., J.P. Singh, IPS, 2001., Manish Surati, IRS, 2001., Ashish Kr. Sinha, ALLIED, 2001.,Sanjeev Kr. Singh, IRS, 2000., Jayant Sinha, ALLIED, 2000., Sajay Kumar, IPS, 2000., Alok Kumar Das, IPS, 2000.

CIVILS INDIA
IAS STUDY CENTRE

202-203 A/12-13, ANSAL BUILDING, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9., PH.: 27652921, 9818244224, 27601344, 9810553368.

भारतीय बीमा उद्योग : एक समीक्षा

भारतीय बीमा उद्योग नयी ऊंचाइयां छूने तथा वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता करने के लिये तैयार है, लेकिन निकट भविष्य में बीमा कंपनियों को बाजार के उतार–चढ़ाव के कारण कम सक्षम नियामक व्यवस्था लागू हो जाने के कारण जोखिम का सामना करना होगा

हालिया सुधारों के फलस्वरूप भारतीय बीमा उद्योग की विकास गति तेज हो गई है। बीमा क्षेत्र में अंश पूंजी के 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने के बाद दुनियाभर की बीमा कंपनियां भारत की ओर दौड़ पड़ीं। यही नहीं, भारतीय निजी कंपनियां भी बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने लगीं। इन सबका मकसद यहां के बड़े मध्य वर्ग का लाभ उठाना था।

निजी बीमाकर्ताओं ने न केवल उपभोक्ताओं के सम्मुख विकल्पों के द्वार खोले, उन्होंने नवाचारी व्यवहार तथा उत्पादों के द्वारा बाजार का विस्तार भी किया। बीमा सुधारों से उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि हासिल हुई है तथा बीमा की पहुंच बढ़ी है जिससे अब तक अछूती आबादी को भी बीमा के दायरे में लाया जा सका है। निश्चित रूप से बीमा ने सार्वजनिक उपक्रम-बहुल आरक्षित क्षेत्र से मुक्त उद्योग तक की सुदीर्घ यात्रा तय की है जंहा अब निजी कंपनियां जोरदार तरीके से बाजार में अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रही हैं। आज भारतीय बीमा उद्योग सबसे तेजी से विकास कर रहे बीमा उद्योगों में एक है तथा इसके वार्षिक 15-20 प्रतिशत की दर से विकास करने का अनुमान है।

बीमा क्षेत्र में उदारीकरण के उपरांत विकास

सन् 2005 में बीमा उद्योग को मुक्त किया गया। उसके बाद इस क्षेत्र का प्रमुख तत्व पूंजी में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ विदेशी कंपनियों का प्रवेश रहा। इसका मकसद देश में अधिक प्रतिस्पर्धी तथा कुशल बीमा उद्योग का निर्माण था। इनका लक्ष्य एक ओर जहां बीमा से वंचित विशाल आबादी को कवर करना था, वहीं दूसरी ओर बीमा कंपनियों के कार्य निष्पादन को बढ़ाना था ताकि देश की अर्थव्यवस्था में वे अधिक उल्लेखनीय रूप से अपना योगदान कर सकें। जैसी उम्मीद थी, प्रतिस्पर्धा से कई परिवर्तन आए। साथ ही, बीमाधारियों की सुरक्षा के लिये नियामक व्यवस्था भी लागू की गई। इस दौर में अनेक नये निजी उद्यमियों ने इस उद्योग में प्रवेश किया तथा अपने अभिनव उत्पादों व बेहतर उपभोक्ता सेवाओं के द्वारा नवीन अवसर तलाशे। इनका असर सरकारी बीमा कंपनियों पर भी पड़ा तथा उन्होंने भी अधिकाधिक उपभोक्ता-उन्मुखी तरीके अपनाते हुए अपनी सेवाएं चुस्त-दुरुस्त कीं। कुछ उल्लेखनीय परिवर्तनों की चर्चा आगे प्रस्तुत है:

- 15-20 प्रतिशत वार्षिक विकासदर का अनुमान होने तथा सर्वाधिक संख्या में जीवन बीमा पॉलिसियां सक्रिय होने की वजह से भारतीय बीमा उद्योग में अभी भारी संभावना है। बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के अनुसार मौजूदा बीमाकर्ताओं द्वारा अर्जित प्रीमियम राशि वर्ष 2000-01 में 449.85 अरब रुपये थी जो 2003-04 में बढ़कर 824.15 अरब रुपये हो गई। प्रीमियम स्वीकार करने के लिये एजेंटों, दलालों तथा बैंकों, रेफरल व्यवस्था और इंटरनेट व्यापार जैसी कॉरपोरेट प्रविधियों का इस्तेमाल किया गया। बीमा कर्ताओं की दत्तपूंजी 31 मार्च, 2001 को 16.92 अरब रुपये थी जो 31 मार्च, 2004 को बढ़कर 56.08 अरब रुपये हो गई।
- निजी कंपनियां बाजार में अनेक अभिनव उत्पाद लेकर आईं तथा उद्योग की पहुंच बढ़ाने के लिये वैकल्पिक स्रोतों का दोहन किया। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार गांव हैं इसलिये ग्रामीण आबादी को लक्षित बीमा पॉलिसियां आरंभ की गईं। बीमाधारकों के हितों की रक्षा के लिये नियामक व्यवस्था लागू की गई जिससे उपभोक्ताओं की जागरूकता भी बढ़ी। विदेशी पूंजी की भागीदारी वाले निजी बीमाकर्ताओं ने प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ा दी जिसके फलस्वरूप कुछ उत्पादों की प्रीमियम दरों में भारी कमी आई तथा सेवाओं की गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ।
- बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के अनुसार, 2003-04 में निजी बीमा कंपनियों की शुद्ध धारणीयता पिछले वर्ष की 42.58 प्रतिशत की धारणीयता की तुलना में बढ़कर 47.31 प्रतिशत हो गई थी। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र की चारों कंपनियों की शुद्ध धारणीयता 2002-03 में 71.28 प्रतिशत थी जो 2003-04 में बढ़कर 72.30 प्रतिशत हो गई। सूत्रों के

तालिका - 1

भारत में पंजीकृत बीमाकर्ताओं की संख्या

व्यापार की प्रकृति	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
जीवन बीमा	1	13	14
सामान्य बीमा	6	8	14
पुनर्बीमा	1	0	1
कुल	8	21	29

अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में बीमा तथा बैंकिंग क्षेत्र का योगदान 7 प्रतिशत है। इसका एक प्रमुख भाग प्रीमियम के रूप में संग्रहीत राशि होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश के लिये उपलब्ध कोष सकल घरेलू उत्पाद का 8 प्रतिशत है। 2004 तक भारत की कुल बीमा योग्य जनसंख्या का केवल 20 प्रतिशत ही विभिन्न जीवन बीमा कार्यक्रमों के तहत कवर किया गया था। देश में स्वास्थ्य तथा अन्य गैर जीवन बीमाओं की पहुंच भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की तुलना में काफी कम है।

- संसद द्वारा बीमा नियामक एवं विकास विधेयक को पारित कर कानून बनाए जाने के साथ ही भारत दुनियाभर की बीमा कंपनियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। बीमा क्षेत्र को खोले जाने के बाद से 31 मार्च, 2004 तक 21 निजी कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किया गया तथा भारत में 10.28 अरब रुपये का विदेशी निवेश आ चुका था।
- अल्प विकसित तथा निम्न पहुंच और घनत्व वाले भारतीय बीमा व्यापार ने सुधार के संकेत दिए।
- जीवन बीमा की पहुंच, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम 2001 के 2.15 प्रतिशत से बढ़कर 2004 में 2.53 प्रतिशत पर पहुंच गई। बीमा घनत्व, अर्थात प्रति व्यक्ति प्रीमियम 2001 में 9.10 अमरीकी डॉलर था जो 2004 में 15.7 अमरीकी डॉलर हो गया।

लेकिन यदि हम इन आंकड़ों की तुलना विश्व के अन्य देशों से करें तो ज्ञात होता है कि ये परिवर्तन नाटकीय नहीं कहे जा सकते। तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि विश्वस्तरीय बीमा उद्योग से तुलना करने के लिये भारतीय बीमा उद्योग को अभी काफी कुछ करना है।

- कुल प्रीमियम के लिहाज से वर्ष 2000 में भारतीय बीमा उद्योग का विश्व में 23वां स्थान था जो 2003 में ऊपर उठकर 19वां हो गया। इसी अवधि में विश्व बाजार में इसका हिस्सा 0.41 प्रतिशत से बढ़कर 0.59 प्रतिशत हो गया। जीवन बीमा के प्रीमियम के मामले में सन् 2000 में विश्व में इसका 20वां स्थान था जो 2003 में ऊपर उठकर 18वां हो गया तथा विश्व बाजार में हिस्सा 0.50 प्रतिशत से बढ़कर 0.81 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में भारत का स्थान 2000 के 29वें से सुधर कर 2003 में 28वां और विश्व बाजार में हिस्सा 0.25 प्रतिशत से बढ़कर 0.29 प्रतिशत हो गया।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कड़ी स्पर्धा

भारत में जीवन बीमा उद्योग की प्रगति काफी प्रभावशाली रही। इस उद्योग में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा वित्त वर्ष 2004-05 में नये व्यापार से हासिल प्रीमियम 253.43 अरब रुपये रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के जीवन बीमा निगम ने 2004-05 अपने व्यापार में 21.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और 2.4 अरब नयी पॉलिसियां कर 197.86 अरब रुपये का व्यापार किया। लेकिन व्यापार हिस्से के लिहाज से ह्रास रोकने के लिये यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि इसी अवधि में निजी बीमाकर्ताओं ने 129 प्रतिशत विकास कर 2003-04 के 24.29 अरब रुपये प्रीमियम राशि के मुकाबले 2004-05 में 55.59 अरब रुपये इकट्ठा किए। इस अवधि में जीवन बीमा निगम का हिस्सा 75 प्रतिशत रह गया और 24 प्रतिशत हिस्सा निजी कंपनियों ने हासिल कर लिया।

उदारवादी दौर में उद्योग को प्रतिस्पर्धा से लाभ

उदारवादी दौर में बीमा उद्योग क्षेत्र ने प्रतिस्पर्धा के लाभदायी परिणाम देखे। पेंशन वाली पॉलिसियों का बाजार तेजी से प्रगति कर रहा है। इससे संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में लगे लोगों के एक बड़े तबके को लाभ होगा। इस यूनिट लिंक्ड बीमा बाजार का तेजी से विकास हो रहा है। वार्षिक पेंशन बीमा का बाजार भी अब बढ़ना शुरू हो गया है। नये बीमाकर्ताओं द्वारा आरंभ किए गए अनेक नवीन और अभिनव उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। ग्राहकों के समक्ष विविध फायदों से युक्त उत्पादों के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। अब वे पॉलिसियां तथा सेवाएं दोनों ले सकते हैं, जबकि हाल तक केवल पॉलिसियां ही बाजार में उपलब्ध थीं। व्यापक विकल्प उपलब्ध होने से ग्राहकों की ताकत बढ़ गई है जो निश्चय ही एक सकारात्मक विकास है।

सामान्य बीमा के क्षेत्र में भी सार्वजनिक क्षेत्र ने वस्तु और सेवा देने वाली कंपनियों के साथ कॉरपोरेट एजेंसी आरंभ कर चुनौती का सामना किया है। इस क्षेत्र में चूंकि केवल दरों के मामले में ही प्रयोग संभव है, इसलिये निजी सामान्य बीमा कंपनियां अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिये पूर्ण जोखिम प्रबंधन सेवाओं का प्रावधान करने पर अपना ध्यान लगा रही हैं। लेकिन यदि सामान्य बीमाकर्ताओं को अपना व्यापार बढ़ाना है तो उन्हें व्यक्तिगत आधार पर अभिनव पॉलिसियां लाना होगा। दर मुक्त व्यवस्था में ऐसा संभव है।

सुधार प्रक्रिया की बदौलत इस उद्योग को अधिकाधिक ग्राहक मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां उपेक्षाएं पूरी नहीं की जा सकी हैं। 2001-02 में 75.3 लाख चिकित्सा बीमा पॉलिसियां की गई थीं जो 2003-04 में बढ़ कर 1 करोड़ 2 लाख 80 हजार हो गईं लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी पर्याप्त कवरेज उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध कवरेज के स्वरूप और दुखों के निबटारे की प्रविधि को लेकर भी चिंता व्यक्त की जाती है।

ग्राहक संतुष्टि पर नज़र

बीमा उद्योग के उत्पादों और कीमतों की अन्य कंपनियों द्वारा आसानी से नकल की जा सकती है। कंपनियों के बीच फर्क का आधार केवल सेवा ही रह जाती है। प्रतिस्पर्धी माहौल में इसका लाभ आगे जाकर मिलता है। बीमा कंपनी अपने ग्राहकों की सेवा के लिये अपनाए

तालिका - 2
वैश्विक बीमा प्रीमियम

क्षेत्र/देश का नाम	जीवन बीमा का सकल प्रीमियम (अरब अमरीकी डॉलर)			गैर-जीवन बीमा सकल प्रीमियम (अरब अमरीकी डॉलर)		
	2003	2004	प्रतिशत बदलाव	2003	2004	प्रतिशत बदलाव
विश्व	1,682.75(100)	1847.84(100)	11.4	1,275.61(100)	1,395.2(100)	9.4
उत्तरी अमरीका	505.4(30.03)	524.32(28.38)	3.7	611.50(47.94)	643.50(47.94)	5.2
लातीनी अमरीका तथा कैरेबियाई देश	16.24(0.96)	19.36(1.05)	19.2	25.85(2.03)	29.12(2.09)	12.6
यूरोप	597.83(35.53)	694.56(37.59)	16.2	438.01(34.33)	503.62(36.1)	12.6
एशिया	518.05(30.79)	556.32(30.1)	7.4	166.92(13.09)	179.71(12.88)	15
अफ्रीका	23.97(1.38)	26.24(1.42)	12.8	9.19(0.72)	11.37(0.81)	23.7
ओशिनिया	21.96(1.31)	27.03(1.46)	23.1	24.14(1.89)	28.14(2.02)	16.6
भारत	14.42(0.86)	16.92(0.92)	17.3	3.71(0.29)	4.33(0.31)	16.7

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत अंश को इंगित करते हैं
स्रोत : स्वीस रे रिपोर्ट, फरवरी 2005

जाने वाले विविध उपायों में प्राय: अभिनव प्रयोग करती रही है।

उदारीकरण के बाद के दौर में ग्राहक सेवा के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। सेवा क्षेत्र में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों, नवीनतम तकनीकों के प्रयोग से हासिल कार्यकुशलता, आवश्यकता-आधारित विक्रय और प्रशिक्षित बिक्री-कर्मियों एवं सलाहकरों के मार्फत व्यावसायिक सलाह के द्वारा उद्योग में उल्लेखनीय प्रभाव पड़ना निश्चित है। इनके परिणामस्वरूप, ग्राहक संतुष्टि को अपेक्षित गति मिली और ग्राहकों ने यह स्वीकार करना आरंभ किया कि बीमा कंपनियों ने पॉलिसी धारकों के प्रति अपने रवैये में परिवर्तन कर लिया है।

बीमा क्षेत्र में ग्राहकों की संतुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक

- बीमा क्षेत्र को खोले जाने से ग्राहकों की जरूरत के अनुरूप नवीन पॉलिसियां आरंभ की गई जिनसे ग्राहक संतुष्टि बढ़ी और उनकी ओर बीमाकर्ताओं का भी ध्यान गया।
- उत्पादों, प्रीमियम, एनएवी, एफएक्यू आदि के बारे में समय पर सूचना उपलब्ध कराने और अपना प्रचार करने के लिये बीमा कंपनियों ने अपनी वेबसाइट स्थापित कर ली है जिसके द्वारा वे अपने ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान कर रही हैं।
- बीमाकर्ताओं ने प्रीमियम का भुगतान गैर पारंपरिक तरीकों, यथा ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, मानक निर्देशों आदि के द्वारा भुगतान स्वीकार करने जैसी सुविधाएं आरंभ कर दी है।
- स्वचालित तथा शिकायत प्रबंधन प्रणालियां आरंभ की गई हैं। शिकायत प्रबंधन प्रविधि को व्यवस्थित करने के लिये बीमाकर्ताओं ने शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है।
- बैंक बीमा की शुरुआत से कीमत कम हुई है, पॉलिसियों की गुणवत्ता बढ़ी है तथा उन्हें ग्राहक के घर पर पहुंचाया जाने लगा है। इन उपायों से भारतीय बीमा क्षेत्र की पहुंच बढ़ी है।
- अभिनव उत्पादों की वजह से अधिकाधिक ग्राहक अब उन्हें अपनी, वास्तविक जरूरत के अनुसार अपना रहे हैं।
- बीमाकर्ताओं के बीच स्पर्धा बढ़ने से सेवा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। ग्राहक भी अब तकनीक को अधिक पसंद करने लगे हैं। लोग अब मौजूदा मूल्य अनुपात को स्वीकार करना नहीं चाहते। वे व्यक्तिगत चर्चा करना तथा अधिक सहूलियतों से युक्त बेहतर सेवा चाहते हैं।
- उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर बीमाकर्ता अब दावों का त्वरित निबटान करने लगे हैं। इससे ग्राहकों की दावे के राशि शीघ्र मिलने लगी है।

बीमा क्षेत्र की भूमंडलीय प्रवृत्तियां

स्वीस रे के अनुसार, 2004 में दुनियाभर में बीमा उद्योग का विस्तार और सशक्तीकरण जारी रहा। विश्वभर में मुद्रास्फीति समायोजित प्रीमियम में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 3 अरब 24 करोड़ 40 लाख अमरीकी डॉलर हो गया। 2004 में जहां जीवन बीमा में पुन: बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने भी सकारात्मक परिणाम हासिल किए। पश्चिमी यूरोप, ओशिनिया तथा उदीयमान बाजारों में तीव्र वृद्धि हुई, लेकिन इनसे हासिल प्रगति अमरीका में आए ठहराव और जापान की मंदी की वजह से समाप्त हो गई। इंग्लैंड ने बीते सालों की

रेखाचित्र - 1

भारत में सघउ के प्रतिशत के रूप में बीमा व्यय

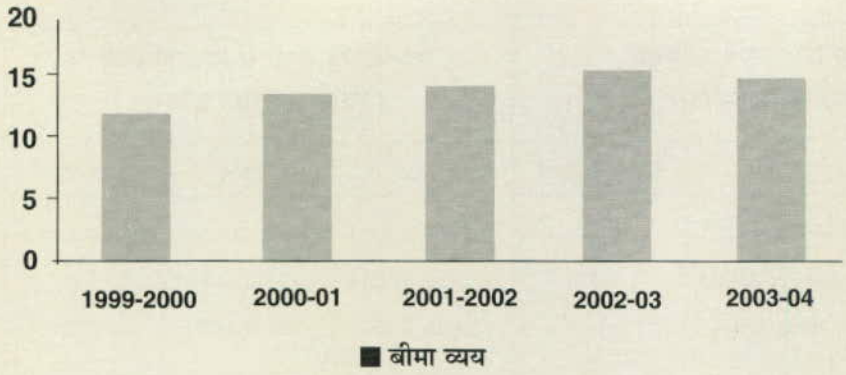

स्रोत : बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट, 2003-04

रेखाचित्र-2

जीवन बीमा की पहुंच

जीवन बीमा के प्रीमियम की सघउ के अनुपात में पहुंच

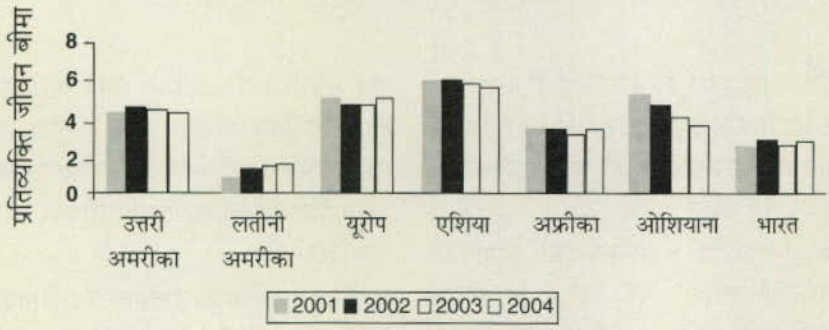

स्रोत : स्वीस रे रिपोर्ट

रेखाचित्र-3

गैर-जीवन बीमा की पहुंच

गैर-जीवन बीमा के प्रीमियम की सघउ के अनुपात के रूप में पहुंच

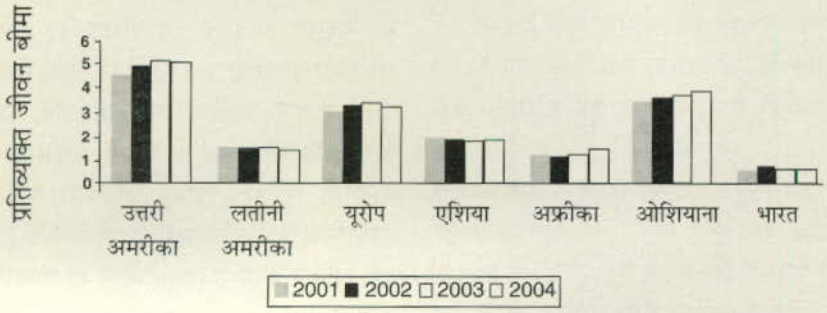

स्रोत : स्वीस रे रिपोर्ट

ह्रासोन्मुखी प्रवृत्ति को रोककर प्रीमियम से होने वाली आय में वृद्धि दर्ज की। विकासशील देशों में जीवन बीमा में प्रगति की निरंतरता बनी रही जिससे इसकी प्रीमियम में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दक्षिण एवं पूर्वी एशिया में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । उदीयमान बाजारों में 2005 के दौरान जीवन बीमा प्रीमियम में की तुलना लगभग 2.5 प्रतिशत तेज गति से प्रगति का अनुमान किया गया था।

बीमा क्षेत्र का विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका वितरण

उदारीकरण के बाद का विकास

उदारीकरण के बाद से गैर-जीवन बीमा की तुलना में जीवन बीमा की प्रगति अधिक तेजी से हो रही है। 2004 में जीवन बीमा कंपनियों ने कुल 186.69 अरब रुपये की प्रीमियम राशि अर्जित की। यह राशि 2 करोड़ 86 लाख 26 हजार पॉलिसियों पर प्राप्त की गई। इस तरह प्रीमियम राशि में 10.24 प्रतिशत तथा पॉलिसियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 12.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

समीक्ष्य अवधि के दौरान गैर-जीवन बीमा बाजार में लगभग 18.20 अरब रुपये (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा 161.30 अरब रुपये की रिकॉर्ड प्रीमियम राशि हासिल की गई। इस बढ़ोतरी का अधिकतर अर्थात 17 अरब रुपये (17 प्रतिशत) हिस्सा मोटर वाहन, स्वास्थ्य, दायित्व और उड्डयन जैसे विविध व्यापार से प्राप्त हुआ।

सकल घरेलू उत्पाद में योगदान

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में बीमा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह उद्योग सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान करता है तथा इस तरह अर्थव्यवस्था की गति को उत्प्रेरित करता है।

समाज तथा रोजगार में योगदान

सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के अलावा बीमा उद्योग का सामाजिक महत्व भी काफी अधिक है। यह महत्व उन दुर्घटनाओं, आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान और तकलीफ में राहत पहुंचाने में निहित है जब उद्योग, व्यापार-धंधे और समाज सब बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। बीमा कंपनियां ऐसी

स्थितियों में प्रीमियम से इकट्ठा कोष का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के उन्नयन के लिये करती हैं। बीमा कंपनियां लाखों लोगों को रोज़गार मुहैया कराती है तथा हिस्साधारकों को लाभांश देती हैं। इसका प्रमुख योगदान रोज़गार के क्षेत्र में है। पिछले कुछ सालों में इसने 20,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया है जबकि 3 लाख से अधिक लोग इससे परोक्ष रूप से रोजगार पा रहे हैं।

भारी पूंजीगत व्यय तथा दीर्घावधि के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं अपने निर्माण, विकास और प्रचालन की समस्त अवस्थाओं में अनेकानेक जोखिमों से भरी होती हैं। उनमें परियोजना क्रियान्वयन, भौगोलिक रखरखाव, व्यापारिक तथा राजनीतिक सभी तरह के जोखिम शामिल होते हैं। इन जोखिमों की व्यवस्था किए बगैर वित्तीय संस्थान इनमें निवेश के लिये तत्पर नहीं होते।

ढांचा में किया। तालिका-3 में जीवन तथा गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा वर्ष 2001-04 के दौरान किए गए निवेश का कोषवार ब्यौरा दिया गया है। मार्च 2005 तक जीवन बीमा निगम ने बुनियादी ढांचे में 52,914 करोड़ रुपये का निवेश किया था। तालिका से जाहिर है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां सर्वाधिक निवेश बुनियादी ढांचे में करती हैं।

तालिका - 3

भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा बुनियादी ढांचे तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश

प्रकृति	जीवन बीमा				गैर-जीवन बीमा			
	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004
सार्वजनिक क्षेत्र	247,918.9	204,987.2	326,249.1	381,409.4	8,100	50,238.2	25,533.7	33,194.5
निजी क्षेत्र	949.7	2,421.5	3,377.3	4,959	605.9	1,221.1	1,858.4	2,909
कुल	248,868.6	207,408.7	329,626.4	386,368.4	8,705.9	51,459.3	27,392.1	36,103.5

स्रोत : बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट, 2003-04

बुनियादी ढांचे में योगदान

भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ रही है। यह दुनिया की सबसे तेज वृद्धि दरों में एक है। लेकिन अनेक विशेषज्ञ आशंका व्यक्त करते हैं कि आने वाले वर्षों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे की वजह से यह गति मंद पड़ सकती है। देश को विद्युत संयंत्रों, सड़कों और बंदरगाहों के निर्माण के लिये भारी निवेश की जरूरत है ताकि तेजी से विकासमान अर्थतंत्र की जरूरतें पूरी की जा सकें। बीमा क्षेत्र बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के लिये न केवल दीर्घावधि कोष उपलब्ध कराता है, बल्कि उनकी जोखिम उठाने की क्षमता में भी अभिवृद्धि करता है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में भारत को एक खरब अमरीकी डॉलर के निवेश की जरूरत है। एक हद तक बीमा क्षेत्र इस निवेश की जरूरत की भरपाई कर सकता है ताकि बुनियादी ढांचे का विकास हो सके और देश के आर्थिक विकास की निरंतरता बनी रह सके।

बीमा कंपनियां ढांचागत परियोजनाओं के न केवल जोखिम अपने सिर ले लेती हैं, बल्कि वे दीर्घावधि कोष भी उपलब्ध कराती हैं। वस्तुत: ये दीर्घावधि ऋण का आदर्श स्रोत होती हैं। इन कंपनियों की देनदारियां भी दीर्घावधि होती हैं, इसलिये इस तरह की परियोजनाओं में निवेश से उन्हें बेहतर देनदारी-परिसंपत्ति संतुलन हासिल होता है।

बुनियादी ढांचे में जीवन तथा गैर-जीवन कंपनियों का कोषवार निवेश

बीमा नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवेश-निर्देशों के अनुसार, जीवन बीमा कंपनियों के लिये कम-से-कम 15 प्रतिशत तथा गैरबीमा कंपनियों को कम-से-कम 10 प्रतिशत राशि बुनियादी ढांचा तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश करना अनिवार्य है। जीवन बीमा निगम इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी होने के कारण काफी बड़ी राशि बुनियादी ढांचे में निवेश करता है। अक्तूबर 2005 के महीने में अकेले जीवन बीमा निगम ने एक हजार करोड़ रुपये का निवेश बुनियादी

विनियम मुद्दे और चिंताएं

विनियम

- **बाजार पहुंच विनियम :** एक नयी नवेली लाइसेंस शुदा कंपनी को प्रत्यक्ष बीमा के लिये एक अरब रुपये तथा पुनर्बीमा के लिये 2 अरब रुपये का न्यूनतम आरंभिक दत्त पूंजी उगाहना होगा। लाइसेंस तीन वर्ष के लिये वैध होता है तथा इसका नवीकरण हो सकता है। प्राधिकरण किसी बीमा कंपनी को जीवन तथा गैरजीवन बीमा, दोनों साथ-साथ करने की इजाजत नहीं देता है। नये बीमाकर्ता का भारतीय कंपनी होना अनिवार्य है लेकिन 26 प्रतिशत अंश पूंजी की भागीदारी के साथ विदेशी साझीदार को आगे शामिल किया जा सकता है। स्थानीय बैंक भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के मानदंडों को पूरा करते हुए बीमा व्यापार में शामिल हो सकते हैं। संयुक्त उद्यम में साझीदार के रूप में भारतीय बैंक 50 प्रतिशत अंशपूंजी अधिगृहित कर सकते हैं। लेकिन 10 वर्ष की अवधि के भीतर उन्हें अपना हिस्सा अधिकतम 26 प्रतिशत तक सीमित कर लेना होगा।

● **देयता सामर्थ्य संबंधी विनियम :** जीवन बीमा कंपनी के मामले में उनके द्वारा अर्जित पॉलिसियों पर (i) 50 करोड़ रुपये, (ii) गणितीय रिज़र्व की अधिकतम 5 प्रतिशत राशि अथवा (iii) कुल कवरेज एक प्रतिशत राशि में जो भी सर्वाधिक हो, उतना अंतर होना चाहिए। गैर-जीवन बीमा कंपनियों के मामले में अपेक्षित अंतर (i) 50 करोड़ रुपये, (ii) शुद्ध अथवा पुनर्बीमा, किसी की भी प्रीमियम आय की 20 प्रतिशत राशि के बराबर, या (iii) शुद्ध अथवा पुनर्बीमा, किसी भी दावे के रूप में कुल क्षति के 30 प्रतिशत के समकक्ष राशि में जो भी अधिकतम हो, हो जाना चाहिए।

● **वित्तीय एवं लेखांकन संबंधी विनियम:** यह विनियम निवेश के लिये निम्नांकित मानदंड निर्धारित करता है।

गैर-जीवन बीमा कंपनियों के लिये : टकसाल, राज्य सरकार तथा अन्य गारंटीशुदा प्रतिभूतियों में कुल निवेश कम-से-कम 30 प्रतिशत होना चाहिए। इसके अलावा 10 प्रतिशत राशि बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र तथा न्यूनतम 5 प्रतिशत राशि आवास क्षेत्र में निवेश करना अनिवार्य है। इस तरह बीमा कंपनी के पास 55 प्रतिशत बाजार में निवेश के लिये बच जाता है। सामान्य बीमा कंपनी के लिये ग्रामीण क्षेत्र में निवेश का मानदंड इस प्रकार है : पहले वित्त वर्ष में 2 प्रतिशत, दूसरे वित्त वर्ष में 3 प्रतिशत तथा तीसरे वित्त वर्ष में 5 प्रतिशत राशि।

● **जीवन बीमा कंपनी के लिये :** जीवन बीमा कंपनी को 25 प्रतिशत सरकारी तथा 25 प्रतिशत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करना होगा। 15 प्रतिशत निवेश बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में करना होगा। शेष 35 प्रतिशत राशि का इस्तेमाल कंपनियां पूंजी बाजार में कर पाएंगी। जीवन बीमा कंपनियों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश का मानदंड इस प्रकार है : पहले वित्त वर्ष में 5 प्रतिशत, दूसरे वित्त वर्ष में 7 प्रतिशत, तीसरे वित्तवर्ष में 10 प्रतिशत, चौथे वित्त वर्ष में 12 प्रतिशत तथा पांचवें वित्त वर्ष में 15 प्रतिशत राशि।

भविष्योन्मुखी मानदंड

● जीवन तथा गैर-जीवन बीमा, दोनों ही कंपनियों को कुल प्रयुक्त पूंजी का 15 प्रतिशत से अधिक अंशपूंजी अथवा ऋणपत्रों में निवेश नहीं करना चाहिए।

● अनुमादित वार्षिक सतत विकास कोष के 10 प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं दिया जाना चाहिए।

● लेखांकन में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक राजस्व देने वाली किसी भी गतिविधि का अलग विवरण तैयार किया जाना चाहिए।

● यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी बीमा कंपनी में कभी भी लेखा परीक्षा संबंधी गड़बड़ी नहीं होने पाए, दो लेखा परीक्षकों को

INNOVATIVE INSTITUTE OF EDUCATION

"A Premier Institute of Professional Education"

INDIA'S NO. 1

Institute for UGC / CSIR Exams.

Admission Open for June /Dec. 2006 Exams.

Class-room coaching for

English, Economics, Education, Commerce, Political Sc., Philosophy, Hindi, History, Physical Sc., Chemical Sc., Mathematical Sc., Life Sc. ,

by

Professionally qualified and experienced faculty from :-
DELHI UNIVERSITY, JNU, IIT AND JAMIA

Separate classes for compulsory (first) paper only

- **Correspondence Coaching is also available**

Success for sure through.....

- INTENSIVE CLASS ROOM COACHING
- REGULAR CLASS TESTS
- SCINTIFICALLY PREPARED STUDY MATERIAL AND TEST SEREIS.

English and Hindi Medium

- Hostel facility also available

C - 98 - B, Ganesh Nagar (Pandav Nagar Complex), Delhi - 110092

011-55592195, 9891883842, 9810002069

रखा जाएगा। इनमें से एक की कार्य अवधि चार वर्ष तथा दूसरे की पांच वर्ष होगी।

● प्राधिकरण ने जीवन तथा गैर-जीवन बीमा कंपनियों की परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यांकन संबंधी नियम निर्दिष्ट किया है। गैर जीवन बीमा कंपनी के लिये तीन प्रकार के रिज़र्व- असामान्य जोखिम रिज़र्व, बकाया दावा रिजर्व तथा भुगतान किए गए किंतु सूचित न किए गए दावे का रिजर्व - का आकलन करना तथा बनाए रखना अनिवार्य होगा।

● **बाजार व्यवहार संबंधी विनियम :** यह विनियम सभी बीमा कंपनियों पर उनके विपणन एवं विज्ञापन संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में लागू होता है। इस तरह की गतिविधियां आरंभ करने के दो दिन के भीतर विज्ञापन के बारे में सूचित करना अनिवार्य है।

मुद्दे और चिंताएं

● आरंभिक अवस्था में भारी व्यय को देखते हुए विदेशी कंपनियों की पूंजी भागीदारी की 26 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। इससे उद्योग में प्रतिस्पर्धा तथा ज्ञान अंतरण में मदद मिलेगी।

● विक्रय कर्मियों के प्रशिक्षण संबंधी विनियम परीक्षा स्तर पर आधारित होने चाहिए, न कि पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण के घंटों पर।

● जीवन बीमा कंपनियां अपने संपदा प्रबंधन कलापों को बाहरी विशेषज्ञों की मदद से किस सीमा तक आउटसोर्स कर सकती हैं, इस बारे में स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

● जितनी जल्दी संभव हो, पेंशन संबंधी नियम लागू किए जाने चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थानों के नियामक मुद्दों को एक किया जाना चाहिए।

● कर की दर समीक्षा की जाए। जीवन बीमा उद्योग पर मूल्यांकन आधिक्य तथा अंशधारक कोष के निवेश लाभ पर कर लगाया जाता है जबकि अन्य कंपनियों में अंशधारकों के लाभ पर कराधान किया जाता है। इस तरह मौजूदा नियम अंशधारकों के लाभ तथा पॉलिसी धारकों, दोनों पर कर लगा रही है।

● जीवन बीमा व्यापार में आरंभिक वर्षों में बोनस की लागत की भरपाई के लिये हानि को अगले वर्ष में ले जाकर भावी आधिक्य तथा अंशधारक कोष से पॉलिसीधारक कोष में अंतरण कर समायोजित करने की इजाजत नहीं दी जाती है।

भावी विकास एवं संभावनाएं

एक अरब की आबादी वाले देश में 400 अरब रुपये के बराबर का बीमा उद्योग है जो बैंकिंग व्यवसाय से मिलकर सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7 प्रतिशत का योगदान करता है। यह उद्योग 15-20 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रगति कर रहा है। यहां दुनियाभर में सबसे अधिक संख्या में जीवन बीमा पॉलिसियां हैं, बावजूद इसके आबादी का महज 20 प्रतिशत हिस्सा ही जीवन बीमा द्वारा कवर किया जा रहा है। इस मामले में हमारा देश दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे है। इन सबके मद्देनजर यह उद्योग भविष्य में किस दिशा की ओर बढ़ रहा है?

दुनियाभर में परिवर्तनशील व्यापारिक परिदृश्य वित्त बाजार का एक अंग है। भूमंडलीकरण ने व्यापार के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा बढ़ा दी है तथा विश्वस्तर पर बाजार प्रतिस्पर्धा का स्वरूप बदल रहा है। वित्त बाज़ारों को पुर्नपरिभाषित किया जा रहा है तथा इससे विकास के नये अवसर उदित हो रहे हैं। भारतीय बीमा उद्योग भी इसका अपवाद नहीं है। अपने भूमंडलीय बीमा व्यापार के विस्तार के लिये विदेशी बीमा कंपनियां भारत तथा चीन जैसे देशों में अधिक रुचि ले रही हैं। भारतीय बीमा कुछ उदीयमान क्षेत्र में सेवाओं का विस्तार कर इस उद्योग की भावी प्रगति को दिशा दे सकती है। समाज में छोटे परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ-साथ जोखिम कवर करने वाली बीमा योजनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति जीवन बीमा उद्योग के लिये सकारात्मक संकेत है।

वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या तथा सामाजिक ताने-बाने में परिवर्तन के साथ-साथ पेंशन पॉलिसियों की मांग में भारी वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि वर्ष 2010 तक 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की कुल संख्या आबादी के 10 प्रतिशत के बराबर हो जाएगी। इससे पेंशन तथा वार्षिक भुगतान योजनाओं की संभावना बढ़ेगी।

उदार अर्थव्यवस्था में बैंक बीमा ने बीमा क्षेत्र के सम्मुख विकास का नया अवसर पैदा किया है। बैंकों के साथ साझीदारी के द्वारा बैंक ग्राहकों तक बीमा पॉलिसियां पहुंचाकर व्यापक अछूते बाजार तक पहुंचा जा सकता है। भारत में बैंकों की मौजूदगी से बीमा कंपनियों को कम लागत पर गांवों में पहुंचने में सहुलियत होगी तथा वे बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के निर्धारित मानदंड को भी पूरा कर पाएंगे। नवीन अवधारणा होने के बावजूद इसे काफी महत्व दिया जाने लगा है।

उपर्युक्त में से अधिकतर परिवर्तन विगत कुछ वर्षों में ही आए हैं। निकट भविष्य में इस उद्योग के आकार और शक्ति में काफी विकास की उम्मीद है। लेकिन इसे आमलोगों के निजी बीमा वर्जित करने के दृष्टिकोण को बदलना होगा।

इस व्यवस्था ने देयता सामर्थ्य संबंधी काफी उच्च मानदंड निर्धारित किए हैं। घरेलू संस्थाओं को, चाहे वे बीमा कंपनियां हों या मध्यस्थ, कुशलता, नवाचार तथा ग्राहक सेवा के मामले में अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के समकक्ष आना होगा। उत्पादकता स्तर के सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के बराबर रहने की उम्मीद की जा रही है। बाजार में पहुंच के बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर, भारतीय बीमा उद्योग नयी ऊंचाइयां छूने तथा वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता करने के लिये तैयार है। ❑

(बीमा पर फिक्की के सम्मेलन में दिए गए व्याख्यानों के आधार पर योजना संपादकीय टीम द्वारा संकलित)

सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर एक नज़र

○ एन. देवदासन

भारत तेजी से पनप रहा है, चमक रहा है, बढ़ रहा है – विशेषण तो अनंत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा रहा है। परंतु इस सब सनसनी और हंगामे में कुछ दुखद तथ्य छिपे हैं। जहां इस आर्थिक प्रगति से भारतवासियों का एक वर्ग स्पष्ट रूप से लाभान्वित हो रहा है, अधिकांश लोग अभी भी काफी पीछे छूट गए से लगते हैं। संपन्न और निर्धन वर्गों के बीच अंतर बढ़ता ही जा रहा है। यूएनडीपी की ताज़ा रिपोर्ट (2005) के अनुसार कुल 177 देशों में हमारा स्थान 127वें पायदान पर है। और यह स्थान हमारे पड़ोसियों, पाकिस्तान और बांग्लादेश से कुछ ही ऊपर है। उनके जीवनस्तर में सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है। शिशु मृत्युदर भारत में अभी भी ऊंची है, महिलाएं अभी भी प्रसव के समय ही काल कवलित हो जाती हैं, और हमारे आधे से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। हमारी मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली के कारण इस स्थिति में और भी गिरावट आ गई है। देश की जनसंख्या के कुल 20 से 25 प्रतिशत लोगों तक ही स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच पाती हैं। शेष आबादी को मजबूरन निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की शरण लेनी पड़ती है और बीमारी के समय अपनी जेब से ही खर्च करना पड़ता है। अस्सी प्रतिशत मामलों में स्वास्थ्य की देखभाल हमें अपने घरेलू खर्च के बजट से करनी पड़ती है। यह अनुपात विश्व में सबसे अधिक है (चित्र-1)।

चित्र-1

सकल घरेलू उत्पाद के कुल स्वास्थ्य व्यय का जेब से खर्च का प्रतिशत – चुने हुए देश

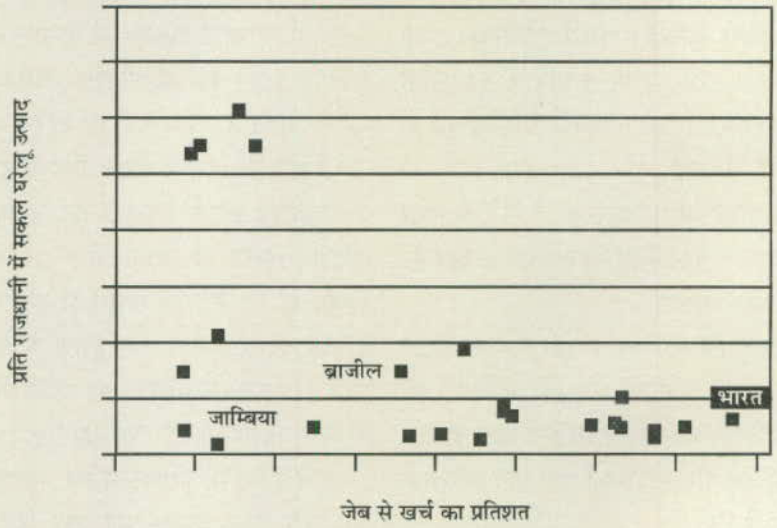

स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट, 2005 और विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, 2005

उच्च आय वाले देशों में रहने वाले लोग अपनी जेब से बहुत कम राशि खर्च करते हैं। यहां तक कि जाम्बिया, जिम्बाब्वे और ब्राजील जैसे कम आय वाले देशों के लोगों को भी बीमारी के समय इलाज के ऊंचे खर्चों से सुरक्षा मिली हुई है। या तो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं या फिर स्वास्थ्य बीमा उनके इलाज के खर्चों को वहन करती हैं। दूसरी ओर, हमारे देश में लोग अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिये अपनी जेब से जो राशि खर्च करते हैं, वह इतनी अधिक है कि उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नेपाल, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देश भी इसी श्रेणी में आते हैं।

वास्तविक रूप से इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारतीयों को इलाज के भारी खर्चे से बचने के लिये कोई सुरक्षा उपाय नहीं हैं। संपन्न और मध्यम वर्ग के लोगों के इलाज का खर्च तो उनके मालिक उठाते हैं, परंतु निम्न वर्ग और गरीबों की कहानी कुछ और ही है। बीमारी के दौरान न केवल वे अपना आय का स्रोत खो देते हैं, वरन उन्हें ठीक होने के लिये काफी खर्च भी करना पड़ता है। अध्ययनों से पता चलता है कि औसतन 24 प्रतिशत भारतीय अपने इलाज के खर्च की वजह से ही गरीबी में जीते हैं (पीटर्स, 2002)।

इस तरह की स्थिति में केवल दो ही विकल्प हैं। या तो सरकार स्वास्थ्य के मद पर व्यय राशि बढ़ाए और अपने अस्पतालों एवं संस्थाओं में स्वास्थ्य के देखभाल और इलाज का स्तर बढ़ा कर गरीबों को उनको तबाह करने वाले इलाज के खर्च से बचाए, या फिर गरीब लोग ऐसी व्यवस्था अपनाएं जो उनके बीमार पड़ने पर उनकी रक्षा कर सके। पहला विकल्प तो मुश्किल दिखता है, एक दूर का स्वप्न है; परंतु दूसरा विकल्प हमारे देश में विभिन्न

रूपों में आकार ले रहा है। इस आलेख के अगले भाग में, देश में सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा (सीएचआई) परिदृश्य के बारे में चर्चा की जाएगी और फिर बाद में उसकी व्यावहारिक संभावना के बारे में बात की जाएगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य बीमा की मुख्यत: तीन श्रेणियां हैं - इनमें सबसे न्यायसंगत है सामाजिक स्वास्थ्य बीमा। अधिकांश यूरोपीय देशों में लोकप्रिय इस योजना में सभी कर्मचारियों और नियोक्ताओं को एक स्वास्थ्य बीमा कोष में योगदान करना होता है। इस कोष का उपयोग समूची आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिये किया जाता है। सरकारें भी इस कोष में कुछ न कुछ योगदान करती हैं। परंतु इसमें एक जोखिम - स्वस्थ और अस्वस्थ लोगों, अमीरों और गरीबों तथा बारोज़गार और बेरोज़गार लोगों को परस्पर एक ही साथ रखने का है। उदाहरण के लिये, बुजुर्गों और बच्चों को सबके साथ कैसे रखा जाए? सबसे विसंगत श्रेणी है, स्वैच्छिक निजी स्वास्थ्य बीमा की, जिसमें लोग व्यक्तिगत तौर पर अपनी आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य बीमा कराते हैं। इसमें सबको साथ रखने की जोखिम कोई खास नहीं होती, क्योंकि यह स्वस्थ और कम स्वस्थ लोगों के लिये ही सीमित होती है। और इन दोनों के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा होता है जिसे सूक्ष्म स्वास्थ्य बीमा भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न समुदाय मिल कर एक स्वास्थ्य कोष का निर्माण करते हैं जिसका उपयोग पूरे समुदाय (सभी लोगों) की स्वास्थ्य रक्षा के खर्च के वहनार्थ किया जाता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा आंदोलन इन दिनों खासा लोकप्रिय हो रहा है, खास कर अफ्रीका में। सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा अफ्रीका के अधिकांश लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा में प्रयुक्त की जा रही है। इनमें सबसे उल्लेखनीय है रवांडा जिसकी 43 प्रतिशत जनसंख्या का स्वास्थ्य बीमा है।

सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा (सीएचआई) की परिभाषा

यह एक ऐसी गैर लाभ वाली बीमा योजना है जो प्रमुख रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के लिये लक्षित है और जो सामूहिक रूप से सभी स्वास्थ्य जोखिमों को आधार बना कर गठित होती है और जिसका प्रबंधन इसके सदस्य ही करते हैं

भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा (सीएचआई) का हालांकि एक लंबा इतिहास है। (सबसे पहला प्रकरण 1955 के कोलकाता के छात्रों के स्वास्थ्य घर के नाम से उल्लिखित है) पिछले दशक में सीएचआई के छतरी तले आने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अनुमान है कि इस समय करीब 40 लाख लोग सीएचआई का लाभ उठा रहे हैं। भारत में सीएचआई योजनाओं का वितरण चित्र-2 में दर्शाया गया है।

चित्र-2

भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजनाएं

भारत की सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की विशेषता यह है कि इन सभी की शुरुआत स्वैच्छिक संगठनों ने की है ताकि गरीबों तक स्वास्थ्य रक्षा का लाभ पहुंचाया जा सके। जहां कुछ योजनाओं का प्रबंधन अस्पतालों के हाथों में है, वहीं अन्य का प्रबंधन स्वैच्छिक संगठनों के अधीन है जो निजी सेवा प्रदाताओं से समुदाय की ओर से स्वास्थ्य रक्षा (बीमा) का क्रय करती हैं। अनेक सीएचआई योजनाओं ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से संबंध जोड़ कर (बीमा) जोखिम का क्षेत्र बढ़ा लिया है और अपना जोखिम कम कर लिया है। सीएचआई योजनाएं मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों, जैसे आदिवासियों, स्वरोजगार वाली महिलाओं, किसानों अथवा दलितों को ही अपना लक्ष्य बनाती हैं। ये लोग मौजूदा संगठित समूहों, जैसे स्वसहायता समूहों, संघों, संगठनों आदि के माध्यम से बीमा योजनाएं शुरू कराती हैं।

इस योजना का लाभ पैकेज काफी विस्तृत और व्यापक है, और इसमें अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज की सुविधा शामिल है। मेडीक्लेम पॉलिसियों के विपरीत सीएचआई बीमा स्थानीय यथार्थ के लिये पूर्ण तथा अनुकूल होता है। इसमें ऊपरी सीमा ठीक-ठाक होती है और बंदिशें कम होती हैं। सामुदायिक आवश्यकताओं और वहन करने की क्षमता के बीच सदैव एक संतुलन होता है। प्रीमियम राशि 50 से 100

रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष के बीच की होती है, और इसकी दरें समुदाय की हैसियत के मुताबिक तय की जाती हैं तथा समुदाय की सुविधानुसार वसूल की जाती हैं। सीएचआई योजनाओं का प्रबंधन आमतौर पर समुदाय और स्वैच्छिक संगठन मिलकर चलाते हैं।

क्या ये सीएचआई योजनाएं भली-भांति काम करती हैं? हालांकि गरीबों के लिये स्वास्थ्य बीमा की बात करना भला और सुंदर लगता है, पर क्या इन्हें लागू करना व्यावहारिक होगा? ये कुछ वे प्रश्न हैं जो सीएचआई के बारे में पढ़ते हुए पाठकों के मन में उठते हैं। अगले खंड में इसी विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा की व्यवहार्यता

व्यवहार्यता अथवा संपोषणीयता को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अधिकांश परिभाषाओं में संपोषणीय विकास के बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन सीएचआई योजनाओं में हम एक प्रणाली, स्वास्थ्य के लिये धन की व्यवस्था करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। अतएव मैं एक ऐसी परिभाषा पसंद करूंगा जिसमें सीएचआई को एक ऐसी संपोषणीय प्रणाली बताया गया है जो उन संसाधनों पर आधारित होती हैं, जो एक वाजिब समय में समाप्त नहीं होंगे। संसाधनों से मेरा आशय केवल वित्तीय संसाधन ही नहीं है, परंतु इनमें मानवीय, संस्थागत और पर्यावरणीय संसाधन भी शामिल हैं।

ऐतिहासिक रूप से, सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा उन्नीसवी शताब्दी के अंतिम चरण में ही प्रचलन में आ गया था। जर्मनी, बेल्जियम, जापान और हॉलैंड में यह अस्वस्थता कोष के नाम से प्रचलित था। इस कोष के जरिये औद्योगिक श्रमिकों को महंगे चिकित्सा बिलों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इसी कोष ने कालांतर में इन देशों में जमा होकर वर्तमान सामाजिक स्वास्थ्य बीमा का रूप ले लिया है (बार्निंग हासेन टी, 2002)। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इतिहास में भी सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का उल्लेख मिलता है, जो इनको बल प्रदान करता है।

समूहों में सीएचआई की शुरुआत की रणनीति

अधिकांश सीएचआई योजनाओं ने स्वास्थ्य बीमा के विचार को पहले पहल विद्यमान समूहों, जैसे स्वसहायता समूहों, श्रमिक संघों, कृषक संगठनों, सहकारी संस्थाओं में ही लागू किया। इसके अनेक लाभ हैं :

- *स्वास्थ्य बीमा इन समूहों में मौजूद विश्वास और एकजुटता की बुनियाद पर अपनी इमारत खड़ी कर सकता है।*
- *बीमा की जानकारी और उसके बारे में समुदाय की प्रतिक्रिया आसानी से मासिक बैठकों जैसे माध्यमों से दी जा सकती है।*
- *मौजूदा प्रणालियों के माध्यम से प्रीमियम भी सरलता से एकत्रित किया जा सकता है। यथा, जब किसान अपनी उपज बेचता है, या जब महिलाएं अपनी मासिक किस्तें जमा करती हैं, या फिर जब बच्चे अपनी फीस देते हैं।*
- *ये समूह वित्तीय मामलों के अनुभवी होते हैं अतः इनको बीमा योजना का लेखा कर्म आसानी से सिखाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रशासकीय कार्य भी ये समूह और स्वैच्छिक एजेंसी मिलकर कर सकते हैं*

क्या सीएचआई योजनाएं वित्तीय रूप से व्यवहार्य हैं? क्या वे अपनी योजना के प्रबंध के लिये पर्याप्त धन उगाह सकते हैं? लक्षित जनसंख्या और उनमें से बहुत कम लोगों का ही बीमा किए जाने की स्थिति को देखते हुए अधिकांश बीमा विशेषज्ञ सीएचआई योजनाओं को व्यावहारिक रूप से संभव नहीं पाते। परंतु यदि हम साक्ष्य की ओर नजर डालें तो कुछ और ही कहानी सामने आती है। हालांकि इन योजनाओं के बिल्कुल सही-सही वित्तीय आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, परंतु साक्ष्य कहते हैं कि आधी से अधिक योजनाएं अपने प्रीमियमों से उनको चलाने योग्य धन प्राप्त कर लेती हैं। उगाहे गए प्रीमियमों से वे दावों के निपटारे के अलावा प्रशासकीय व्यय भी वहन कर लेती हैं। इन सीएचआई योजनाओं को बाहरी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। शेष 40 प्रतिशत सीएचआई योजनाएं बाहरी स्रोतों, या तो सरकार से या दानदाताओं से, संसाधन जुटाती हैं और प्रीमियम की आय से जो कमी रह जाती है उसकी भरपाई करती हैं। यह पूरक राशि कुल परिचालन लागत की 25 से 50 प्रतिशत तक की कमी को पूरा करती है। इस प्रकार आधे से अधिक सीएचआई योजनाएं आत्मनिर्भर हैं - या व्यवहार्य। यह एक अलग बात है कि उनके पास ज्यादा आरक्षित राशि नहीं है, या फिर उनकी उगाही और देनदारी का अनुपात सही न हो। इस सबके बावजूद मैं यह दोहराना चाहूंगा कि हम समाज के उन गरीब तबकों की बात कर रहे हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहे हैं। उनसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लागत का संपूर्ण खर्च वहन करने की आशा करना न तो न्यायसंगत होगा और न ही स्वीकार्य। खासकर तब जब सरकार अमीरों को मेडीक्लेम पॉलिसियों के जरिये करों में छूट देकर मदद देती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार इन सीएचआई योजनाओं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करे ताकि वे वित्तीय रूप से दीर्घजीवी बन सकें और गरीबों के स्वास्थ्य की देखभाल का वित्तीय भार सरकार और समुदाय दोनों मिलकर वहन कर सकें।

परंतु व्यवहार्यता का एक और पहलू संस्था के तौर पर उसकी उसकी व्यावहारिक सफलता से जुड़ा है। अर्थात, क्या सीएचआई योजनाएं प्रशासकीय और संस्थागत रूप में किसी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का प्रबंध संभाल सकती हैं? यही वह बिंदु है जहां सीएचआई मौजूदा स्वास्थ्य बीमा कंपनियों पर भारी पड़ती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सभी सीएचआई योजनाओं का प्रबंधन स्वैच्छिक संगठन ही संभालते हैं जिनको विकास के क्षेत्र

में काम करने का वर्षों का अनुभव होता है। सीएचआई योजना पर अमल करने के लिये उनके पास आवश्यक बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन भी होते हैं। अधिकांश सीएचआई योजनाओं की अपनी विशिष्ट जनसंख्या होती है जिसके साथ उनका संबंध बहुत बढ़िया होता है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के उत्पादों का विकास पूर्व में हासिल किए गए भरोसे की बुनियाद पर ही होता है। अत: स्वैच्छिक संगठनों के लिये उत्पादों के वितरण, प्रीमियम वसूलने और दावों को निपटाने में बड़ी आसानी होती है। समुदाय के प्रतिनिधि ही उत्पादों का विक्रय और सेवा कर लेते हैं। तकनीकी शिक्षा की अपनी कमी को वे अपने उत्साह और प्रतिबद्धता से दूर कर लेते हैं। यही कारण है कि अधिकांश सीएचआई योजनाओं में उनके लक्षित समुदाय के करीब 30 से 40 प्रतिशत लोग सदस्य होते हैं। ग्राहकों की संतुष्टि की निगरानी नियमित फीडबैक से होती रहती है। धोखाधड़ी जैसे जोखिमों और नैतिक गड़बड़ियों को सामाजिक ऑडिट के जरिये नियंत्रित किया जाता है। अधिकांश सीएचआई योजनाओं में लेखा, हिसाब-किताब रखने वाले अनुभवी लोग होते हैं। आजकल कंप्यूटर के युग में यह और भी आसान हो गया है। पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले ऐसे युवाओं का मिलना मुश्किल नहीं है, जो पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) में बीमा के आंकड़े भर सकें। थोड़ा-सा प्रशिक्षण देने और स्पष्ट संकेतकों के विकास से इन योजनाओं की निगरानी को और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। सभी सीएचआई योजनाओं ने प्रतीक्षा अवधि, निश्चित संग्रह अवधि, वृहद भर्ती इकाइयां, रेफरल प्रणालियां सह भुगतान पद्धतियां शुरू की हैं, जिससे गलत चयन और नैतिक गड़बड़ियों के जोखिम को कम किया जा सका है। यह इन सीएचआई योजनाओं की बेहतर तकनीकी महारत का नमूना है, जो किन्हीं किताबों और सिद्धांतों के आधार पर हासिल नहीं की गई है, बल्कि अनुभव और सहज बुद्धि की कक्षाओं में प्राप्त की गई है। सीएचआई योजनाओं की सबसे बड़ी कमजोरी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से मोलभाव करने की उनकी अयोग्यता और देखभाल की लागत और गुणवत्ता को नियंत्रित करना है। इस मामले में अवश्य ही उन्हें बाहरी एजेंसियों या सरकारी मदद की आवश्यकता है। प्रशासकीय जिम्मेदारी को बांटने का अर्थ है प्रशासकीय लागत में भी भागीदारी। अधिकांश सीएचआई योजनाओं का प्रशासकीय व्यय 15 प्रतिशत से भी कम है। अल्प मात्रा के कारोबार को देखते हुए यह प्रशंसनीय ही है। निश्चय ही इससे सीएचआई जैसी गरीबों की रक्षा करने वाली व्यवस्था को आर्थिक रूप से और भी अधिक कार्यकुशल और दक्ष बनाने में मदद मिलती है। क्या ये सीएचआई योजनाएं पारिस्थितिकीय लाभान्वित होता है? सीएचआई योजनाओं की प्रभाविकता को स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता में सुधार लाकर और घर-परिवारों को इलाज के त्रासदायी खर्च से बचा कर ही मापा जा सकता है (कुत्ज़िन, 1998)। यहां भी साक्ष्य बहुत ही कम हैं। 'एकॉर्ड' और 'सेवा' जैसी संस्थाओं पर आधारित अध्ययनों से पता चलता है कि बीमा कराने वालों के लिये, गैर बीमा वाले लोगों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हैं। 'एकॉर्ड' और केकेवीएस में की गई समुदाय आधारित अध्ययनों की प्रारंभिक रिपोर्टों से भी इस निष्कर्ष (देवदासन एन, 2005) की पुष्टि होती है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हमारे देश में सबसे गरीब लोगों के लिये स्वास्थ्य सुविधाएं अत्यंत सीमित हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अध्ययन से पता चलता है कि निम्नतम क्विंटाइल का अस्पताल में इलाज का खर्च उच्चतम क्विंटाइल के मुकाबले सात गुना कम होता है, हालांकि पहले वाले की बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा ही होती है (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, 1998)। अत: सीएचआई अस्पताल में इलाज कराने की वित्तीय बाधाओं को कम कर गरीबों को आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल करने का अवसर देता है।

उपसंहार

मैं इस आलेख का समापन इस धारणा के साथ करता हूं कि भारत में सामुदायिक बीमा योजनाएं एक व्यवहार्य, प्रभावी और समाज के गरीब वर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये उपयुक्त रणनीति है। सरकार या अन्य बाहरी स्रोतों की थोड़ी-सी तकनीकी और वित्तीय सहायता से इन्हें सरलता से आर्थिक रूप से भी व्यवहार्य बनाया जा सकता है। अपनी प्रशासकीय क्षमता और लोगों की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता के फलस्वरूप वे स्वास्थ्य के देखभाल की अनेक जरूरतों को पूरा करने वाले उपयुक्त उत्पादों को पेश करने में सक्षम हैं। यद्यपि सरकारी अधिकारी और टेक्नोक्रैट इस तथ्य को लेकर मीन-मेख निकालेंगे कि ये सब छोटे प्रयास हैं और भारत के करोड़ों लोगों की समस्याओं का हल नहीं हैं, तथापि हमें उन्हें उन छोटी-छोटी बूंदों के रूप में देखना होगा जो एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान करती हैं। वह लक्ष्य है सार्वभौमिक कवरेज - सभी लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा। भारत में अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं, अत: सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा की छतरी तले लाने हेतु हमें विविध प्रकार की रणनीति अपनानी होगी। इस संदर्भ में, सीएचआई उन रणनीतियों में से एक है। इसकी खामियां निकालने की बजाय सरकार को सीएचआई योजनाओं की सहायता और समर्थन के लिये सक्रिय रूप से कोई तरीका खोजना चाहिये। इससे आबादी के कम से कम एक वर्ग की देखभाल तो हो सकेगी। इसी के साथ सरकार को उस सामाजिक पूंजी को कम करके भी नहीं देखना चाहिए जो सीएचआई योजनाओं के रूप में कालांतर में खड़ी हुई है। ❑

(लेखक श्रीचित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलाजी, तिरुवनंतपुरम और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, एंटवर्प, बेल्जियम में रिसर्च एसोसिएट हैं)

PATANJALI

उनके लिए – जो सिविल सेवा की तैयारी प्रारम्भ कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो सुधार चाहते हैं।

दर्शनशास्त्र की तैयारी हेतु समर्पित भारत का विशेषज्ञ संस्थान

साक्षात्कार U.P.S.C.

धर्मेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कृष्णन, कमल देव, सुजीत सिंह एवं अभय कुमार (चयनित) के कुशल निर्देशन में ...

साक्षात्कार अंक–240

..... जानिये उनके द्वारा जिन्होंने साक्षात्कार में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

साक्षात्कार में प्राप्त अंक

अभय कुमार	(I.R.S.)	-	240
विकास वैभव	(I.P.S.)	-	225
राजेश प्रधान	(I.P.S.)	-	210
मनु टेन्टीवाल	(I.R.S.)	-	210
राजीव शुक्ला	(DANICS)	-	186
रमाकान्त गुप्ता	(I.P.S.)	-	178 *

संस्थान से सम्बद्ध अन्य सफल अभ्यर्थी

बिपिन कुमार मिश्रा (U.P.P.C.S. Topper)
अमृतेन्दु शेखर ठाकुर (B.P.S.C. Topper)
जगदीश प्रसाद मीणा (I.A.S.), फूलचंद मीणा (I.A.S.)
डॉ. प्रदीप सिंह राजपुरोहित (I.F.S.)
शालिनी अग्रवाल (I.A.S.)
अखिलेश मीणा (I.P.S.), अरविन्द कुमार (I.R.S.)
ओ. पी. चौधरी (I.A.S.), विक्रान्त पाण्डे (I.A.S.)
दीपक कुमार (I.P.S.), सुकेश कुमार जैन (I.P.S.)
वाचस्पति त्रिपाठी (I.R.S.), आनन्द कुमार (I.R.S.)

*उपरोक्तमेंसेअधिकतरचयनितअधिकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे।

प्रथम चरण (कक्षा-कार्यक्रम)

- *राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम*
- *समसामयिक सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दे*
- *भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति*
- *आर्थिक घटनाक्रम, समस्याएँ, समाधान*
- *रूचियों एवं अभिरूचियों पर सम्यक् विवेचन*

द्वितीय चरण

- *व्यक्तिगत छद्म साक्षात्कार (Mock Interview-3)*
- *प्रत्येक प्रयास का मूल्यांकन एवं अपेक्षित सुझाव*
- *सामूहिक छद्म साक्षात्कार*
- *चयनित उम्मीदवारों से वार्ता एवं समस्या-समाधान*

तृतीय चरण

- *'Motivation' सत्र*
- *तार्किक दृष्टिकोण, सटीक अभिव्यक्ति, एवं आत्मविश्वास बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय।*

बोर्ड के सदस्य

- वरिष्ठ एवं हाल के वर्षों में चयनित प्रशासनिक अधिकारी
- विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, शिक्षाविद् एवं मनोवैज्ञानिक
- साक्षात्कार बोर्ड के अन्य सभी सदस्यों को साक्षात्कार का अनुभव

प्रारंभिक परीक्षा 'Test Series Programme'

1. *दर्शनशास्त्र*
2. *राजनीतिशास्त्र*
3. *इतिहास*
4. *सामान्यअध्ययन*

प्रारंभ मार्च एवं अप्रैल

सत्र प्रारम्भ : मुख्य परीक्षा परिणाम के तत्काल बाद

PATANJALI

2580, Hudson Line, Kingsway Camp, Delhi-110009
Phone : 011-30966281, Mob. : 9810172345

ग्रामीण बाज़ार : अभी लंबा है सफ़र

○ नरेन एन. जोशी

लगभग 74 करोड़ 20 लाख लोगों वाला भारत का ग्रामीण बाजार, संभवत: विश्व का सबसे अधिक संभावनाओं वाला बाज़ार है। राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) की 2002 में प्रकाशित रिपोर्ट (आईएमडीआर) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिघर वार्षिक आय 56,360 रुपये तक पहुंच गई है। इसके साथ ही जीवनशैली और उपभोग की आदतों में भी ग्रामीणों की इच्छाओं में बदलाव दिखाई दे रहा है। इसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में बाज़ार की विपुल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के बाजार में बड़े पैमाने पर प्रवेश के मार्ग में बाधक प्रतीत हो रही हैं। वे हैं –

- ग्रामीण उपभोक्ता के बारे में उपयुक्त समझ की कमी
- ग्रामीण बाजारों के बारे में अपर्याप्त आंकड़े 6 लाख 40 हजार ग्रामों में सेवाओं/उत्पादों को पहुंचाना
- बुनियादी ढांचे की कमी
- अपेक्षाकृत रूप से साक्षरता का नीचा स्तर और
- जनसंचार माध्यमों की अपेक्षत: कम पहुंच।

इसलिये बीमा क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई खास पहचान नहीं बना सका है। हालांकि वर्ष 2000 में ही बीमा क्षेत्र में उदारीकरण का दौर शुरू हो गया था, लेकिन नवंबर 2000 में पहली निजी बीमा कंपनी के प्रवेश के बावजूद भारत में बीमा बाजार का आर्थिक विस्तार नहीं हो सका है। केवल शहरी क्षेत्रों में ही बीमा बाजार सीमित रह गया है। भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में बीमा अभी भी भली-भांती नहीं पहुंचा है। हालांकि उदारीकरण के बाद इसमें कुछ सुधार दिखाई दे रहा है और यह सकल घरेलू उत्पाद के करीब 2.8 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया है। इसी प्रकार, उदारीकरण के बाद प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष बीमा प्रीमियम में भी बढ़ोतरी हुई है, परंतु अन्य एशियाई देशों के मुकाबले भारत अभी भी काफी पीछे है।

हमारी आबादी के 70 प्रतिशत लोगों के निवास वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संभावनाएं हैं। परंतु बीमा कंपनियों में आम धारणा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार करना एक महंगा सौदा है। अधिकांश कंपनियां केवल कानूनी खानापूर्ति करने के लिये ही ग्रामीण क्षेत्रों के कारोबार में उतरी हैं और ग्रामीण बाजार में व्यापार की सफलता की संभावना नहीं देख पा रही हैं। जबकि हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी व्यापार की विपुल संभावनाएं इनकी प्रतीक्षा में हैं। बीमा के विपणनकर्ताओं, विशेषकर निजी क्षेत्र वालों को परेशान करने वाले सवालों में से कुछ निम्नानुसार हैं :

क्या ग्रामीण बाजार बीमा क्षेत्र के लिये एक वचन हैं या फिर एक चुनौती? क्या यह एक संभावनापूर्ण चमत्कार सिद्ध होगा या फिर केवल एक मृगतृष्णा? ग्रामीण बाजार को किस तरह परिभाषित किया जाता है? क्या ग्रामीण क्षेत्र में कारोबार की लागत की भरपाई हो पाएगी? क्या ग्रामीण क्षेत्र की वितरण और अदायगी प्रणाली के गठन में भारी निवेश करना वाणिज्यिक रूप से बुद्धिमानी होगी?

फोर्ट में, हम लोग सोचते थे कि यदि इन सवालों का हल निकल सके तो इससे बीमा उद्योग को काफी लाभ मिल सकता है। अत: हम लोगों ने मार्केटिंग एंड रिसर्च टीम (मार्ट) से एक विस्तृत अध्ययन करने को कहा। यह अध्ययन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गोंडा जिलों में तथा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और महबूब नगर जिलों में की गई। इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित थे:

- ग्रामीण ग्राहकों की वित्तीय मामलों, खासकर बचत, ऋण, बैंक डिपॉजिट और बीमा आदि के बारे में मौजूदा ज्ञान को समझना।
- संभावित ग्रामीण ग्राहकों की बीमा पालिसियों की आवश्यकता, स्वीकार्यता और उनको खरीदने की इच्छा के बारे में पता लगाना।
- प्रत्येक संभावित ग्राहक वर्ग की आवश्यकतानुसार उत्पादों/बीमा पॉलिसियों की मूल्य रचना के लिये विस्तृत विपणन कार्यक्रम को तैयार करने हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करना और ग्रामीण बाजार के लिये उपयुक्त संप्रेषण और संचार संदेशों का उन्नयन और विकास।
- प्रत्येक संभावित ग्राहक वर्ग के लिये वितरण रणनीति के विकास हेतु जानकारी जुटाना और ग्रामीण बाजारों के लिये उपयुक्त वितरण सेवाओं का पता लगाना।

अध्ययन से ऐसी जानकारी मिली जो हमारी आंखें खोलने वाली थीं। ग्रामीण लोगों में बचत की अच्छी आदत है। जिन तीन वर्ग के लोगों का अध्ययन किया गया उससे पता चला कि वे अपनी वार्षिक आमदनी का लगभग एक तिहाई हिस्सा बचाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि ज्यादातर लोगों, यहां तक कि पिछड़े क्षेत्रों में रहने वालों को भी, बीमा के बारे में काफी कुछ पता था।

बीमा के लिये भारतीय ग्रामीण बाजार, कोई अनभिज्ञ बाजार नहीं है। लगभग 93 प्रतिशत लोगों को जीवन बीमा के बारे में पता था, जबकि 61 प्रतिशत लोग वाहन और दुर्घटना बीमा से वाकिफ थे। उनमें से 36 प्रतिशत लोगों ने कोई न कोई बीमा पॉलिसी ली हुई थी और इन पॉलिसी लेने वालों में से 38 प्रतिशत लोग और भी पॉलिसी लेने के इच्छुक थे। अध्ययन में पता चला कि उत्तरदाताओं में से आधे से कुछ अधिक लोग

(लगभग 51 प्रतिशत) बीमा उत्पादों (पॉलिसियों) को खरीदने की इच्छा रखते थे। जिन लोगों ने कोई भी बीमा नहीं करा रखा था, उनमें से 62 प्रतिशत लोगों ने पॉलिसी लेने की इच्छा जताई। यदि इन आंकड़ों को विस्तृत धरातल पर देखा जाए तो 74 करोड़ बीस लाख की ग्रामीण जनसंख्या वाले इस देश में संभावित बीमा बाजार को देखकर दिमाग चकरा जाएगा।

हमारे अध्ययन से साफ पता चलता है कि ग्रामीण बाजार एक जीवंत बाजार है और इसमें बीमा व्यवसाय के विकास की विपुल संभावनाएं हैं। बचत की अच्छी आदत, बदलती आकांक्षाएं, शहरी अर्थव्यवस्था के साथ नजदीकी का जुड़ाव और सूचना विस्फोट के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा के प्रति लोगों की जानकारी बढ़ी है।

ग्रामीण क्षेत्र में उज्ज्वल संभावनाओं से उद्योग की निश्चित रूप से बाछें खिल गई होंगी, परंतु उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती वितरण और उसकी सेवा को लेकर है। इस संबंध में, ग्रामीण विकास एजेंसियों, बैंकों, सहकारी संस्थाओं, गैरसरकारी संस्थाओं और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा बिछाए गए विशद नेटवर्क के बारे में, मार्ट के अध्ययन में महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं। रिपोर्ट में बीमा कंपनियों को सलाह दी गई है कि उन्हें परस्पर लाभ के लिये इन कंपनियों के साथ मिलकर कोई सहयोगी, व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। इन संस्थाओं ने बुनियादी ढांचा खड़ा करने में भारी राशि खर्च की है, इसलिये उन्हें सहयोग कर अपने खर्च की कुछ राशि की भरपाई करने में खुशी होगी। बीमा कंपनियां इस तरह अपनी खुद की वितरण और सेवा प्रणाली खड़ी करने में लगने वाले भारी खर्च से बच जाएंगी और कम लागत पर ही मौजूदा नेटवर्क को समर्थ बनाकर अपना काम कर सकेंगी। यह वास्तव में एक अनूठी उत्साहजनक स्थिति है। एक और महत्वपूर्ण मंतव्य यह रहा है कि देश जिस आईटी और दूरसंचार क्रांति से गुजर रहा है, उससे देश का ग्रामीण क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। तकनीकी रूप ग्रामीण लोग काफी जानकार हैं और अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों में उसके उपयोग से गुरेज नहीं करते। कुछ राज्य सरकारों ने भी ग्रामीणों के साथ अपने संव्यवहार में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर थोड़ा बहुत योगदान किया है। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण और शहरी बाजारों के एकीकरण में मदद मिलेगी।

उपर्युक्त निष्कर्षों की पुष्टि के लिये फोर्ट ने जेम्स मार्टिन एंड कंपनी के माध्यम से एक और शोधअध्ययन कराया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक केस स्टडी के माध्यम से वितरण रणनीति विकसित करना इस अध्ययन का उद्देश्य था। इस अध्ययन में जिले में उपलब्ध विभिन्न वितरण और सेवा प्रणालियों की जांच पर विशेष रूप से जोर दिया गया ताकि कम लागत के आधार पर

देश जिस आईटी और दूरसंचार क्रांति से गुजर रहा है, उससे देश का ग्रामीण क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। तकनीकी रूप ग्रामीण लोग काफी जानकार हैं और अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों में उसके उपयोग से गुरेज नहीं करते

रास्ता निकाला जा सके। जिन प्रणालियों का अध्ययन और मूल्यांकन किया गया उनमें बैंक, सहकारिताएं, पंचायत, एजेंट, डाकघर, कंप्यूटर प्रणालियां, औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं, आर्थिक विनिमय बिंदु, दलाल, स्वैच्छिक संस्थाएं और स्व-सहायता समूह शामिल थे। मूल्यांकन का आधार उन प्रणालियों का विस्तार, लक्षित वर्ग पर प्रभाव, भरोसा एवं विश्वसनीयता, व्यापार हासिल करने की क्षमता, सहायक आवश्यकताओं की उपलब्धता, वित्तीय कारोबार संभालने की क्षमता, परिचालन अनुशासन, ग्राहकों की सेवा आदि था। बीमा उत्पादों के वितरण के लिये जिन प्रणालियों माध्यमों की अंतिम रूप से पहचान की गई, वे थीं - पंचायतें, जिला सहकारी बैंक, कृषि एवं डेयरी सहकारिताएं और एजेंट्स। इस अध्ययन में इन प्रणालियों को विस्तृत लागत विश्लेषण के साथ लागू करने का पूरा ब्यौरा दिया गया है जिससे ग्रामीण बाजारों में संभाव्यता को भली-भांति उजागर किया जा सके।

यहां पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक गतिविधि की अविच्छिन्नता की मौजूदगी पर प्रकाश डालना भी आवश्यक लगता है। मझोले किस्म की बस्तियां, जैसे बड़े गांव, कस्बे और तहसील मुख्यालय वाले कस्बे, ग्रामीण शहरों के आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अनेक शहर अतीत के गांवों का विस्तारित अवतार हैं और उन्होंने अपने अनिवार्य ग्रामीण चरित्र को बनाये रखा है। ये शहर अपने अगल-बगल के गांवों के तीव्र आर्थिक विकास के लिये महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं, क्योंकि गांवों को इनसे बाजार की सुविधा और वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। ग्रामीण बाजारों की संभावनाओं को देखते हुए कुछ बीमा कंपनियां, रणनीतिक साझेदारियां और मार्गदर्शी परियोजनाओं के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में उतर रही हैं।

आईएनजी वैस्य ग्रुप इन इंडिया, जिसमें आईएनजी लाइफ इंश्योरेंस, आईएनजी वैस्य बैंक और आईएनजी म्यूचुअल फंड समाहित हैं, की ग्रामीण बाजार का लाभ उठाने की महत्वाकांक्षी योजना है और इसने आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण ग्राहक को कम लागत पर सभी तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, अनुकूलतम ग्रामीण उत्पाद समूहों का आकलन, उत्पादों के वितरण और सेवा संबंधी सभी मामलों के संचालन संबंधी विषयों को एकसूत्र में पिरोना है। मार्गदर्शी परियोजना से मिलने वाले अनुभव को विभिन्न चरणों में अन्य क्षेत्रों में आजमाया जाएगा। आईएनजी वैस्य लाइफ इंश्योरेंस ने अनेक जिला सहकारी बैकों से मिल कर 'सफल जीवन' जैसे विशिष्ट रूप से ग्रामीण उत्पादों को उनकी शाखाओं के नेटवर्क से वितरित करने की योजना बनाई है। नैनीताल बैंक, राजकोट, दक्षिण कनारा, बगलकोट और जोगिन्द्रा सेंट्रल सहकारी बैंक, उन्नति सहकारी बैंक, बागपत शहरी सहकारी बैंक, इंपीरियल सहकारी बैंक, पठानकोट हिंदू शहरी सहकारी

बैंक, नकोदर शहरी सहकारी बैंक आदि अन्य उल्लेखनीय बैंक हैं जिनसे आईएनजी वैस्य लाइफ इंश्योरेंस ने समझौता किया हुआ है।

अवाइवा लाइफ इंश्योरेंस ने बेसिक्स और सेवा जैसी बहुउद्देशीय वित्तीय संस्थाओं के साथ रणनीतिक भागीदारी कर इन संगठनों के जरिये अति लघु स्तर पर बीमा सुविधाएं प्रदान करना शुरू किया है। अवाइवा ने कनारा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, सूरत के प्राइम सहकारी बैंक, जम्मू-कश्मीर के सिटीजन सहकारी बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जम्मू और श्री वारना सहकारी बैंक कोल्हापुर से मिल कर संयुक्त रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ बनाने की योजना बनाई है। इन लोगों ने जनसुरक्षा, अमर सुरक्षा और अनमोल सुरक्षा नाम से अनेक विशेष उत्पाद और अनमोल सुरक्षा नाम से अनेक विशेष योजनाएं शुरू की है। इनकी प्रीमियम दरें काफी कम हैं और इन्होंने 35 हजार से अधिक लोगों का जीवन बीमा ग्रामीण क्षेत्रों में किया है।

टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस ने पूर्ण तथा नयी विपणन रणनीति के साथ एक नवोन्मुखी सूक्ष्म बीमा कार्यक्रम शुरू किया है। इस मिश्रित कार्यक्रम की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- सामाजिक तौर पर पिछड़े तबकों से बीमा सलाहकारों (एजेंटों) की भर्ती कर जीवनयापन के अवसरों का सृजन।
- सलाहकारों के प्रशिक्षण के बारे में नियामक के निर्देशों का पूर्ण पालन।
- ग्रामीण संगठनों के माध्यम से निगरानी और परामर्श।
- उपयुक्त और सहनीय दीर्घावधि मासिक किस्तों की (एमआई) योजनाएं।
- लक्षित बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट प्रचार कार्यक्रम
- कंपनी की समय प्रणाली विकास के साथ मासिक किस्तों का एकीकरण।

यह कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण के चार-चार राज्यों में, कुल मिला कर देश के आठ राज्यों में, चालू है और इस वर्ष के अंत तक 12 राज्यों में लागू हो जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रबंधन विभिन्न ग्रामीण संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, ट्रस्टों, सहकारिताओं, महिला संघों के माध्यम से किया जा रहा है। चालीस से अधिक संगठन/भागीदार वर्तमान में टाटा-एआईजी लाइफ के एमआई कार्यक्रम में शामिल हैं। इनमें से अनेक विकास क्षेत्र के नामचीन संगठन है।

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस बेसिक्स, धर्मस्थल, राजस्थान सरकार, आईटीसीई चौपाल, मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी, माइक्रोक्रेडिट फाउंडेशन ऑफ इंडिया जैसे अपने भागीदारों के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में सघन रूप से कार्यरत है और इन क्षेत्रों में लाखों लोगों को इनकी योजनाएं (उत्पादों) और सेवाएं को पहुंचा रहे हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने 450 गांवों के 2 लाख से अधिक लोगों को अस्पतालों में भर्ती वाली सुरक्षा प्रदान की है। ट्रस्ट के प्रबंधन और स्वसहायता समूहों की निगरानी में चल रहे इस प्रयास को शानदार सफलता मिली है। नेटवर्क के अस्पतालों में नकद भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ ही इलाज की मानक पद्धतियों के लिये एक जैसी फीस की सुविधा भी दी गई है। उन्होंने अस्पतालों में भर्ती होने लायक सभी मामलों को पूर्व में ही अधिकृत करने की प्रणाली भी लागू की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किए गए अनेक सफल प्रयासों के ये कुछ रोचक उदाहरण हैं। इनसे हमारे इस विश्वास को बल मिलता है कि ग्रामीण बाजारों में असीम संभावनाएं हैं। बीमा कंपनियों को ग्रामीण संभावनाओं को इसकी तमाम जटिलताओं और विसंगतियों के साथ ही दोहन करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र के महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के साथ जुड़ कर ही बीमा व्यवसाय की चुनौती का सामना किया जा सकता है। सरकार भी अब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ज्यादा ही जोर दे रही है। प्रसिद्ध उद्योगपति आदी गोदरेज के अनुसार, "ग्रामीण बाजार अब नहीं सो रहा, हम सो रहे हैं।" ❑

(**लेखक** आईएनजी इंश्योरेंस इंटरनेशनल बीवी **के मुख्य प्रतिनिधि हैं**)

लेखकों से अनुरोध

कृपया अपने लेख टाइप करा कर सीडी में भेजें। साथ में एक मूल टंकित प्रति हो। वापसी के लिये टिकट लगा लिफाफा अवश्य संलग्न करें। डाक टिकट लगा लिफाफा संलग्न न होने पर अस्वीकृति की दशा में रचनाएं वापस भेजना संभव नहीं होगा। लेख पर दो या दो से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार न करें। विशेष अवसरों के लिये लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। सभी रचनाएं 'संपादक, योजना' के नाम प्रेषित करें।

- संपादक

1. हम दिल्ली से *योजना* **अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, पंजाबी और उड़िया में**
   कुरुक्षेत्र **हिन्दी और अंग्रेजी में**
   आजकल **हिन्दी और उर्दू में**
   और बच्चों की पत्रिका *बाल भारती* **हिन्दी में** प्रकाशित करते हैं।
2. डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय होना चाहिए।
3. यह कूपन विज्ञापन और प्रसार संख्या प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक 4, लेवल-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 के पते पर भेजिए।
4. सदस्य बनने के लिए आप हमारे निम्नलिखित केन्द्रों पर भी सम्पर्क कर सकते हैं :

   प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पूर्वी खंड-IV रामकृष्ण पुरम, नयी दिल्ली-110001 (दूरभाष: 26105590, तार : सूचनाप्रकाशन * बिक्रीकेंद्र) * सूचना भवन, सीजीओ कॉम्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (दूरभाष: 23890205) * कॉमर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038 (दूरभाष: 22610081) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर, चेन्नई-600070 (दूरभाष: 24917673) * प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकला कॉम्लेक्स, एमजे रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034 (दूरभाष: 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2301823) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-8, अलीगंज, लखनऊ- 226024 (दूरभाष: 2325455) * अंबिका कॉम्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669) * नौजान रोड, उजान बाजार, गुवाहटी-781001 (दूरभाष: 2516792) * द्वारा/पीआईबी, मालवीय नगर, भोपाल-462003 (म.प्र.) (दूरभाष: 2556350) * द्वारा/पीआईबी, बी-7/बी, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302001 (राजस्थान) (दूरभाष: 2384483)
5. शुल्क प्राप्त होने के बाद नियमित रूप से पत्रिका के अंक मिलने शुरू होने में आठ से दस सप्ताह का समय लगता है।

सदस्यता कूपन

❑ नयी सदस्यता ❑ नवीकरण ❑ पता बदलने के लिये

(जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं ..... (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का ❑ वार्षिक (70 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (135 रुपये) ❑ त्रिवार्षिक (190 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम.....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता : .....

.....

.....

पिन.....

नवीकरण/पता बदलने के लिये कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें [ ]

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ इस पते पर भेजें :

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग
ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110066
दूरभाष : 26100207, 26105590

पहली प्रति की प्राप्ति हेतु आठ से दस हफ्ते का समय दें।

जीवन बीमा : जीवन की एक अनिवार्यता

○ हेना नक़वी

जीवन बीमा के बारे में आम धारणा यही है कि यह एक ऐसी धनराशि है, जो व्यक्ति के जीवन रहते काम नहीं आती और इससे मिलने वाला लाभ निवेशित मूलधन के मुकाबले कम होता है। लेकिन अब धारणाएं बदल रही हैं। जीवन बीमा न सिर्फ प्रियजनों की आर्थिक सुरक्षा की एक ढाल है बल्कि घटती ब्याज दरों और आर्थिक नीतियों के परिप्रेक्ष्य में नवीन सुरक्षित निवेश का उपकरण भी है

जीवन विविध प्रकार के ख़तरों और अनिश्चतताओं से भरा पड़ा है। जब तक जीवन है तब तक जीवन में ये ख़तरे भी हैं। दुर्घटनाग्रस्त होने का ख़तरा, अल्पायु में मृत्यु का ख़तरा या किसी जटिल बीमारी का ख़तरा; या यों कहें आशंकाएं सदा जीवन के साथ लगी रहती हैं। वैसे तो इन ख़तरों को टाला नहीं जा सकता मगर इनसे जुड़ी आर्थिक हानियों को ज़रूर कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जीवन की अनिश्चतताओं से जुड़ी इन्हीं हानियों को कम करने के लिये कुछ उपाय निकाले गए हैं जिनमें से एक है जीवन बीमा।

जीवन बीमा एक ऐसा आर्थिक सुरक्षा कवच है जो मानव जीवन के विभिन्न जोखिमों को आच्छादन प्रदान करता है। इसमें अल्पायु में मृत्यु, दुर्घटनाग्रस्त अथवा विकलांग होने की स्थिति में बीमित व्यक्ति के वारिसों को बीमित राशि व उस पर संकलित ब्याज राशि देने का प्रावधान है। बीमित व्यक्ति के न रहने अथवा दुर्घटनाग्रस्त होकर जीविका गंवा देने की स्थिति में यह सुरक्षा कवच उक्त व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सुरक्षा देकर कठिनाइयों से बचाता है।

जीवन बीमा का सिद्धांत व कार्यप्रणाली, दोनों ही सहभागिता के आदर्श पर आधारित हैं। इसके अनुसार एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के इच्छुक व्यक्ति बीमा कंपनी के माध्यम से एक बहुत बड़ा समूह बनाते हैं। समूह के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी अप्रिय घटना की स्थिति में बीमा कंपनी के माध्यम से उसके वारिसों को दी जाने वाली भुगतान राशि समूह के सभी सदस्यों द्वारा थोड़ी-थोड़ी बांट ली जाती है। इससे उस परिवार की आर्थिक कठिनाइयां भी कुछ कम हो जाती हैं। भुगतान राशि आपस में बांट लेने के कारण किसी पर कोई बोझ भी नहीं पड़ता। बीमा कंपनी बीमित व्यक्तियों के साथ एक दीर्घकालीन अनुबंध करती है जिसके तहत कंपनी उन व्यक्तियों से बीमित राशि की क़िस्तें लेती है और उनके साथ हुई किसी अप्रिय घटना (मृत्यु, अपंगता)की स्थिति में उनके वारिसों को मृत्यु लाभ अथवा योजना की परिपक्वता की स्थिति में जीवन लाभ देती है।

कुछ समय पहले तक बाजार में जीवन बीमा की केवल मृत्यु लाभ देने वाली ही योजनाएं उपलब्ध थीं। यानी बीमित व्यक्ति कभी भी अपनी जोड़ी हुई राशि का लाभ स्वयं नहीं ले पाता था। मगर बदलते समय की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप आज बाज़ार में ऐसी योजनाएं उपलब्ध हैं, जो बीमित व्यक्ति व उसके परिवार का आज व कल दोनों ही सुरक्षित करती हैं, उसके रहने या न रहने दोनों ही स्थितियों में। जीवन कवच के अतिरिक्त अब पूंजी निवेश व पेंशन सुरक्षा देने वाली योजनाएं भी बाजार में मौजूद हैं। जीवन बीमा की इस आधुनिक अवधारणा पर आधारित योजनाओं को संक्षेप में पिप्स (PIPS) के रूप में जाना जाता है, जिसके प्रथम 'पी' का तात्पर्य प्रोटेक्शन अर्थात सुरक्षा, 'आई' इंवेस्टमेंट अर्थात निवेश, दूसरे 'पी' का तात्पर्य पेंशन तथा 'एस' का तात्पर्य 'सेविंग' अर्थात बचत से है। इस परिवर्द्धित स्वरूप के अनुसार जीवन बीमा का अर्थ अब केवल मृत्यु के बाद प्राप्त राशि ही नहीं है बल्कि अब इसमें आर्थिक सुरक्षा के अन्य उपायों जैसे पेंशन व म्यूचुअल फंड आदि का समावेश भी किया गया है।

भारत में जीवन बीमा कराए जा सकने वाली जनसंख्या में से मात्र 2 प्रतिशत जनसंख्या ही बीमित है और इस संख्या में भी अधिकांश के पास आवश्यकता से कम धनराशि का बीमा है। कारण है इस बारे में जागरूकता और समुचित प्रयासों की कमी। जीवन बीमा के बारे में आम धारणा यही है की जो पैसा मरने के बाद मिले वह किस काम का। मगर अब जीवन बीमा के आधुनिक स्वरूप 'पिप्स' के आधार पर इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है। जीवन बीमा पेंशन पालिसियों में पूंजी निवेश व पेंशन जैसे तत्वों के समावेश के कारण जीवन बीमा को बच्चों की शिक्षा अथवा शादी के लिये पूंजी जोड़ने व सुरक्षित बुढ़ापे के लिये पेंशन पाने के आर्थिक उपायों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारत में बीमा को निजी क्षेत्र के लिये खोल दिया गया है। यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि निवेशकों की जमा राशि कहां तक सुरक्षित होगी? केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश के साथ ही बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन आइआरडीए एक्ट 1999 के तहत वर्ष 2000 में किया है। अब सभी कंपनियां संवैधानिक रूप से इस संस्था के नियंत्रण में हैं तथा इसके द्वारा पारित आदेशों को मानने के लिये बाध्य

क्या है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की जीवन बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली में एकरूपता लाने और निवेशकों के निवेश को रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने आइआरडी एएक्ट, 1999 के तहत बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की है। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य तथा चार अंशकालिक सदस्यं हैं। प्राधिकरण की शक्तियों, कर्तव्य और कार्य निम्नलिखित हैं:

1. बीमा एवं पुनर्बीमा व्यवसाय को विनियमित, प्रोत्साहित और सुनियोजित करना।
2. बीमा कंपनियों के पंजीकरण, उनके नवीकरण, संशोधन, निरस्तीकरण और निलंबन का अधिकार।
3. निवेशकों (पॉलिसी धारकों) को पॉलिसी प्रदान करने, उनके नामांकन, सुनिश्चित ब्याज, दावों का निस्तारण, बीमा समर्पित करने पर धनराशि की वापसी और अन्य शर्तों के निर्धारण का अधिकार।
4. बीमा कंपनियों, मध्यस्थों व एजेंटों के प्रशिक्षण के लिये दिशा-निर्देश आचार संहिता निर्धारित करने का अधिकार।
5. सर्वेयर तथा नुकसान का आकलन करने वालों के लिये आचार संहिता के निर्धारण का अधिकार।
6. बीमा व्यवसाय में दक्षता को प्रोत्साहन।
7. बीमा तथा पुनर्बीमा व्यवसाय से जुड़ी पेशेवर संस्थाओं को प्रोत्साहन देना व उनके लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
8. बीमा व्यवसाय से जुड़े लोगों व संस्थाओं की जांच का अधिकार।
9. बीमाकर्ताओं के लिये बीमा दरों, लाभ, नियम व शर्तें तय करने का अधिकार।
10. बीमा कंपनियों के लेखे के रख-रखाव के तरीके निर्धारित करने का अधिकार।
11. बीमा कंपनियों द्वारा निवेशित धन का विनियमीकरण।
12. बीमाकर्ताओं, एजेंटों व मध्यस्थों के बीच किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करने का अधिकार।
13. दर निर्धारण का पर्यवेक्षण।
14. बीमा कंपनियों द्वारा जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा व्यवसाय में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र का प्रतिशत तय करना।

हैं। प्राधिकरण का काम बीमा क्षेत्र की कंपनियों को नियंत्रित करना व बीमाधारकों के हितों की रक्षा करना है। इन उपायों के तहत अब बीमा कंपनियों को आइआरडीए से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, मगर इस लाइसेंस को पाने के पहले प्रत्येक कंपनी को रिज़र्व बैंक में एक निश्चित धनराशि प्रतिभूति के तौर पर जमा करना अनिवार्य है ताकि कंपनी के दिवालिया हो जाने या अन्य किसी अकस्मात परिस्थिति में भी बीमाधारकों का हित और धनराशि सुरक्षित रह सके। इसलिये अब बीमाधारक निश्चिंत होकर बीमा क्षेत्र की किसी भी कंपनी में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनके हितों की रक्षा करना अब सरकार यानी आइआरडीए की ज़िम्मेदारी है।

जीवन बीमा का एक और क्षेत्र जिसमें जागरूकता-निर्माण की आवश्यकता है, वह है निजी कंपनियां। चिटफंड कंपनियों के बुलबुले के फूटने के बाद लोगों का विश्वास निजी निवेश कंपनियों से उठने लगा था। लेकिन सरकार द्वारा इस दिशा में कड़े दिशा-निर्देश अपनाए जाने और सुरक्षात्मक उपाय किये जाने के कारण अब यह आशंका समाप्त है कि कोई निजी निवेशक कंपनी निवेशकों के पैसे का दुरुपयोग करे या फिर उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। आइआरडीए की स्थापना भी इन्हीं सुरक्षात्मक उपायों का हिस्सा है।

भारतीय बीमा क्षेत्र का एक कटु सत्य यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीमित जनसंख्या का प्रतिशत नगण्य है। कारण अनेक हैं- ग्रामीणों की निर्धनता, जानकारी और जागरूकता की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सेवाओं के प्रसार की कमी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अविकसित स्थिति को ध्यान में रखते हुए गांवों में बीमा सेवाओं की अधिक आवश्यकता है। इसी आवश्यकता के मद्देनज़र आइआरडीए ने सभी बीमा कंपनियों को ग्रामीण जनता के जीवन बीमा के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं जिनके तहत इन कंपनियों को प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में ग्रामीण जनता का बीमा करना अनिवार्य है। इसे इन कंपनियों की सामाजिक ज़िम्मेदारी का नाम दिया गया है। आइआरडीए के दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप जीवन बीमा कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयासरत हैं। इन प्रयासों के तहत स्वसहायता समूहों के सदस्यों की जीवन बीमा एक प्रमुख योजना है जो स्वसहायता समूह के सदस्यों का वैयक्तिक तौर पर बीमा करती है। अत्यल्प किस्तों पर आधारित इस योजना में बीमित सदस्यों को मृत्यु व जीवन लाभ दोनों ही देने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुरक्षा के आच्छादन को बढ़ावा देगी।

बीमा क्षेत्र में आए इन सकारात्मक परिवर्तनों के कारण आने वाले समय में इस क्षेत्र की बेहतर स्थिति की आशा की जा सकती है। मगर सरकार की नीतियों में परिवर्तन ही काफी नहीं है। इसके लिये ज़रूरी है, हमारी अपनी सोच में बदलाव ताकि बीमे को एक पूंजीनिवेश के साधन के रूप में व्यापक स्तर पर अपनाया जा सके न कि मरने के बाद मिलने वाला धन समझ कर इसकी ओर से आंखें बंद कर ली जाय। यह एक छोटा-सा परिवर्तन ही इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है। ❑

(लेखिका पीटीआई की संवाददाता हैं)

भारत-अमरीका संयुक्त वक्तव्य

गत 2 मार्च, 2006 को जारी भारत-अमरीका संयुक्त वक्तव्य के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

हमारे दोनों देश स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, राष्ट्रीय विविधता के अनुष्ठानों, मानवीय सृजनात्मकता और नवाचार, समृद्धि और आर्थिक अवसरों में विश्वव्यापी वृद्धि, सहिष्णुता, आतंकवाद के साझा खतरे और व्यापक विनाश के हथियारों से परस्पर सुरक्षा को विस्तार दिए जाने की अभिलाषा से जुड़े हुए हैं। अमरीका और भारत के रिश्तों की कामयाबी से नयी शती में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के भावी विकास पर निर्णायक और सार्थक प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दोनों देशों के बीच पनप रहे संबंधों को और ऊंचाई तक ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। इसी लक्ष्य को लेकर दोनों नेता निम्नलिखित क्षेत्रों में अमरीका और भारत द्वारा मिल कर किए जाने वाले प्रयासों पर जोर देना चाहते हैं :

आर्थिक समृद्धि और व्यापार हेतु

(1) राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के अनुकूल व्यावसायिक वातावरण के विकास को सघन बनाने के निम्नांकित प्रयासों के लिये सहमत हैं :

1. अमरीका-भारत सीईओ फोरम की रिपोर्ट का स्वागत करने, हमारे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की सहमति और भारत-अमरीका आर्थिक संवाद के अध्यक्षों को सीईओ फोरम की सिफारिशों पर तेजी से अमल करने के निर्देश देने हेतु।

2. भारत-अमरीका व्यापार नीति फोरम का तीन वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य को देखते हुए व्यापार और निवेश के अवरोधों में कमी लाने के प्रयासों को समर्थन देने हेतु।

3. परस्पर लाभदायक द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2006 में सरकारी और निजी क्षेत्र के उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर विदेशी निवेशों के संवर्धन और उन्नयन और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के प्रयासों को आगे बढ़ाकर सामान और सेवा व्यापार से शुल्कीय और गैरशुल्कीय अवरोधों जैसे विविध विषयों पर द्विपक्षीय चर्चाओं को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रणाली के अवैध उपयोग को रोकने की सहमति देने हेतु।

हमारे विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और व्यापार जगत को कृषि शिक्षा, संयुक्त अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण परियोजनाओं को समर्थन देने और उन्हें परस्पर एक-दूसरे से तीन वर्षों तक जोड़ने की प्रतिबद्धता के साथ नॉलेज इनिशियटिव ऑन एग्रीकल्चर (कृषि हेतु ज्ञान के आदान-प्रदान की पहल) को शुरू करके।

भारतीय आमों के लिये अमरीकी बाजार को खोलने, अमरीका के औषधि कानून (यूएसडीए) के जैविक मानदंडों के अनुसार भारतीय उत्पादों के निर्यात को प्रमाणित करने के बारे में भारत के अधिकार को मान्यता देने और ताजे फलों एवं सब्जियों, पोल्ट्री व डेयरी उत्पादों और बादाम के व्यापार पर प्रभाव डालने वाले मौजूदा कानूनों पर चर्चा कर कृषि में द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करने की तयशुदा कार्ययोजना संबंधी समझौतों को समर्थन देकर:

(3) कृषि में सहयोग में वृद्धि की इच्छा जताई। 2006 की समाप्ति के पूर्व डब्ल्यूटीओ दोहा विकास एजेंडे को पूर्णता प्रदान करने के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मिल कर काम करने पर सहमति व्यक्त की।

ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण हेतु:

(1) भारत के पृथकीकरण योजना पर बातचीत के सफलतापूर्वक संपन्न होने का स्वागत किया और परमाणु सहयोग पर 18 जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य में निहित वचनों के पूर्ण क्रियान्वयन की प्रतीक्षा है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे दोनों देशों को पूर्णत: असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग के साझे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह सहयोग न केवल भारत और अमरीका तक ही सीमित रहेगा बल्कि भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच भी होगा।

(2) पूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग के लक्ष्य की ओर एक और कदम के रूप में ऊर्जा के फ्यूजन (संलयन) के प्रायोगिक पहलू आईटीईआर (अंतरराष्ट्रीय तापीय प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर) में भारत की भागीदारी का स्वागत किया।

(3) लगभग शून्य प्रदूषणकारी कोयले की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु नयी, व्यावासायिक रूप से संभाव्य प्रौद्योगिकी वाली अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक-निजी भागीदारी- फ्यूचर जेन में भारत को शामिल किए जाने पर सहमति जताई। भारत इस परियोजना में आर्थिक योगदान करेगा और इस पहल की सरकारी संचालन समिति में भाग लेगा।

(4) स्वच्छ विकास एवं जलवायु पर एशिया प्रशांत भागीदारी, जो ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चिंताओं के समाधान हेतु धारणीय विकास और बढ़ी हुई ऊर्जा जरूरतों को प्राप्त करने में भारत और अमरीका को क्षेत्र के अन्य देशों के साथ

(शेष पृष्ठ33 पर)

बंद नहीं किया जाएगा सामरिक परमाणु कार्यक्रम : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने इस बात पर जोर देते हुए कि न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक कार्यक्रम को जारी रखने की भारत की क्षमता पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं, संसद को भरोसा दिलाया कि भारत-अमरीका परमाणु समझौता और असैन्य एवं सैनिक परमाणु सुविधाओं के पृथकीकरण का देश के सामरिक कार्यक्रम पर किसी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। डा. सिंह ने कहा कि सामरिक उद्देश्य के लिये नयी सुविधाओं के निर्माण के भारत के अधिकार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।

परमाणु सिद्धांत

प्रधानमंत्री ने कहा कि "हमारे परमाणु सिद्धांत की समग्रता और न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोधी कार्यक्रम को जारी रखने की हमारी क्षमता पर्याप्त रूप से संरक्षित है।" उन्होंने घोषणा की कि 'सायरस'(कनाडा- भारतीय-अमरीकी) रिएक्टर को 2010 में स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। अप्सरा रिएक्टर का ईंधन स्रोत फ्रांस से खरीदा गया था और सरकार इसे इसके मौजूदा स्थान से हटाने को तैयार है। इसे 2010 में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा मानकों के अधीन कर दिया जाएगा।" सायरस और अप्सरा दोनों रिएक्टर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्थित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि "उच्च महत्व वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सुविधा में ताक-झांक को अनुमति देने की बजाय हमने यह कदम उठाने का निर्णय लिया है। हम इस बात को लेकर हठनिश्चित हैं कि इन कदमों से हमारे मौजूदा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं आएगी।"

नाभिकीय पृथकीकरण योजना

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने मंगलवार को संसद में अमरीका के साथ हुए समझौते के तहत भारत के नाभिकीय सुविधाओं के पृथकीकरण की जो योजना पेश की, उसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

1. तापीय ऊर्जा रिएक्टर : भारत 2006 से 2014 के बीच 14 तापीय ऊर्जा रिएक्टरों के चिह्नित कर उनको आईएईए के सुरक्षा नियमों के अधीन ले आएगा। देश में इस समय निर्माणधीन या काम कर रहे तापीय ऊर्जा रिएक्टरों की संख्या 22 है। उनमें से 14 को 2014 तक चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा नियमों के अधीन कर दिया जाएगा। इससे सुरक्षाधीन तापीय रिएक्टरों की स्थापित तापीय ऊर्जा क्षमता मेगावाट में मौजूदा 19 प्रतिशत से बढ़ कर 2014 तक 65 प्रतिशत हो जाएगी।

2. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर : भारत प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर पर सुरक्षा नियम स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। ये दोनों रिएक्टर कलपक्कम में स्थित हैं। फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम अनुसंधान और विकास के चरण में है। इस प्रौद्योगिकी के परिपक्व होने और विकास के अग्रिम चरण तक पहुंचने में समय लगेगा।

3. भावी रिएक्टर: भारत ने निर्णय लिया है कि भविष्य के सभी असैन्य तापीय ऊर्जा रिएक्टरों और असैन्य ब्रीडर रिएक्टरों को सुरक्षा नियमों के अधीन रखा जाएगा और उन्हें असैन्य रिएक्टर घोषित करने का अधिकार केवल भारत सरकार के पास ही रहेगा।

4. शोध रिएक्टर : भारत सायरस रिएक्टर को 2010 तक स्थायी रूप से बंद कर देगा। अप्सरा ईंधन स्रोत फ्रांस से खरीदा गया था। हम इसे इसके मौजूदा स्थान से हटाने और 2010 तक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के अधीन लाने को तैयार हैं।

5. अपस्ट्रीम सुविधाएं : निम्नलिखित अपस्ट्रीम सुविधाओं को असैन्य सुविधाएं मानते हुए उन्हें पृथक कर दिया जाएगा :

(क) नाभिकीय ईंधन परिसर (न्यूक्लियर फ्युल कांपलेक्स) में स्थित विशिष्ट सुविधाओं, जिनको 2008 तक सुरक्षा नियमों के अधीन किया जाएगा, उनके बारे में अलग से इंगित किया जाएगा।

(ख) थाल, तूतीकोरिन और हजीरा के गुरुजल उत्पादन संयंत्रों को 2006 से 2009 के बीच असैन्य उपयोग वाली श्रेणी में डाला जाना है। हम इन्हें सुरक्षा नियम उपायों के तहत लाना उचित नहीं समझते।

6. डाउन स्ट्रीम सुविधाएं : निम्नांकित सुविधाओं को असैन्य सुविधाओं के रूप में चिह्नित कर अलग कर दिया जाएगा :

(क) भारत तारापुर ऊर्जा रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र के मामले में 2010 के बाद अभियान रूप में सुरक्षा नियमों को स्वीकार करने को तैयार है।

(ख) तारापुर और राजस्थान के रिएक्टरों से परे प्रयुक्त ईंधन भंडारों को 2006 से 2009 के बीच उपयुक्त चरणों में सुरक्षा नियमों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

7. शोध सुविधाएं : भारत अधोलिखित सुविधाओं को असैन्य घोषित कर देगा:

(क) टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान,
(ख) वैरियेबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर,
(ग) साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान,
(घ) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान,
(ड.) भौतिकी संस्थान,
(छ) टाटा मेमोरियल सेंटर,
(ज) बोर्ड ऑफ रैडिएशन और आइसोटोप टेक्नोलॉजी तथा
(झ) हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान

ये सुविधाएं सुरक्षा नियमों के लिये अप्रासंगिक हैं। हमें आशा है कि ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग में प्रमुख भूमिका निभाएंगी।

8. सुरक्षा नियम: (क) अमरीका ने अपने इस आश्वासन की भी पुष्टि की है कि वह भारत के इन रिएक्टरों के लिये ईंधन की पूर्ण

और आश्वस्त आपूर्ति के वास्ते आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करेगा। 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य के अनुसार अमरीका घरेलू कानूनों में परिवर्तन हेतु कांग्रेस से सहमति प्राप्त करने के लिये वचनबद्ध है। वह नाभिकीय आपूर्तिकर्ताओं के समूह (न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप) के नियमों को समायोजित करने हेतु मित्रों और सहयोगियों के साथ सहयोग करने के लिये भी वचनबद्ध है, जिससे ऐसी परिस्थितियां बन सकें कि भारत को परमाणु ईंधन की अपनी आवश्यकता विश्व बाजार से प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो और विभिन्न देशों की आपूर्ति फर्मों से बिना किसी दिक्कत के निरंतर ईंधन मिलता रहे। यात्रा के दौरान बनी औपचारिक सहमति में इसको स्पष्ट किया गया है और पृथकीकरण योजना में शामिल कर लिया गया है।

(ख) भारत को ईंधन आपूर्ति में किसी भी अवरोध को समाप्त करने के लिये अमरीका निम्नांकित अतिरिक्त कदम उठाने को तैयार है :

(i) नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में भारत और अमरीका के द्विपक्षीय समझौते में ईंधन आपूर्ति संबंधी आश्वसानों को शामिल करना। इसके बारे में आगे वार्ता होगी।

(ii) अमरीका भारत को ईंधन आपूर्ति के खास तरह के समझौते के लिये आईएईए से बातचीत करने के मुद्दे पर भारत का साथ देगा।

(iii) भारत के रिएक्टरों के जीवनकाल में ईंधन की आपूर्ति में किसी बाधा से बचाव के लिये नाभिकीय ईंधन का सामरिक आरक्षित भंडार बनाने के प्रयास में अमरीका भारत का समर्थन करेगा।

(iv) इन व्यवस्थाओं के बावजूद यदि भारत को ईंधन की आपूर्ति बाधित होती है तो भारत और अमरीका मिल कर मित्र आपूर्तिकर्ता देशों का समूह बना कर उसमें रूस, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों को शामिल करेंगे, जिससे ऐसे उपाय किये जा सकें जो भारत को ईंधन की आपूर्ति पुन: शुरू कर सकें।

(v) अमरीका के साथ उपर्युक्त सहमति के प्रकाश में भारत और आईएईए के बीच भारत के लिये विशिष्ट सुरक्षा नियमों वाले समझौते की बातचीत की जाएगी।

सार यह है कि विशेष तौर पर भारत के लिये सुरक्षा नियम समझौते से एक ओर तो यह किसी भी समय असैन्य उपयोग से परमाणु सामग्री निकालने के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा, दूसरी ओर विदेशी ईंधन आपूर्ति में बाधा आने की स्थिति में अपने रिएक्टरों को निर्बाध रूप से चलाने के लिये भारत को सुधारात्मक उपाय करने की अनुमति रहेगी। ❑

(पृष्ठ 31 से आगे)

मिलकर काम करने का अवसर देगा, के गठन का स्वागत किया। यह भागीदारी विकास, विवरण, विस्तार और स्वच्छ, कम लागत वाली तथा अधिक कार्यकुशल प्रौद्योगिकियों और व्यवहारों के उन्नयन में सहयोग करेगी।

(5) गैस हाइड्रेट्स जैसे दीर्घकालीन ऊर्जा समाधानों में योगदान करने वाले अंतरराष्ट्रीय सामुदिक अनुसंधान प्रयास-एकीकृत सागर खनन कार्यक्रम में भारत की रुचि का स्वागत किया।

(6) भारत-अमरीका ऊर्जा संवाद के अधीन सार्थक सहयोग को देखते हुए ऊर्जा की कार्यक्षमता और प्राकृतिक गैस पर संयुक्त रूप से सम्मेलनों के आयोजन नवीकरणीय ऊर्जा पर अध्ययन मिशन के संचालन/ कोयला खानों की तल में स्थित मीथेन के लिये भारत में क्लीयरिंग हाउस (शोधन गृह) की स्थाना और ऊर्जा बाजार संबंधी सूचना के आदान-प्रदान करने की योजनाओं पर जोर दिया गया।

नवाचार और ज्ञान अर्थव्यवस्था हेतु

(1) ज्ञान आधारित सहभागिता के महत्व पर बल देते हुए द्विराष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना की घोषणा की, जिसके लिये भारत और अमरीका मिल कर धन की व्यवस्था करेंगे। इससे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहभागिता का जन्म होगा और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा।

(2) इस बात पर सहमति व्यक्त की कि अमरीका और भारत जीवंत बौद्धिक संपदा अधिकारों की व्यवस्था की सुविधा प्रदान कर नवाचार, सर्जनात्मकता और औद्योगिक उन्नति के लिये संयुक्त रूप से काम करेंगे और क्षमता निर्माण गतिविधियों, मानव संसाधन विकास और लोक चेतना कार्यक्रमों को शामिल करने हेतु बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग करेंगे।

(3) अंतरिक्ष खोज, उपग्रह दिग्दर्शन और पृथ्वी विज्ञान जैसे विषयों सहित असैन्य अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को आगे जारी रखने पर सहमति जताई। अमरीका और भारत ने उन समझौतों को आगे बढ़ाने का वचन दिया जिनसे अमरीकी उपग्रहों और अमरीकी कलपुर्जों वाले भारतीय प्रक्षेपण यानों के प्रक्षेपण का रास्ता साफ होगा, दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग के नये अवसर प्रदान करेगा।

(4) भारतीय चंद्र अभियान चंद्रयान-I में दो अमरीकी उपकरणों को लगाए जाने का स्वागत किया। दोनों ने इस बात को ध्यान में रखा है कि 'इसरो' और 'नासा' द्वारा स्वीकृत सहमतिपत्र इस क्षेत्र में प्रगति के लिये उल्लेखनीय कदम होगा।

(5) अमरीका के वाणिज्य विभाग की उन मदों को लाइसेंस से छूट देने की योजना का स्वागत किया, जिसके लिये अन्यथा मुख्य रूप से असैन्य गतिविधियों में लगे भारत के वास्तविक उपभोक्ताओं को निर्यात लाइसेंस लेना आवश्यक होता। ❑

सबके लिये बेहतर स्वास्थ्य

राज्य सरकार की देखरेख में स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसकी उपलब्धियां इस बात से आंकी जा सकती हैं कि अब चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से जम्मू-कश्मीर तीसरे स्थान पर है

मानव मात्र के कल्याण से सीधे संबद्ध सेवाओं में स्वास्थ्य सेवा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का प्रमुख उद्देश्य देश की जनसंख्या में अच्छे स्वास्थ्य के स्वीकार्य मानक प्राप्त करना है और साथ ही, विभिन्न स्तरों पर मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना और कमी वाले क्षेत्रों में नयी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करके सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के द्वार खोलना है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवा के विकास और विस्तार के प्रयास किए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत प्रारंभिक अवस्था में थीं। राज्य में सिर्फ गिने-चुने अस्पताल थे। इनमें से अधिकांशत: शहरों में स्थित थे। संचार सुविधाओं के अभाव, गरीबी और पहाड़ी प्रदेश होने के नाते लोग, खासतौर से गांवों के लोग इलाज के देसी तरीकों पर निर्भर करते थे।

जम्मू-कश्मीर सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 के अंतर्गत निर्धारित राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये वचनबद्ध है। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश की आम जनसंख्या के लिये स्वास्थ्य के स्वीकार्य मानकों की प्राप्त करना।
- नयी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना और जहां भी जरूरी हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को विकेंद्रित करके उपलब्धता को बढ़ाना।
- देश की सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं में सबको स्वास्थ्य सेवाओं की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना।

राज्य में आजादी मिलने के समय जहां कुल 124 स्वास्थ्य संस्थान थे, वहीं वर्ष 2003 में इनकी संख्या बढ़कर 3,340 हो गई। इस दौरान हुई प्रगति बहुत महत्वपूर्ण रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं के कुल परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण सुधार आया है और यह राष्ट्रीय स्तर से मेल खाता है। (जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य शीर्षक तालिका-1 देखें)।

तालिका-1

जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य

संकेतक	वर्ष 1951	वर्ष 2003
जनसंख्या (लाख में)	32.54	100.70
स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या	124	3,340
डाक्टरों की संख्या	184	4,788
शय्याओं की संख्या	100	11,351
इलाज किए गए मरीज (लाख में)	8.91	128.15
किए गए ऑपरेशन (लाख में)	0.82	1.69
नसबंदी	239	19,663
संस्थान/जनसंख्या अनुपात	1:26242	1:3015
डाक्टर/जनसंख्या अनुपात	1:17685	1:2103

राज्य सरकार अपनी जनता को अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने को वचनबद्ध है और सरकार इसके लिये जनशक्ति, एंबुलेंस सेवाएं, मशीनें/उपकरण और भवन आदि सहित सभी बुनियादी सुविधाएं जुटा रही है।

राज्य ने एक नयी औषधि नीति की घोषणा की है और क्षेत्र निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत एक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पूर्ति निगम की स्थापना की है। इसका उद्देश्य खरीद में गड़बड़ी रोकना और नकली दवाओं की आपूर्ति रोकना है। यह निगम ऐसी औषधियों की आपूर्ति के लिये काम करता है जो सुरक्षित, प्रभावशाली और अनुमोदित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप हों। इसके लिये निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :

- आवश्यक औषधियों की सूची का चयन
- केंद्रीय खरीद भंडारों और वितरण केंद्रों की स्थापना
- औषधीय निरीक्षण यूनिटों को सुदृढ़ बनाना
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण
- मूल्यांकन तंत्र की व्यवस्था।

जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू क्षेत्र का एकमात्र प्रतिष्ठापूर्ण प्रतिष्ठान है जो आसपास के छह जिलों की ही नहीं, बल्कि पड़ोस के पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जरूरतें भी पूरी करता है। पिछले 14 वर्षों के दौरान बीमारियों और मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से जम्मू के मेडिकल कॉलेज का दर्जा बढ़ा कर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समान करने के लिये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से 120 करोड़ रुपये अनुमोदित किया है। इसमें हर प्रकार की विशेष चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। एचएससीसी से परामर्श करके एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।

वर्तमान बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने और विस्तारित करने की योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिये प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके सुधार पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है। एक स्वस्थ बच्चा स्वस्थ राष्ट्र की निशानी है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल जाने वाले सभी बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। यह काम पूरे जोर से चल रहा है और एक लाख से ज्यादा स्कूली बच्चों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। इन कार्डों से उनके स्वास्थ्य की स्थिति का पता चलता है।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य ने 1991 की जनगणना के आधार पर स्वास्थ्य संस्थानों की जरूरी संख्या पूरी कर दी है। सीमित संसाधनों के बावजूद, राज्य सरकार ने अनेक संस्थानों की स्थापना की है। 2003-04 में 74 उपकेंद्रों, 43 पीएनसी और, 12 सीएचसी की स्थापना करने और करगिल जिला अस्पताल का दर्जा बढ़ा कर उसे 75 बिस्तरों से 100 बिस्तरों वाला करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। कठुआ और अनंतनाग के पुराने जिला अस्पतालों में जच्चा-बच्चा केंद्र खोलने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके लिये 1,304 पदों की मंजूरी दी जा चुकी है। 2004-05 में 130 उपकेंद्र, 21 प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र और 8 बाल स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई है। गरीबों, स्त्रियों और

बच्चों तथा दूरदराज के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये हुडको और नाबार्ड से ऋण लिया गया है से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिये 192 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गए हैं।

गंभीर रूप से घायल और बीमार मरीजों को जिला और प्रभाग स्तर पर दूर के चिकित्सा सुविधा रहित स्थानों से जिला प्रमुख अस्पताल पहुंचाने के लिये एंबुलेंस गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

पिछले वित्त वर्ष के दौरान ग्यारहवें वित्त आयोग के फैसले के अंतर्गत कुपवाड़ा, करगिल, राजौरी और डोडा में चार निदान केंद्रों के निर्माण का काम पूरा किया गया।

इन केंद्रों में सीटी कार्डियोग्राफ, लैब एनालाइजर आदि आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध होंगे।

राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम में सुधार के प्रयास किए हैं। प्रतिरक्षाकरण का काम पूरा किया गया है और 2002-03 तक 30 प्रतिशत बच्चों को प्रतिरक्षात्मक टीके लगा दिए गए थे। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 19,663 नसबंदी ऑपरेशन किए गए।

आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत 73 छोटे और 29 बड़े निर्माण कार्य पूरे किए गए। ऐसे 11 छोटे और 26 बड़े निर्माण कार्यों का काम प्रगति पर है।

राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम सरकारी विभागों, एनजीओ, सीपीओ और एचआईवी/एड्स रोकथाम सोसाइटी की सहायता से चलाया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर कम जोखिम वाला इलाका है। यहां अति जोखिम वाले समूहों (एसटीजी) की दर 0.95 प्रतिशत है। सेंटिनल सर्विलेंस के अनुसार कम जोखिम वाले समूहों की दर (एएनसी 0.66 प्रतिशत) है। राज्य के सभी जिला अस्पतालों को आधुनिक बनाया जा चुका है। जम्मू-कश्मीर के गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज के क्षेत्रीय रक्त बैंकों में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अलग से सुविधाएं जुटाई गई हैं।

जम्मू-कश्मीर राज्य में उन जड़ी-बूटियों और पेड़-पौधों की खेती की प्रभूत संभावनाएं हैं जिनका इस्तेमाल आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक और यूनानी दवाएं बनाने में किया जाता है। राज्य में ऐसी जमीन काफी ज्यादा है जिस पर जंगल उगे हुए हैं या जो परती पड़ी हुई है। औष धीय जड़ी-बूटियों की खेती से पिछड़े और दूरदराज के गांवों के लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की घरेलू जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी।

राज्य में दो वनस्पति वन समितियां गठित की गई हैं। इनमें से एक जम्मू में और दूसरी कश्मीर में है। भारत सरकार के पास बजट सहायता के अनुमोदन हेतु परियोजना प्रस्ताव भेजे गए हैं। इनमें से एक परियोजना अनुमोदित कर दी गई है। साथ ही, जम्मू-कश्मीर वन समिति को 50 लाख रुपय दिये जा चुके हैं।

जम्मू के शासकीय मेडिकल कॉलेज में एक स्वतंत्र हृदय रोग/हृदय-वक्ष सर्जरी विभाग की स्थापना के आदेश जारी किए जा चुके हैं। ऐसा ही आदेश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिये भी विचाराधीन है।

जम्मू में 40 सीटों वाला एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज खोलने और श्रीनगर डेंटल कॉलेज में छात्रों की वार्षिक दाखिला संख्या वर्तमान 20 से बढ़ाकर 50 करने की मंजूरी दी जा चुकी है।

भारत में चिकित्सा क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं। यह सरकारी प्रयासों की पूरक हैं। ऐसी स्थिति में जम्मू-कश्मीर सरकार भी राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय ख्याति के जाने-माने संस्थानों को राज्य के 14 जिलों में प्राइवेट अस्पताल खोलने के लिये आमंत्रित करेगी। इससे राज्य में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेंगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अनेक नर्सिंग होमों के अतिरिक्त बत्रा मेडिकल कॉलेज और एआईएससीओएमएस अस्पताल जैसे निजी चिकित्सा संगठन भी पहले ही राज्य में कार्यरत हैं। गैर सरकारी संगठन भी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराते रहे हैं।

तालिका-2

जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता

संकेतक/राज्य	भारत	जम्मू-कश्मीर
शिशु मृत्यु दर (200)	68	50
कुल शिशु जन्म दर (एनएफएचएस-II)	2.9	2.71
बिना सुविधा जन्म दर (2000)	17.3	13.4
साक्षरता दर (2001)	65.38	54.46
लिंग अनुपात (2001)	933	900
बिना इलाज मृत्यु दर (2000)	8.5	6.2

रोगों के निदान और मरीजों की देखभाल में दूरसंचार के इस्तेमाल को टेलीमेडिसन कहा जाता है। दूरसंचार और सूचना टेक्नॉलाजी के ये नये रूप भी अब दुनियाभर में स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीय मूलतंत्र के महत्वपूर्ण भाग बन गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से राज्य में एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके पहले चरण से अंतर्गत चार जिला अस्पतालों को सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अगले चरण के अंतर्गत राज्य के अन्य जिला अस्पतालों में भी ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे जिला अस्पताल से अन्य बड़े अस्पतालों को भेजे जाने वाले मरीजों की संख्या में ही कमी नहीं आएगी बल्कि रोगियों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ❑

पूर्वोत्तर परिषद

पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में अधिक निधि-आवंटन की मांग

पूर्वोत्तर परिषद ने केंद्र से अधिक निधि-आंवटन की मांग की है और पूर्वोत्तर पर्यटन विकास परिषद स्थापित करने का फैसला लिया है।

पूर्वोत्तर परिषद की 52वीं बैठक में, क्षेत्र के सभी आठ राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया और बाहरी निवेश को राज्य में आकर्षित करने के लिये औद्योगीकरण को उचित महत्व देने हेतु नवप्रवर्तनकारी परियोजनाओं को प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया। हवाई संपर्क और नाजुक अर्थव्यवस्था व समूचे क्षेत्र को सुगम बना कर पर्यटन को बढ़ावा देना, ये दो सेक्टर बैठक का केंद्र बिंदु रहे। पूर्वोत्तर विकास परिषद की स्थापना और क्षेत्र के लिये समर्पित हवाई सेवा की मांग की गई।

केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री पी. आर. किन्डैया ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर परिषद योजना प्रारूप के विरोध में तर्क है कि पहले की आवंटित विशाल निधि, राज्य अभी भी खर्च नहीं कर पाए हैं। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन किया कि बची निधि का सर्वोत्तम उपयोग करने हेतु कदम उठाएं। ❑

(योजना (असमिया) द्वारा एजेंसियों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

जम्मू-कश्मीर में बिजली बजट

- *राज्य सरकार ने दो बजट प्रस्तुत करके रिकार्ड बनाया*
- *विद्युत उत्पादन, प्रेक्षण और वितरण पर जोर*
- *विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्र को सौंपा जा सकता है*
- *मूलभूत ढांचे के निर्माण पर जोर*

जम्मू-कश्मीर के उप-मुख्यमंत्री, मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि साझा सरकार के पिछले तीन वर्ष सुदृढ़ीकरण के लिये थे और अगले तीन वर्ष सुधार के होंगे।

श्री बेग, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने सामान्य बजट और एक विद्युत बजट प्रस्तुत करते हुए विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार का मुख्य केंद्र बिंदु विद्युत है। उन्होंने विद्युत उत्पादन, प्रेषण और वितरण को नया प्रतिबल देने हेतु कई सुझाव पेश किए। अगले तीन वर्षों तक विद्युत क्षेत्र के लिये प्रतिवर्ष 1,300 करोड़ रुपये अनुदान अलग से देने के केंद्र के आश्वासन के बाद, श्री बेग ने कहा कि सरकार विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार कर रही है।

विद्युत बजट अलग से पेश करने वाला यह पहला राज्य है।

श्री बेग ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विद्युत विकास निगम को स्वायत संस्था बनाने हेतु पब्लिक इक्विटी का प्रावधान किया जाएगा। राज्य द्वारा निजी उद्यम को चंद लघु परियोजनाएं दी गईं हैं। उन्होंने कहा कि "राज्य सरकार की इक्विटी को 51 प्रतिशत तक मूल्य निर्धारण कर के सरकार, देश की सबसे बड़ी जल-विद्युत कंपनी की स्थापना करेगी। शुरुआत में हम श्रीनगर और जम्मू में विद्युत उत्पादन, प्रेषण और वितरण प्रणाली में सुधार की योजना बना रहे हैं।"

राज्य सरकार ने केंद्र से सलाल और उरी परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर को हस्तांतरित करने और तीन अन्य परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये कहा है।

कर मुक्त बजट

श्री बेग ने कहा कि कर मुक्त बजट में मूलभूत ढांचा निर्माण पर, ग्रामीण इलाकों में विशेष बल दिया गया है। इसके लिये, जिला योजना निधि हेतु आवंटन 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया था और इसे अगले वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। केंद्र द्वारा, समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों के लिये घोषित महंगाई भत्ते के लिये 150 करोड़ रुपये चिह्नित रखे गए हैं। जो सार्वजनिक उद्यम व्यवहार्य नहीं हैं, उन्हें समाप्त किया जाएगा या उनमें छंटनी की जाएगी। ❑

जम्मू-कश्मीर समाचार

- जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये 'शून्य-घाटेवाला' बजट प्रस्तुत किया गया जो कई क्षेत्रों में सुधार पर केंद्रित है और जिसमें कोई नया कराधान नहीं किया गया है। राज्य के वित्तमंत्री मुजफ्फर हुसैन द्वारा 14,436 करोड़ रुपये का शून्य घाटे वाला बजट पेश किया गया जिसमें ग्रामीण विकास को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया है।
- जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद द्वारा नियंत्रण रेखा के साथ उरी से मुजफ्फराबाद को जोड़ने वाले पुनर्निर्मित 'कमान अमन सेतु' का उद्घाटन किया गया। 220 मीटर लंबाई वाले इस सेतु का पुनर्निर्माण सेना के द्वारा किया गया है। भूकंप में यह क्षतिग्रस्त हो गया था।
- 2010 राष्ट्रमंडल शीत खेलों की मेजबानी के लिये जम्मू-कश्मीर को चुना गया है। यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से राज्य को वैश्विक पर्यटन आकर्षण के रूप में बढ़ावा मिलेगा।
- राज्य सरकार द्वारा देसी पर्यटकों आकर्षित करने हेतु दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में साप्ताहिक/पाक्षिक अवधि वाले कश्मीर महोत्सव और प्रदर्शनियों की शृंखला का आयोजन किया जाएगा। ❑

सहकारी कृषक स्वास्थ्य कार्यक्रम-यशस्विनी

○ देवी शेट्टी

सरकार द्वारा अपनी भूमिका सीमित कर लेने के कारण जो प्रमुख चुनौतियां पैदा हुईं उनमें एक यह थी कि निर्धन और जरूरतमंदों की स्वास्थ्य रक्षा संबंधी आवश्यकताएं कैसे पूरी की जाए। जन स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं अपर्याप्त होने के बावजूद एक हद तक तो कारगर थीं ही लेकिन वे बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर पा रही थीं और कमजोर तबकों के सामने अपने स्वास्थ्य की देखरेख के विकल्प नदारद हो गए थे। निजी अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली समांतर सेवाएं महंगी होने के कारण उनकी पहुंच से बाहर थीं। सवाल यह था कि किस तरह कम लागत पर ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके जवाब के रूप में छोटे स्तर पर नारायण हृदयालय द्वारा संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रम 'यशस्विनी' का जन्म हुआ।

ग्रामीण लोगों की ऋणग्रस्तता की दूसरी सबसे बड़ी वजह खराब स्वास्थ्य के कारण उपचार पर होने वाले खर्चे को माना जाता है। परिवारजनों को अकस्मात तथा अनियोजित रूप से अस्पताल में भर्ती कराने के लिये न केवल पैसों की तत्काल जरूरत होती है, बल्कि उसके कारण नुकसान भी उठाना पड़ता है। यदि ऑपरेशन कराना पड़ गया तो परिवार पर बोझ और भी अधिक बढ़ जाता है। ऑपरेशन के पैसे अस्पताल में मरीज को भर्ती कराते वक्त ही जमा कराने पड़ते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखकर गुणवत्तायुक्त शल्य उपचार कम कीमत में उपलब्ध कराने का कार्यक्रम तैयार किया गया।

कर्नाटक की सत्तर प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। इनमें से अधिकतर किसान हैं। इस बड़ी आबादी के लिये स्वास्थ्य रक्षा पर होने वाला खर्च उनकी सामर्थ्य से कहीं अधिक होती है। ईएसआई जैसे बीमा कार्यक्रमों से औद्योगिक श्रमिकों की जरूरतों की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन किसान दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उपेक्षित रह जाता है। इसलिये तय किया गया कि इस परियोजना को कृषक सहकारिताओं के रूप में चलाया जाए।

यशस्विनी सहकारी कृषक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 14 नवंबर, 2002 को हुई। भारत में यह अपनी तरह का पहला तथा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कार्यक्रम का आधार किसानों की सामूहिक शक्ति है। यह जन-जन को खर्चीली स्वास्थ्य रक्षा सुलभ कराता है। इस कार्यक्रम को स्वाभाविक आलोचनाओं और संदेहों का सामना करना पड़ा।

कर्नाटक सरकार के सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट स्थापित किया गया। कर्नाटक सरकार के अतिरिक्त रजिस्ट्रार, नारायण हृदयालय के अध्यक्ष तथा सरकार एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्य प्रतिनिधि इसके सदस्य थे। यशस्विनी कार्यक्रम की कार्यकारी समिति ने इसका स्वरूप तय करने से पहले अनेक अस्पतालों के डॉक्टरों तथा प्रशासकों से विचार-विमर्श किया। इसके बाद पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर 85 अस्पतालों का चयन किया गया। 1,600 से भी अधिक प्रकार की शल्य क्रिया के लिये पैकेज दरें निर्धारित कर दी गईं। पैकेज में कमरे के किराये, ऑपरेशन के पूर्व तथा बाद की जांच, दवाइयों आदि पर आने वाले सभी खर्च शामिल थे ताकि मरीज को रोकड़ रहित शल्य चिकित्सा मुहैया कराई जा सके।

इस कार्यक्रम के द्वारा सहकारिता के सदस्य किसान, उनकी पत्नी और बच्चों को कवर किया जाएगा। इसकी प्रीमियम राशि प्रति सदस्य प्रतिमाह पांच रुपये निर्धारित की गई है। कर्नाटक सरकार ने पहले साल इसमें ढाई रुपये की सब्सिडी प्रदान की। दूसरे साल से प्रीमियम राशि को बढ़ाकर प्रतिमाह 10 रुपये कर दिया गया।

यशस्विनी कार्यक्रम के तहत इसके लाभार्थी निम्नालिखित सेवाओं के लिये अधिकृत हैं :

- **बाह्यरोगी सेवा :** मान्यता प्राप्त नेटवर्क के अस्पतालों में नि:शुल्क बाह्यरोगी सेवाएं। इसमें डॉक्टर की फीस तथा पंजीकरण फीस शामिल है।
- **जांच सेवाएं :** छूट वाली विशेष दरों पर जांच।
- **दवाइयां :** फार्मेसी से विशेष दरों पर दवाइयां।
- **शल्य चिकित्सा :** नेटवर्क अस्पतालों में 1,600 से भी अधिक शल्य क्रियाएं नि:शुल्क की जाती है।

पहले साल में ही 16 लाख किसान इसके सदस्य बन गए जिनमें से 35,000 सदस्यों ने नेटवर्क अस्पतालों में नि:शुल्क परामर्श प्राप्त किया। बिना किसी भुगतान के 9,039 ऑपरेशन किए गए जिनका उपचार शुल्क 10.53 करोड़ रुपये था। कुल ऑपरेशनों में 657 मामले हृदय शल्य क्रिया के थे। दूसरे साल में कार्यक्रम के सदस्य किसानों की संख्या बढ़कर 21 लाख हो गई।

वर्तमान में 198 अस्पताल लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश लाभार्थी स्वयं ये सेवाएं खासकर विशेषज्ञता वाले निजी अस्पतालों की सेवाएं नहीं प्राप्त कर पाते।

यशस्विनी कार्यक्रम ने लाखों किसानों को उनकी पसंद के अस्पतालों में गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराया है जिसकी लागत उन्हें वस्तुत: उनकी एक प्याली चाय की कीमत से भी कम पड़ती है। ❑

(लेखक नारायण हृदयालय, बंगलौर के अध्यक्ष हैं)

विकलांगों के प्रोत्साहन की कार्ययोजना

○ अनंत कुमार
वेदव्यास कुंडू

जरूरत इस बात की है कि भारत में विकलांगता क्षेत्र में स्वयंसेवा को प्रोत्साहित करने के लिये एक राष्ट्रीय कार्ययोजना विकसित की जाए

काफी दिनों से कार्यकर्ता और नीति निर्धारक विकलांगता क्षेत्र में स्वयंसेवा को प्रोत्साहित करने की जरूरत महसूस करते रहे हैं ताकि समाज में ऐसे लोग उपलब्ध हों जिन्हें कुछ प्रशिक्षण और बुनियादी जानकारी देकर विकलांग लोगों को सबसे निचले स्तर पर सहायता देने को प्रेरित किया जा सके। इस समय भारत में स्वयंसेवी आंदोलनों के सामने विकलांगता क्षेत्र में स्वयंसेवा की जरूरतें पूरी करना सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। देश में नौ करोड़ से ज्यादा लोगों की ऐसी जनसंख्या है जो किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित है। स्वयंसेवक इन विकलांगों को बेहतर रहन-सहन के साथ जीवन बिताने में अमूल्य सहायता दे सकते हैं। विकलांगों के साथ काम करना कोई आसान खेल नहीं है और इसके लिये काफी समझदारी, धैर्य और सहानुभूति की जरूरत होती है। विकलांगता क्षेत्र में स्वयंसेवा को प्रोत्साहित करने के लिये विकलांगों की खास जरूरतों, विकलांगता के प्रकार, व्यावसायिक आवश्यकताओं की जानकारी और प्रशिक्षण की जरूरत होती है।

हालांकि विभिन्न एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारों ने विकलांग व्यक्तियों के रहन-सहन में सुधार के लिये काम करना शुरू कर दिया है लेकिन हम अब भी सबके लिये समान अवसर और स्वास्थ्य के लक्ष्य से काफी पीछे हैं। भारत में इस समय 2 से 3 प्रतिशत ही ऐसे विकलांग व्यक्ति हैं जिन्हें किसी प्रकार की पुनर्वास सुविधाएं मिल पाती हैं। विकलांगों के लिये खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास सेवाओं का पूर्ण अभाव है और इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध न होना एक बड़ी बाधा है। इसके अलावा देश में एक से बढ़कर एक प्राथमिकताएं हैं जिनके मुकाबले विकलांगता को कम प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रसंग में स्वयंसेवा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वयंसेवा विकलांगों के लिये व्यापक पुनर्वास सेवाओं के विकास की दिशा में एक अनिवार्य घटक है। बिना स्वयंसेवा के प्रयासों के खासतौर से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले विकलांगों तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है।

समाज के सभी कार्यों में विकलांगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये विकलांग (समान अवसर, अधिकार-संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम बनाया गया है जिसमें विकलांगों को इन सेवाओं के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता और समाज पर बोझ के बजाय रचनात्मक और उत्पादक सेवा प्रदाता की भूमिका दी गई है। समाज को विकलांगों की जरूरतों और समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरत है क्योंकि अनेक लोग नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए विकलांगों को कलंक समझते हैं। इस पृष्ठभूमि में विकलांगता क्षेत्र के सभी स्वयंसेवा कार्यक्रमों का लक्ष्य एकीकरण को बढ़ावा देना होना चाहिए।

विकलांगता क्षेत्र में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ने से विकलांग व्यक्तियों के प्रति हमारे समाज का दृष्टिकोण बदलने और विकलांगों के अधिकारों के संरक्षण के लिये माकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी। स्वयंसेवक इन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मुद्दों से संबंधित क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। मीडियाकर्मियों की भूमिका और समाचारपत्रों के समाचार भी महत्वपूर्ण हैं और मीडिया क्षेत्र के स्वयंसेवक विकलांगों की जरूरतों के प्रति संगठनों और व्यक्तियों को संवेदनशील बनाने में उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं। मीडिया विकलांगों से संबंधित विभिन्न कानूनों के बारे में समाचारपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिये जागरूकता बढ़ाने में योग दे सकते हैं। इनमें से कुछ कानून हैं - विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, भारतीय न्यास अधिनियम, भारत सरकार कार्यक्रम एवं परियोजना तथा आरसीआई।

स्वयंसेवक विकलांग व्यक्तियों को निजी स्तर पर समर्थक सेवाएं प्रदान करने में भूमिका अदा कर सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिये समाज के साथ सार्थक अनुभव प्राप्त करने, सामाजिक संपर्क बढ़ाने और जिस समाज में रहते हैं उसमें योगदान करने की

अधिक भावना के विकास में भी स्वयंसेवक योगदान कर सकते हैं। स्वयंसेवक उस व्यवस्था के भी एक घटक बन सकते हैं जहां विकलांगों को नये लोगों से मिलने, नयी बातें सीखने और महत्वपूर्ण कार्य अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

विकलांग लोगों की सेवा के लिये आगे आना दोहरी प्रक्रिया है। ऐसा करने से विकलांगों को सीखने, लाभकारी हस्तकौशल प्राप्त करने और व्यक्तित्व विकास करने तथा व्यवसाय के लिये सार्थक सामाजिक संपर्क प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं जिससे उन्हें जीवनयापन के लिये रोजगार मिलता है। इसके साथ ही, विकलांगों को स्वयंसेवा से अपने समाज में योगदान करने की अनेक संभावनाओं के द्वार खुलते हैं जिससे उन्हें खुशी और दूसरों के जीवन में सहायता करने की संतुष्टि मिलती है।

स्वयंसेवा प्रोत्साहन के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना की जरूरत

अन्य सभी लोगों की तरह विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों की भी कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। कई बार उन्हें अन्य सामान्य लोगों की तरह अच्छा रहन-सहन प्राप्त करने के लिये कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दुर्भाग्य की बात है कि अक्सर लोग यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि विकलांगता भी, सरल शब्दों में कहें तो, मानव अनुभव का एक प्राकृतिक भाग है। सीमाओं के बावजूद एक विकलांग व्यक्ति भी, अगर उसे समाज-आधारित दीर्घावधि सेवाओं तक ये आसानी से पहुंच मिले, तो जीवन की सामान्य गतिविधियां संचालित कर सकता है। इन सेवाओं में स्वयंसेवी सेवाएं, परिचर सुविधा, इमारतों में प्रवेश की सुविधा, सार्वजनिक परिवहन, पैदल चलने के रास्ते आदि शामिल हैं। यही नहीं, अगर बहुत ज्यादा विकलांगता-ग्रस्त लोगों को भी इस तरह की सेवाएं और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएं तो वे गैर विकलांगों की तरह सभी काम कर सकते हैं। यह खेद की बात है कि क्षमता होने के बावजूद वे विकलांग बने रहते हैं क्योंकि उन्हें समाज-आधारित सहायता व्यवस्था नहीं मिल पाती। किसी भी युवा विकलांग को समान अवसर का अधिकार है अत: उसे परीक्षा सहायता, विशेष उपकरण, पुस्तकालय सहायता, कक्षा में नोट लेने की सुविधा, वाचक या संकेत व्याख्याकार और गाड़ियां खड़ी करने की सुविधा दी जानी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिये शौचालयों और विश्रामगृहों में सुधार किए जाने चाहिए। इस प्रकार की सहायता व्यवस्था पाकर ही वे सामान्य जीवन बिताने की उम्मीद कर सकते हैं।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, सहायक सुविधाएं प्रदान करने में स्वयंसेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि स्वयंसेवकों को विभिन्न प्रकार के विकलांगों की सहायता, उनकी जरूरतों और विकलांगों के साथ व्यवहार का प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। विकलांगता क्षेत्र में स्वयंसेवा को कारगर बनाने के लिये प्रक्रिया को संस्थागत बनाने की भी आवश्यकता है। विकलांग स्वयंसेवा के क्षेत्र में इस समय विभिन्न प्रकार के संगठन और व्यक्ति काम कर रहे हैं लेकिन उनके लिये अभी कोई मानक दिशानिर्देश नहीं है।

इसलिये विकलांगता के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयंसेवकों को आमंत्रित करने के लिये स्थानीय स्वयंसेवा केंद्रों के विकास पर जोर दिए जाने की भी आवश्यकता है। राष्ट्रीय कार्ययोजना में समाज में स्वयंसेवा को बढ़ावा देने की एक कार्ययोजना भी सुझाई जानी चाहिए ताकि विकलांग लोगों के प्रति दृष्टिकोण संबंधी बाधाएं दूर की जा सकें। यह सुनिश्चित करने के लिये भी जरूरी कदम उठाये जाने चाहिए कि इस काम में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले तरह-तरह के व्यावसायिक भी शामिल हों जो विकलांग लोगों के साथ काम करने के लिये समय दे सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वयंसेवा को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष उपाय किए जाने की जरूरत है। इसके दोहरे उद्देश्य होने चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा दी जाए और इन क्षेत्रों में व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित किया जाए ताकि विकलांग लोगों की छवि सुधारी जा सके और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

विकलांगों के लिये स्वयंसेवकों की जरूरत के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जनसंचार के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। साथ ही, विकलांग छात्रों, सेवानिवृत्त लोगों जैसे समाज के विभिन्न वर्ग के सदस्यों को इस काम में शामिल करने के लिये स्कीमें और कार्यक्रम बनाए जाने की जरूरत है। इससे स्वयंसेवा को प्रोत्साहन मिलेगा। विकलांगों को भी स्वयंसेवक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इस काम में तेजी आए।

इस राष्ट्रीय कार्ययोजना के पीछे दूर दृष्टि और विचार यह होना चाहिए कि एक सर्वांगीण समाज को बढ़ावा मिले जिसमें जन्मजात अथवा दुर्घटनावश विकलांग हुए लोगों की सहायता के लिये समर्पित स्वयंसेवक मिल सकें और ऐसे लोगों को समाज में रचनात्मक और सार्थक भूमिका निभाने में मदद कर सकें। इस बात की भी जरूरत है कि इन स्वयंसेवकों को जरूरी ज्ञान से लैस किया जाए ताकि वे विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायक बनें। यह भी जरूरी है कि स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि वे स्थानीय भाषा, रीति-रिवाज और संस्कृति से परिचित होंगे। राष्ट्रीय कार्ययोजना को विकलांगता क्षेत्र में स्वयंसेवकों की जरूरत पूरी करने के लिये नियम पुस्तिकाओं और प्रशिक्षण सामग्री की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकलांग लोगों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित स्वयंसेवा के श्रेष्ठ व्यवहारों की केस स्टडी, स्वयंसेवा से संबद्ध नैतिक मुद्दे, सूचना और संचार तंत्र के जरिये विकलांगों के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन और उनके माकूल माहौल बनाने जैसी बातें भी शामिल की जानी चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाषा-कौशल और परामर्श-कुशलता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण इस प्रकार से संचालित किया जाए कि विभिन्न प्रकार की अपंगता के प्रति जागरूकता लाने, विकलांग व्यक्तियों के परिवारों को जरूरी परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने और विकलांग व्यक्तियों के समक्ष आने

वाली कठिनाइयों से निपटने के लिये जरूरी जानकारी और कौशल आ सके। परिणाम यह होगा कि एक ऐसे योग्यता प्राप्त व्यावसायिक संवर्ग का विकास हो सकेगा जो विकलांगों से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिये प्रेशर ग्रुप का भी काम कर सकेंगे।

इस राष्ट्रीय कार्यनीति के जरिये सरकार को भी स्वयंसेवकों को देने के लिये विशेष सहायक सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, जो संगठन विकलांगों से संबंधित कार्य नहीं करते, उन्हें भी स्वयंसेवा कार्यक्रमों में लगने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए और स्वयंसेवा केंद्रों और प्रबंधक स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार को मुख्यधारा के विकलांगता संबंधी मुद्दों को अपने विकास कार्यक्रमों में भी शामिल करना चाहिए। स्वयंसेवा आंदोलन को सफल बनाने के लिये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये एक साथ प्रयास किए जाने चाहिए और विकलांगों के लिये बाधा रहित पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि विकलांगों के लिये कहीं पहुंच पाना एक बड़ी समस्या होती है।

इस राष्ट्रीय कार्ययोजना को लागू करने में भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) नोडल एजेंसी के रूप में बड़ी भूमिका निभा सकती है। आरसीआई को यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए और पुनर्वास कार्यक्रम में तकनीकी दिशानिर्देश, इन-सर्विस ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, स्वयंसेवकों से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए और एक मॉनिटरिंग और समन्वयकारी निकाय की हैसियत से काम करना चाहिए, क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करना चाहिए, स्कूल और कालेज के छात्रों को छुट्टियों के दौरान इकट्ठा करके इस काम में शामिल करना चाहिए और पुनर्वास कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं, शिक्षकों आदि जैसे समाज के सभी वर्गों का सहयोग लेना चाहिए।

विकलांगता से संबंधित कामों में स्वयंसेवकों को शामिल करने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, एनएसएस जैसी एजेंसियों को भी शामिल किया जा सकता है और अच्छा काम करने वाले स्वयंसेवकों को सम्मान स्वरूप कुछ पुरस्कार देने की भी शुरुआत की जा सकती है।

विकलांगता क्षेत्र में स्वयंसेवा को प्रोत्साहित करके तथा विकलांगों की सहायता के लिये सामुदायिक सेवाओं की व्यवस्था करके देश के विकलांग व्यक्तियों की काफी ज्यादा सहायता की जा सकती है। इस तरह की शुरुआत भोपाल में की गई है जहां ब्रेल लिपि में सीट नंबर डाले गए हैं। अपने देश के लाखों विकलांग व्यक्तियों तक पहुंचने के लिये इस तरह की छोटी पहल करके उनके अधिकारों की रक्षा को महत्व दिया जा सकता है।

स्वयंसेवा को एक सरकारी कार्यक्रम और जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों को दया की नहीं, सम्मान की और अलग-थलग जगह की नहीं, बल्कि समाज के साथ एकीकरण की जरूरत है। ❑

Now Delhi in Patna *Admission open...*

IAS/PCS

सामान्य अध्ययन + इतिहास

By : MEDIUM : हिन्दी + ENGLISH

शैलेन्द्र सिंह

With Proven Capacity

RENOWNED FOR ANALYTICAL APPROACH

Features:-
- व्याख्यान पर बल
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स
- Regular Test
- Regular Debate
- Answer Formating
- साक्षात्कार (Interview)

New Batch : 1st week of every month

अन्य विषय : निबंध / साक्षात्कार

THE ZENITH

An Innovative Institute for I.A.S.

G-4, Chandrakanta Apartment, Opp. Bata, Pandui Kothi Lane, Boring Road, Patna-800001,
Mob. : 9431052949 / 9931052949 E-mail : thezenithias@rediff.com

विश्व धरोहर बनने की राह पर नदी द्वीप : माजूली

❍ राय अवधेश कुमार श्रीवास्तव

माजूली में पक्षियों का कलरव

असम की राजधानी गुवाहाटी से 350 किलोमीटर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजूली को विश्व धरोहरों की सूची में शामिल कराने का प्रयास रंग लाने लगा है। यूनेस्को के विशेषज्ञों की एक टीम 22 नवंबर, 2005 को इस काम को अंजाम देने के लिये माजूली में थी। विशेषज्ञों की इस टीम का नेतृत्व श्रीलंका के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता जगत वीरासींगे कर रहे थे तथा उनके साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी भी टीम में शामिल थे।

माजूली के सबडिविजनल मजिस्ट्रेट रोहिणी कुमार चौधरी का मानना है कि ''अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा, तो जल्द ही यह नदी द्वीप विश्व धरोहर का दर्जा हासिल कर लेगा। हमें उम्मीद है कि यूनेस्को की टीम सकारात्मक रिपोर्ट देगी।'' माजूली के एक प्राध्यापक आनंदा हजारिका तथा समुदाय के वृद्ध टीटाराम पेयांग भी कुछ ऐसी ही आशा रखते हैं। उनका कहना है कि ''हमने यूनेस्को की टीम का परंपरागत स्वागत-सत्कार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और उन्हें माजूली की व्यापक संस्कृति, कला, नृत्य, संगीत, दस्तकारी तथा अनोखी प्राकृतिक छटाओं से भलीभांति परिचित करा दिया है।'' वैसे भी माजूली अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिये विश्वविख्यात है। उधर असम के संस्कृति मंत्री हेमोप्रोवा सैकिया का कहना है कि ''माजूली को विश्व धरोहर का दर्ज़ा देने के भारत सरकार के प्रस्ताव पर इस समय यूनेस्को गहन मंथन कर रहा है। हमें उम्मीद है कि यूनेस्को इस द्वीप को विश्व धरोहर का दर्जा देकर इसके संरक्षण के प्रयासों को और भी मजबूती देगा। माजूली विश्व धरोहरों की सूची में शामिल होने की काबिलियत रखता है। यह अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता के लिये भी विख्यात है।'' वहीं असम के एक सांसद अरुण शर्मा मानते हैं कि ''माजूली को नहीं बचाया गया, तो हम इस विरासत को खो देंगे।''

विश्व धरोहर दिवस, 18 अप्रैल 2006 पर विशेष

डेढ़ लाख लोगों की आबादी वाला यह खूबसूरत नदी द्वीप 1947 के पूर्व लगभग 1,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। परंतु 1950 में असम में आए भीषण भूकंप के कारण ब्रह्मपुत्र नदी ने अपनी धारा बदल ली जिसके कारण वर्षा के दिनों में नदी द्वारा इस द्वीप का भारी कटाव प्रारंभ हो गया। भू-क्षरण, गाद के जमाव की दिशाहीनता, भीषण बाढ़ तथा नदी के कटाव के कारण आज माजूली अपने मूल क्षेत्रफल का आधा ही रह गया है तथा इसके अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वर्तमान में इस नदी द्वीप का दायरा सिमटकर मात्र 886 वर्ग किलोमीटर ही रह गया है।

1947 से पहले माजूली का रुतबा कहीं अधिक था। 16वीं शताब्दी से ही माजूली असमी सभ्यता की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पहचाना जाता रहा है। यहां के लोग सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाओं के प्रति प्रारंभ से ही संवेदनशील रहे हैं। यहां हिंदू धर्म की एक धारा वैष्णव संप्रदाय का काफी प्रभाव रहा है। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव तथा उनके प्रमुख शिष्य माधवदेव ने माजूली की भूमि पर वैष्णव संप्रदाय का जम कर प्रसार किया। तब से माजूली असम मे वैष्णव संप्रदाय का गढ़ रहा है। कभी इस नदी द्वीप पर वैष्णव मठों की भरमार हुआ करती थी। इन मठों के अलावा माजूली, मिट्टी से बनी आकर्षक कलाकृतियों, बर्तनों के साथ-साथ विशेष प्रकार के आभूषणों तथा

दस्तकारी के लिये भी विख्यात है। बांस की टोकरी, हाथी दांत पर नक्काशी तथा चांदी की आकृतियां बनाना यहां की दस्तकारी की परंपरा रही है।

इस समय माजूली में लगभग 15 वैष्णव मठ मौजूद हैं जिनमें कमलाबाड़ी, नूतन कमलाबाड़ी, औनियाती, गारमूर, समोगूरी, दक्षिणपट तथा वेंगीनाती प्रमुख हैं। ये सभी मठ असमी कला, संगीत, नृत्य, नाटक, दस्तकारी, साहित्य तथा धर्म इत्यादि के प्रमुख केंद्र हैं। औनियाती का मठ प्राचीन बर्तनों, आभूषणों तथा हस्तकला के संग्रह हेतु अत्यधिक प्रसिद्ध है।

माजूली का एक मठ

माजूली नदी द्वीप को ऊपरी तथा निचले दो भागों में पहचाना जाता है। ऊपरी माजूली में सामान्यत: मिशिंग तथा देवरी जनजातियों का निवास है। इन जनजातियों के त्यौहार तथा रंग-बिरंगी प्रथाएं अपने-आप में एक जीवित धरोहर का रूप हैं। अभी तक इनकी संस्कृति पर आधुनिकता का प्रभाव लेशमात्र भी नहीं पड़ा है। संभवत: मुख्य भूमि से कटे रहने के कारण ही ऐसा हो पाया है। आध्यात्मिकता के रंग में सराबोर माजूली वासियों के बीच जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है। सौहार्द तथा भाईचारे का अद्भुत नजारा यहां के वातावरण में देखने को मिलता है। वैष्णव संप्रदाय के लोगों ने यहां संगीत, नृत्य तथा नाटक जैसी सांस्कृतिक विधाओं का अत्यधिक विकास किया है। अतिथियों के स्वागत सत्कार में माजूली वासी अनुपम उदाहरण पेश करते हैं। माजूली में जो भी एक बार आ जाता है, वह यहां के लोगों को कभी भुला नहीं पाता। साधारण जीवन व्यतीत करने वाले माजूली वासी अपने जीवंत स्वभाव से सबका दिल जीत लेते हैं।

माजूली द्वीप की उत्तरी सीमा सुबांसरी तथा दक्षिणी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्धारित होती है जिसके कारण यह मुख्य भूमि से अलग एक द्वीप का रूप ले लेता है। माजूली के उत्तर में लखीमपुर, दक्षिण-पश्चिम में गोलाघाट, दक्षिण-पूरब में शिवसागर तथा दक्षिण में जोरहाट जैसे शहर स्थित हैं।

दस्तकारी का नमूना– मुखौटा

माजूली में अहोम, कचारी, ब्राह्मण, कलिता, कोचराजवोंगस, बनिया, कोईबरता, नाथ, मिशिंग, देवरी, सूत, सोनोवाल, नोमोशुद्र, नेपाली, कुमार, बंगाली और राजस्थानी लोग निवास करते हैं। इनमें से मिशिंग, देवरी तथा सोनोवाल कचारी जनजातियां हैं। माजूली में जनसंख्या का घनत्व 300 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी है तथा यहां कुल 243 गांव हैं। यहां की भाषा असमी, मिशिंग तथा देवरी है। नवंबर से फरवरी तक यहां सर्दी का मौसम तथा औसत तापमान 27° से. रहता है। मार्च से जून तक गर्मी का मौसम तथा तापमान 34° से. रहता है। जुलाई से अक्तूबर तक बरसात का मौसम माजूली वासियों के लिये कई कठिनाइयां लेकर आता है।

माजूली में प्रवासी पक्षियों को बहुत बड़ी संख्या में देखा जा सकता है जिनमें पेलिकन, साइबेरियाई क्रेन, एजूटेंट स्ट्रोक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सर्दी के महीने में माजूली के विभिन्न स्थानों से सूर्यास्त का नजारा अपना अलग ही आकर्षण रखता है। माजूली द्वीप तक पहुंचने के लिये प्रतिदिन प्रात: 10:30 बजे तथा सायं 4:00 बजे जोरहाट तथा नीमाटी घाट से स्टीमर की सेवा उपलब्ध रहती है।

नदी द्वीपों में माजूली एक ऐसा द्वीप है जिस पर इस समय सारी दुनिया की निगाह लगी हुई है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा माजूली को मिलना ही चाहिए तभी यहां की सांस्कृतिक विरासत तथा अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षण तथा विकास को सही दिशा तथा सहारा मिल सकेगा। ❑

(लेखक वरिष्ठ पर्यावरणविद तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, नयी दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष हैं)

मानवाधिकार और भारत

❍ ऋतु सारस्वत

मानवाधिकार की अवधारणा का इतिहास बहुत पुराना है। इस अवधारणा का विकास सत्ता के निरकुंश उपयोग पर अकुंश लगाने के लिये एक शस्त्र के रूप में हुआ था। 13वीं सदी में ब्रिटेन के राजा और सामंतों के मध्य - मैग्ना कार्टा नामक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसमें कुछ ऐसी धाराएं शामिल की गईं जो आमजन के हितों के लिये थीं लेकिन मूलत: इन धाराओं का उद्देश्य ब्रिटेन के सामंतों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना ही था। सन् 1689 में ब्रिटेन में हुई क्रांति के नेताओं ने मानवाधिकार की अवधारणा का व्यापक विस्तार किया। क्रांतिकारियों ने 'बिल ऑफ राइट्स' के जरिये उन मूल स्वतंत्रताओं का निर्धारण किया जो तमाम नागरिकों को दी जानी थी। लगभग एक सदी के पश्चात 1776 में अमरीकी क्रांतिकारियों ने लंबे संघर्ष के पश्चात ब्रिटेन की गुलामी से स्वतंत्रता पाई। इस अवसर पर जारी अपने घोषणापत्र में उन्होंने अहरणीय मानवाधिकारों को सम्मिलित किया। इसमें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश के अधिकार शामिल थे। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और इस क्रांति का नारा था - स्वतंत्रता, समता और बधुत्व। फ्रांस की क्रांति में क्रांतिकारियों ने तत्कालीन राजा लुई 16वें को मौत की सजा दी और इसके पश्चात् मनुष्य के अधिकारों का घोषणापत्र तैयार किया। इसमें यह उद्घोषणा की गई कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार बराबर हैं। इस घोषणापत्र में यह भी घोषित किया गया कि स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और दमन के विरोध के अधिकार मूलभूत मानवाधिकार हैं। यद्यपि फ्रांस की क्रांति ने मानवाधिकारों को राष्ट्रों के लिये विचारणीय प्रश्न बनाया तथापि इनकी (मानवाधिकारों की) रक्षा के लिये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रक्षा के महत्वपूर्ण प्रयास बीसवीं सदी में पहले विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद गठित राष्ट्रसंघ की तरफ से किए गए। स्त्रियों का व्यापार रोकने, विभिन्न देशों से बाल कल्याण के लिये कदम उठाने और शरणार्थियों के पुनर्वास जैसे कदम इस अंतरराष्ट्रीय मंच की तरफ से उठाए गए। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद सन् फ्रांसिस्को सम्मेलन में स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र में मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने के लक्ष्य को विशेष महत्व दिया गया।

घोषणापत्र की प्रस्तावना में ऐलान किया गया - "हम बुनियादी मानवाधिकारों, व्यक्तियों की गरिमा व मूल्यों, बड़े और छोटे सभी राष्ट्रों के पुरुषों व स्त्रियों के समान अधिकारों की पुनर्पुष्टि के लिये कृतसंकल्प हैं। हम संयुक्त राष्ट्र में शामिल देशों के लोग इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लेते हैं।" घोषणापत्र की प्रथम धारा में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिये अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने को संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख लक्ष्य बताया गया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को विश्व के सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के साझा लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था। 1946 में मानवाधिकार आयोग का सृजन हुआ और सितंबर 1948 में आयोग ने मानवाधिकार घोषणापत्र का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपा। महासभा ने उसी वर्ष दस दिसंबर को मानवाधिकारों के विश्व घोषणापत्र को स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही मानवाधिकारों का संहिताबद्ध दस्तावेज अस्तित्व में आ गया।

मानवाधिकार और भारत

मध्य युग के छोटे से कालखंड को छोड़ दें, तो भारतीय संस्कृति में मानवाधिकार की जड़ें बहुत गहरी हैं। न केवल वैदिक साहित्य, बल्कि समस्त संस्कृत, पाली और प्राकृत साहित्य में मनीषियों ने इसे बार-बार स्थापित किया है। यह सही है कि इनका उल्लेख एक विषय या विचारधारा के रूप में अलग से नहीं हुआ है। ये जीवन और आचार-व्यवहार से एकमेव रहे। इसलिये साहित्य और दर्शन में भी विभिन्न विचारों और व्यवहारों के साथ-साथ समाहित रहे।

मध्यकाल में तमाम अच्छाइयों के साथ-साथ मानवाधिकारों की भारतीय परंपरा पर भी पर्दा पड़ा रहा। वर्तमान युग में संगठित रूप में भारत में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत स्वतंत्रता से पूर्व ही हो गई थी। 1936 में सिविल लिबर्टीज़ यूनियन (सीएलयू) का गठन हुआ। इसके गठन में जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख भूमिका रही थी परंतु स्वतंत्रता के पश्चात कुछ ही वर्षों के भीतर सीएलयू निष्क्रिय हो गया और अंतत: इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। सीएलयू के अस्तित्व की समाप्ति के पीछे नेहरू एवं अन्य नेताओं की विचारधारा थी। इन नेताओं का विचार था कि स्वतंत्रता मिल जाने और लोकतांत्रिक संविधान लागू हो जाने के बाद नागरिक अधिकार आंदोलन की आवश्यकता नहीं रह गई है।

साठ के दशक में कुछ अन्य संगठन अस्तित्व में आए जिनका उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना था। इनमें पश्चिम बंगाल में एसोसियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एपीडीआर), आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज़ कमेटी (एपीसीएल)

और पंजाब में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (एएफडीआर) प्रमुख हैं। इन संगठनों ने ग्रामीण इलाकों में दमन और शोषण के प्रश्न उठाए और राज्य की शक्ति से संघर्ष भी किया।

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम मानवाधिकार संगठन लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पहल और प्रेरणा से 1975 में बना। इसका नाम पीपुल्स यूनियन फॉर लिबर्टीज़ एंड डेमोक्रेटिक राइट्स रखा गया। आपातकाल के खिलाफ संघर्ष में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। परंतु आपातकाल की समाप्ति के साथ ही यह संगठन निष्क्रिय हो गया। 1980 में पीयूसीएल और पीयूडीआर नाम के दो संगठन अस्तित्व में आए। इसके पश्चात देश के विभिन्न इलाकों में कई और मानवाधिकार संगठन बने जो आज भी सक्रिय हैं।

मानवाधिकार एवं भारतीय समाज

मानवाधिकारों की रक्षा तभी हो सकती है जब उसके लिये उपयुक्त सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां हों। भारत में मानवाधिकार आंदोलन भले ही दो दशक पुराना हो गया हो, पर अभी यह शैशवावस्था में ही है।

मानवाधिकार संबंधी विमर्श का मूल स्रोत है : व्यक्तित्व की स्वीकृति और प्रतिष्ठा। हमारी सामाजिक संरचना में यही स्रोत अत्यंत क्षीण है। यह एक वास्तविकता है कि भारतीय समाज और पारंपरिक सांस्कृतिक सोच की मूल इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों की मर्यादा से परिभाषित होने वाली उसकी स्थिति है। भारत में मानवाधिकारों के सम्मान की संस्कृति अभी विकसित नहीं हो पाई है। न ही इसके लिये उपयुक्त सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां हैं। इसी कारण देश में विभिन्न स्तरों पर मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन होता है। निस्संदेह भारत में मानवाधिकारों के हनन की जड़ें हमारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना और सांस्कृतिक मान्यताओं में है। सामाजिक वर्णव्यवस्था समाज में जन्म से ही लोगों का दर्जा एवं सामाजिक परिपाटी में उनके कर्तव्य तय कर देती है। जाति के आधार पर ऊंच-नीच की मान्यता तथा आज भी प्रचलित छुआछूत आदि सबसे घोर किस्म की असमानता एवं मानवाधिकारों के उल्लघंन का कारण है।

भारत में मानवाधिकारों के उल्लघंन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक संरचना, पूंजी एवं संसाधनों का कुछ हाथों में केंद्रीकरण होना है। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्त्रियां जिस प्रकार पुरुषों के अधीन हैं उससे उनके मानवाधिकारों का खुले तौर पर उल्लंघन होता है। पारंपरिक सांस्कृतिक मान्यताओं के तहत सदियों से जारी स्वतंत्रता के इस उल्लंघन को आधुनिक उपभोक्तावादी आग्रहों ने और भी गहरा ही किया है। हालांकि शिक्षा, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के प्रभावों तथा अस्मिता के लिये स्त्रियों के अपने संघर्षों से शहरी समाज की उच्च एवं उच्च मध्यमवर्गीय महिलाओं के लिये स्थिति में अवश्य परिवर्तन आया है।

भारत का शक्तिशाली वर्ग कागज पर या फिर भाषणों में मानव अधिकारों के प्रति चाहे कितनी भी अपनी प्रतिबद्धता क्यों न जाहिर करे, सत्य यह है कि वास्तविक जीवन में यह प्रतिबद्धता बहुत कम दृष्टिगोचर होता है।

मानवाधिकार के मूल सिद्धांत

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा (घ) के अनुसार मानव अधिकारों से तात्पर्य संविधान द्वारा प्रत्याभूत अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में अतंर्निहित उन अधिकारों से है जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से संबंधित तथा भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा से आशय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 दिसंबर, 1966 को स्वीकृत, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा से है।

सामान्य शब्दों में कहा जाए तो मानवाधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जिनका अधिकार प्रत्येक मानव को है और जिसकी रक्षा आवश्यक हैं। ये अधिकार मानवीय गरिमा का आधार है और इनके पीछे अंतर्निहित धारणा यह है कि विश्व के सभी लोगों के साथ व्यवहार करते समय उनके इन अधिकारों की रक्षा होनी ही चाहिए।

मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के पीछे कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांत निम्नांकित हैं:

- सभी मनुष्य प्रतिष्ठा एवं अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र तथा जन्म समान होते हैं। उन्हें विवेक तथा तर्कबुद्धि प्राप्त है और उन्हें परस्पर बंधुत्व की भावना से प्रेरित होकर कार्य करना चाहिए।
- प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, समुदाय, राजनीतिक या अन्य विचारधारा अथवा राष्ट्रीय या सामाजिक मूल का क्यों न हो, घोषणा में वर्णित सभी अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का बिना किसी भेदभाव के अधिकारी होगा।
- प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता तथा दैहिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।
- किसी भी व्यक्ति को दासता या अधिसेवता में नहीं रखा जाएगा, दासता तथा दास व्यापक रूपों में निसिद्ध होगा।
- किसी भी व्यक्ति को यातना, क्रूर व्यवहार, अमानवीय व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार अथवा दंडित नहीं किया जाएगा।
- प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे विधि (कानून) के समक्ष सर्वत्र व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाए।
- सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और उन्हें कानून के समान संरक्षण का बिना किसी भेदभाव के अधिकार है। सभी व्यक्ति इस घोषणा के अतिक्रमण में किसी भेदभाव के विरुद्ध या ऐसे भेदभाव के लिये किसी दुष्प्रेरणा के विरुद्ध समान संरक्षण के अधिकारी हैं।
- प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या विधि द्वारा प्रदत्त अपने मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के संबंध में राष्ट्रीय अधिकरणों (न्यायालयों) द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार प्राप्त है।

- किसी भी व्यक्ति को मनमाने तौर पर गिरफ्तार या देश से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- किसी भी व्यक्ति के एकांत, उसके कुटुंब, गृह या पत्राचार में मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न ही उसकी मान-मर्यादा तथा प्रतिष्ठा पर मनमाने तौर पर आघात किया जाएगा।
- प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।

मानवाधिकार और भारतीय संविधान

भारतीय संविधान में यह परिकल्पित किया गया है कि हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे जिससे सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त हो। असमनाताओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा। जिससे सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान का मूल बताया जाता है। ये मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के बुनियादी सिद्धांतों को प्रदर्शित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित चार मूल सिद्धांत हैं : न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सात समूहों में वर्गीकरण किया गया है - समता का अधिकार, विशिष्ट स्वातंत्र्य अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद-5(1) सभी प्रकार के जातीय विभेद के समापन की घोषणा के अनुच्छेद 7 की तरह संविधान के अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है।

भारतीय संविधान की अद्भुत विशिष्टता है कि अनुच्छेद 21 में प्रदत्त एवं दैहिक स्वंतत्रता में एकांतिक का अधिकार भी शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के साथ सरकारों के लिए राज्य के नीति संबंधी निर्देश दिए गए हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

भारतीय संविधान एवं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उद्घोषणाओं से प्रेरित होकर संसद द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 पारित किया गया और अधिनियम के अनुपालन में उसी वर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिये, मानव द्वारा मानव के शोषण को रोकने के लिये तथा मानवीय दुखों-पीड़ाओं को कम से कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सतत प्रयत्नशील है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य राष्ट्रीय स्तर के अन्य आयोगों से इस अर्थ में भिन्न हैं कि इसकी जांच-पड़ताल की शक्तियां व्यापक हैं और इसके लिये उसके पास काफी संसाधन भी उपलब्ध है। अधिनियम की धारा 12 में आयोग के कार्य इस प्रकार बताए गए हैं:

क) मानवाधिकारों के उल्लंघन या लोक सेवकों द्वारा इन तरह के उल्लंघन को रोकने में लापरवाही बरते जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त होने पर अथवा अपनी पहल पर जांच करना।

ख) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के उल्लघंन के अभिकथन वाली किसी कार्यवाही में उन न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करना।

ग) जेलों या किसी अन्य संस्था, जहां पर उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निवास करने वालों की जीवन दशाओं का अध्ययन करना एवं उस पर सिफारिशें करना।

घ) मानवाधिकारों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिये कानूनी सिफारिशें करना।

ड़) मानवाधिकार संबंधी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के बारे में सिफारिशें करना

च) मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानवाधिकारों के पालन के लिये स्वैच्छिक कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करना।

अधिनियम की धारा 30 में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की शीघ्रता से सुनवाई के लिये हर जिले में मानवाधिकार अदालतें गठित करने और इनमें विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति की बात भी कही गई है।

मानवाधिकार आयोग के गठन के बाद से देश में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार आया है। आयोग ने आतंकवाद और अलगाववाद से प्रभावित इलाकों में मानवाधिकारों के संरक्षण, पुलिस प्रशासन और आपराधिक न्याय, हिरासत में मौत, बलात्कार और यातना, जेलों और उनमें रहने वाले बंदियों की स्थिति में सुधार के कायो° को प्राथमिकता दी है।

मानवाधिकार आयोग स्वप्रेरणा से या स्वयं पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर न केवल जांच करता है बल्कि संबंधित मामले को विधि की सहायता से निबटाने की चेष्टा करता है। मानवाधिकार आयोग आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में ऐसी नीतियां अपनाने के लिये लगातार जोर देता आ रहा है जिससे हमारे समाज के सबसे दुर्बल लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

मानवाधिकार आयोग अपने कार्यों का निर्वहन तो कर ही रहा है परंतु भारत में अभी भी मानवाधिकार संबंधी परिदृश्य बड़ा ही निराशाजनक है। आवश्यकता है जनजागरण की, अपने अधिकारों के प्रति चैतन्यता की और इन सबसे ऊपर सामाजिक पृष्ठभूमि के बदलाव की। ❑

(लेखिका दयानंद महाविद्यालय, अजमेर के समाजशास्त्र विभाग में प्राध्यापक हैं)

ख़बरों में

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 2005-06 और 2006-07 के दौरान 100 जिलों में प्रयोग के बतौर एक पशुधन बीमा योजना के क्रियान्वयन को स्वीकृति दी गई। लेकिन ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसका विस्तार अगले दो वर्षों में इस योजना की सफलता पर निर्भर करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मवेशी मालिक ज्यादातर भूमिहीन मजदूर और सीमांत किसान हैं, सरकार प्रीमियम का 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी। सब्सिडी का पूरा खर्च केंद्र द्वारा उठाया जाएगा। 120 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च वाली इस योजना के अंतर्गत 15 लाख मवेशी के बीमा का लक्ष्य होगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पनामा की एक संयुक्त साझा कंपनी में 33.77 प्रतिशत हिस्सेदारी हेतु शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2.088 करोड़ डालर निवेश की योजना को स्वीकृति प्रदान की है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आस्ट्रेलिया के साथ एक पुनरीक्षित हवाई सेना संविदा का अनुमोदन किया है जिससे दोनों राष्ट्रों के बीच हवाई मार्ग खुलेंगे और हवाई सेनाओं में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। इसके तहत दोनों राष्ट्र इच्छानुसार हवाई सेवाओं का विस्तार कर सकते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा कृषि में सहयोग हेतु चीन के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दी गई है।
- भारत और अमरीका द्वारा, तीन वर्ष के अंदर द्विपक्षीय व्यापार को 40 अरब अमरीकी डालर तक दुगुना करने के लिये कदम उठाए जाएंगे। 2004-05 में यह दो तरफा व्यापार 20 अरब अमरीकी डालर था।
- भारत और आस्ट्रेलिया रक्षा और सुरक्षा मुद्दों, जिनमें समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखना भी शामिल है, हेतु सहयोग के एक ढांचे पर सहमत हो गए हैं। इस आशय के एक समझौता-ज्ञापन पर दस्तखत किए गए हैं। इसमें सैन्य प्रशिक्षण, समुद्री सहयोग, रक्षा उद्योग और रक्षा शोध एवं विकास सरीखे विषय शामिल हैं। दोनों देशों में एक व्यापार और आर्थिक ढांचे पर भी सहमति हो गई है।

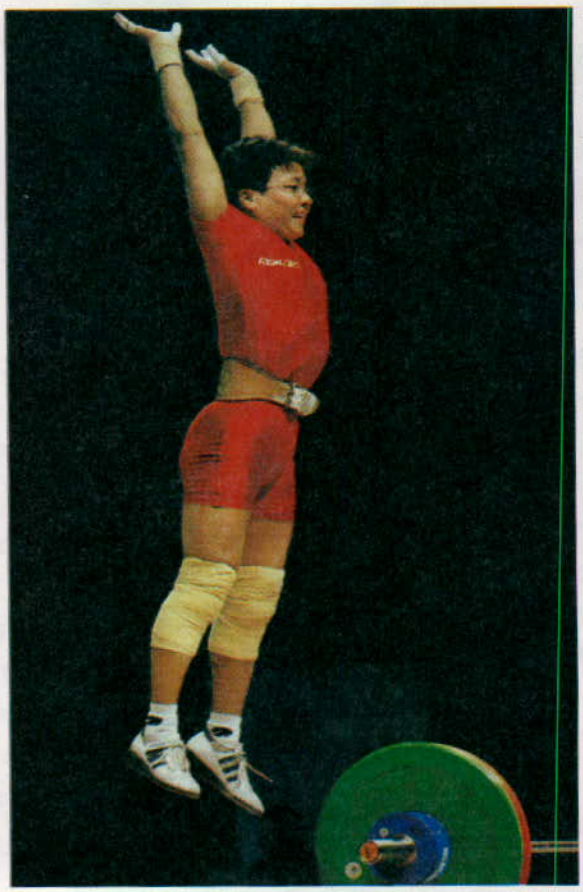

मेलबोर्न में आयोजित 18वें राष्ट्रमंडल खेलों के पहले दिन 38 वर्षीया कुंजारानी देवी ने भारोत्तोलन के 48 किग्रा महिला वर्ग में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में 166 किग्रा वजन उठाकर उन्होंने इस वर्ग में एक नया कीर्तिमान बनाया

- सभी खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के समन्वय और समीक्षा हेतु व देश की शीर्ष खुफिया इकाई के तौर पर कार्य करने के लिये केंद्र ने संयुक्त खुफिया समिति का पुनर्गठन किया है।
- राष्ट्रीय पनबिजली निगम द्वारा 495 मेगावाट तीता स्टेज IV और 210 मेगावाट लांचेन पनबिजली परियोजना के क्रियान्वयन के लिये सिक्किम सरकार के साथ एक समझौता किया गया है।
- जनकल्याण हेतु हरियाणा सरकार द्वारा बीमा योजना, ग्राम चौकीदारों की तनख्वाह में बढ़ोतरी और एक नौकरी प्रति परिवार की घोषणा की गई है। सहकारिता ऋण के वसूली के लिये किसानों और मजदूरों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
- जनजातीय इलाकों मे पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किन्नौर के छह गांवों में आधुनिक सुविधायुक्त शौचालय वाले टेंट और एक खुला रसोईघर उपलब्ध कराया जाएगा।
- उत्तरांचल सरकार द्वारा चिकित्सकीय और कृषि-खाद्य निर्यात जोन और राज्य में अपनी ड्राई-पोर्ट सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।
- संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 2417.12 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। ❑

सहिष्णु बनिये

○ जियाउर रहमान जाफरी

मंथन

सहिष्णुता या सहनशीलता एक दुर्लभ मानवीय गुण है, जो मनुष्य को संतों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। इस पृथ्वी पर जितने भी महापुरुष हुए, सभी ने सहिष्णुता की सीख दी, मुहब्बत का पैग़ाम दिया और संवेदनशीलता के पाठ पढ़ाए। कहा भी गया है कि कटु वचन मत बोलो और किसी का दिल तोड़कर काबा न बनाओ। दूसरों के दुख को अपना दुख समझो और यदि नहीं समझते तो ईश्वर भी कोई जरूरी नहीं तुम्हारी पीड़ा, को दूर करने का प्रयत्न करें। आए दिन हम कितनी गलतियां करते हैं। जाने-अनजाने हमसे अपराध हो जाता है, लेकिन ईश्वर उसे क्षमा करते हैं, किंतु हम अपेक्षाकृत अत्यंत तुच्छ होने के बावजूद छोटी-सी बात पर बदला लेने के लिये उतारू हो जाते हैं। याद रखिए, अगर आप में सहनशीलता नहीं है तो आप शैतान के कब्जे में हैं। शैतान आग का बना है, और मनुष्य मिट्टी का। मिट्टी का स्वभाव है ठंडक प्रदान करना। आग की प्रवृत्ति है दाह उत्पन्न करना। आप यदि स्वभाव से ठंडे नहीं हैं, आपकी वाणी मृदुल नहीं है, आप में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो आप हिंसक पशु तुल्य विवेकहीन प्राणी हैं। इतिहास साक्षी है कि कोई भी सम्राट चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो; विवेक खोकर आधिपत्य नहीं जमा सका। एक कहावत भी है- यदि तुम अपना विवेक खो देते हो तो सब कुछ खो देते हो। दूसरे के अपराध को क्षमा करना, किसी के कटु वचन को सह जाना, क्रोध का उत्तर प्रेम से देना - यह कायरों के नहीं बहादुरों के लक्षण हैं। भगवान श्रीकृष्ण शिशुपाल द्वारा सौ बार अपशब्द कहने के बाद भी उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन बुद्धिभ्रष्ट शिशुपाल को तब भी सुधि नहीं आती तो कृष्ण को चक्र उठाना ही पड़ता है। प्रभु ईसा मसीह को विरोधियों ने सलीब पर टांग दिया लेकिन वह कहते रहे, इन्हें माफ करना प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हजरत मोहम्मद दुश्मनों के द्वारा पत्थर चलाए जाने पर भी उनके ख़ैर के लिये दुआएं मांगते रहें। एक कहावत भी है कि फलों से लदा हुआ वृक्ष नीचे की ओर झुकता है जबकि ये ठूंठ सा खड़ा वृक्ष सीधा खड़ा स्वत: इतराता है। क्या शक्ति या सामर्थ्य में यह सब किसी से कम थे? बलवान होते हुए भी क्षमा कर देना उनका आदर्श गुण था। इस संदर्भ में हमें डा. एस. राधाकृष्णन की यह उक्ति हृदयंगम कर लेनी चाहिए कि मानव का दानव बन जाना उसकी पराजय है। मानव का महामानव होना एक चमत्कार है, किंतु मानव का मानव होना उसकी विजय है। कहा भी गया है- क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। विदर्भ का राजा सुदेव का पुत्र श्वेत महान तपस्वी तो था, किंतु अपना उत्तम तप करते हुए उसने सिर्फ शरीर का पोषण किया था। इसलिये मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलोक में जाकर भी उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। कहने का अर्थ मनुष्य का जीवन सिर्फ इसलिये नहीं है कि वह अपना पेट पाले। वह समाज का भी एक अंग है। पवित्र ग्रंथ *इंजील* में कहा गया है कि यदि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते, जिसको तुम नित्य देखते हो तो उस परम पिता से क्योंकर प्रेम कर सकोगे जिसको तुमने कभी नहीं देखा।

बहुत से लोग सहनशीलता को कायरता का पर्याय मानते हैं। वह भूल जाते हैं कि सहिष्णुता वीर पुरुषों की थाती है और कायरता कमजोरों की पूंजी है। हां, जब शक्ति ही एकमात्र विकल्प रह जाता है, तब सहिष्णुता भी कायरता की श्रेणी में आ जाती है। समय पर प्रेम, समय पर क्रोध, यही वीर पुरुषों के लक्षण हैं। राम चाहते हैं कि रावण सीता को मुक्त कर दें। वह विनम्रतापूर्वक अपने दूत को भेजते हैं, किंतु अड़ियल रावण जब नहीं मानता तब युद्ध राम का धर्म बन जाता है। *महाभारत* में भगवान कृष्ण भी ऐसे समय में अर्जुन को मोह त्यागकर धर्मयुद्ध करने का उपदेश देते हैं।

सहिष्णुता एक दैवी गुण है, इसलिये विश्व के सभी धर्मों ने अपने-अपने अनुयायियों को सर्वप्रथम सहिष्णु बनने की सीख दी। महात्मा बुद्ध अहिंसा के पक्षधर बने। उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात जीवनपर्यंत अहिंसा परमोधर्म: के सिद्धांत का प्रचार-प्रसार किया। उनका मत था कि किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यही सबक हिंदू, जैन और इस्लाम धर्म ने भी दी।

हम कह सकते हैं कि क्रोध उस अग्नि के समान है, जो सबसे पहले हमें ही भस्म करता है। उससे अपना ही अहित होता है। इसलिये प्रसिद्ध निबंधकार डेनियल का कथन है कि क्रोध से अधिक विश्व की कोई वस्तु मानव को कुरूप नहीं बनाती। पुराण में बतलाया

(शेष पृष्ठ 52 पर)

ग़रीबों का सेब है अमरूद

❍ श्रीनाथ सहाय

फलों के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। चीन का स्थान प्रथम है। हमारे देश में लगभग पचास लाख टन फल पैदा होते हैं।

भारत में पैदा होने वाले फलों में अमरूद एक प्रमुख फल है। कहते हैं, अमरूद मूल रूप से भारतीय फल नहीं है। विद्यासागर विश्वविद्यालय की मोनांजलि वंदोपाध्याय तथा कल्याण चक्रवर्ती के अनुसार, जिन्होंने 'ग्वावा लोर' विषय पर अध्ययन किया है, पुर्तगाली जब भारत आए, तो लगभग सत्रहवीं शताब्दी में वे इस फल को यहां लाए। सर्वप्रथम यह बंगाल में पहुंचा, और इसका उपभोग प्रारंभ हुआ। दिनोंदिन इसकी खेती में लोगों की रुचि में वृद्धि हुई। सन् 1997 में पश्चिम बंगाल के लगभग 5,000 हेक्टेयर भूमि पर इस फल का 61,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता था। आज यह उत्पादन बढ़कर 9,000 हेक्टेयर भूमि पर 1,33,000 मीट्रिक टन हो गया है।

पोषक तत्व

अमरूद में पोषक तत्वों की बहुतायत है। इसमें विटामिन-सी की प्रचुर मात्रा होती है- संतरे से भी कहीं दो से पांच गुणा अधिक। विटामिन-सी के अतिरिक्त, इसमें कैल्सियम, फास्फोरस तथा लोहा भी विद्यमान होता है। लाल रंग के अमरूद में लाइकोपीन होता है, जो एंटीऑक्सिडेंट है। साथ ही, इसमें फाइवर भी पाया जाता है। इतने अधिक पोषक तत्व, एक साथ, इस फल में विद्यमान होने के कारण, यह फल एक विशिष्ट 'न्यूट्रास्यूटिकल' श्रेणी में आता है; अर्थात एक ऐसा भोज्य पदार्थ, जिसकी थोड़ी मात्रा में उपयोग करने से ही, हृदय, यकृत, कैंसर तथा एजिंग जैसे रोगों से बचाव में सहायता मिले। पेट-दर्द, पेट के कीड़े मारने, पतले दस्त, पेचिश तथा कोलाइटिस जैसे रोगों में भी यह फल लाभकारी है। साथ ही, कोलेस्ट्राल, ट्राइग्लीसेराइड्स तथा ब्लडप्रेशर को कम करने एवं गुड कोलेस्ट्राल के लिये भी यह सहायक है।

नयी प्रजाति

इधर अमरूद की दो नयी विशेष प्रजातियां विकसित की गई हैं (1) श्वेता; (2) ललित। 'श्वेता' नामक प्रजाति को विकसित करने में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (सीआई एसएच संस्थान) के वैज्ञानिकों को दस वर्ष परिश्रम करना पड़ा है। इस प्रजाति को इलाहाबाद में पैदा होने वाले 'सफेदा' के संकर से तैयार किया गया है। इस नये फल में बीज की मात्रा कम हो गई है, साथ ही ये बीज नर्म व मुलायम भी हो गए हैं। इसमें गूदे की मात्रा भी अपेक्षाकृत बढ़ गई है और उत्पादन की दृष्टि से भी इस फल में उत्पादन-क्षमता 25 प्रतिशत अधिक है। इसकी गुणवत्ता की जांच हो चुकी है और शीघ्र यह प्रजाति नर्सरी किसानों के लिये उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी प्रजाति 'ललित' को, इलाहाबादी 'सुर्खा' की छह

प्रजातियों का अध्ययन करके विकसित किया गया है। किसानों के लिये यह उपलब्ध है।

केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में अमरूद का 'राष्ट्रीय जीन बैंक' स्थापित है, जहां देश की प्रजातियों के साथ-साथ, विदेशी प्रजातियों के 'जर्म प्लाज़्म' संरक्षित हैं। यहां इलाहाबादी 'सुर्खा' की 631 प्रजातियों के अतिरिक्त, हिसार सुरेख, चित्तीदार नासिक, बेहात कोकोनट, पोर्टरिको तथा हांगकांग व्हाइट जैसी प्रजातियां भी सुरक्षित हैं।

इनके अतिरिक्त यहां देश के विभिन्न राज्यों की अनेक प्रजातियां भी संरक्षित हैं। जैसे - उत्तर प्रदेश की इलाहाबादी सफेदा, सुर्खा, बनारसी, मिर्जापुरी प्रजातियां; बिहार की हरीजा; महाराष्ट्र की धरवार, ढोलका; गुजरात की नासिक, सिंधी, असम की मधुरियम तथा आंध्र प्रदेश की अनकपली, हफसी आदि।

रोग प्रबंधन

अमरूद के उत्पादन में वृद्धि के लिये आवश्यक है, इस फल पर लगने वाले रोग पर नियंत्रण किया जाए। इस फल को फल-मक्खियों, छाल खाने वाले कीट तथा स्केल कीट से सर्वाधिक हानि होती है। उकठा रोग से भी इसे बहुत नुकसान पहुंचता है। किंतु कीटनाशक का प्रयोग इस दिशा में स्वास्थ्य के हित में नहीं है।

शोध द्वारा रोगों के अधिकांश कारकों की पहचान कर ली गई है। उन्हें ढूंढ़ निकाला गया है। अन्य फसलों की भांति अमरूद की फसल भी एक स्थायी इकोसिस्टम प्रदान करती है। वैज्ञानिकों का मत है कि जैविक नियंत्रण भारत में अमरूद के कीटों पर अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है। यह 'समेकित नाशीजीव प्रबंधन' का एक उपयोगी भाग है, जिसमें कीटनाशी रसायनों का न्यूनतम प्रयोग होता है और यांत्रिक ट्रेप, सश्य क्रियाएं जैसी अन्य विधियों पर अधिक बल दिया जाता है। देखा गया है कि "कीट के मिथाइल यूजीनाल एवं यौन गंध ट्रेप द्वारा नाशी फल-मक्खी पर नियंत्रण एक अत्यंत प्रभावी तरीका है।"

उपयोग

एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ होने के अतिरिक्त, देश में अमरूद का उपयोग विभिन्न अवसरों पर, भिन्न-भिन्न रूप में भी किया जाता है। यह फल भारतीय जीवन में पूर्णतया रच-बस गया है और हमारी लोक-संस्कृति का एक अंग बन गया है। पूजा-पाठ, शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में नैवेद्य के रूप में इसका बहुतायत प्रयोग किया जाता है। कहते हैं, बंगाल में, जून माह में 'जमाई-षष्टी' पूजा होती है और इस अवसर पर जमाई (दामाद) को अमरूद खिलाया जाता है। अगस्त माह में यहां 'मनसा पूजा' (सर्प पूजा) होती है, जिसमें अमरूद का प्रसाद चढ़ाया जाता है। 'छठ पूजा' (सूर्य पूजा, जो बिहार में अत्यधिक प्रचलित है) में अमरूद अर्पित किया जाता है। किसान अपनी अच्छी, उत्तम पैदावार हेतु 'भादु-व्रत' में अमरूद खाना शुभ मानते हैं।

सर्वाधिक रुचिकर धारणा तो यह है कि बंगाल के ग्रामीण समाज में विवाह के पूर्व दूल्हे की शादी अमरूद के पेड़ से की जाती है, इस आस्था विश्वास के साथ कि नववधु का जीवन भी अमरूद जैसा फले-फूलेगा। वर उस वृक्ष को, जिससे उसका विवाह किया गया है, अपनी पत्नी मानकर जीवनपर्यंत उसकी रक्षा करता है। इस आस्था के तहत एक वृक्ष का संरक्षण भी होता है।

देश की जनजातियां, जैसे झारखंड प्रदेश की ओरांव, संथाल आदि में भी अनेक रोगों के इलाज हेतु अमरूद की जड़, छाल, पत्ती, इसके पके और कच्चे फल तथा बीज का बहुतायत से उपयोग किया जाता है।

विदेशों में इस फल का भिन्न-भिन्न रूप में उपयोग किया जा रहा है। मैक्सिको में अमरूद से स्वादिष्ट क्रीम, चीज़ तथा अनेक पेय तैयार किए जाते हैं। किंतु भारत सहित एशियाई देशों ने इस फल का पर्याप्त व्यवसायीकरण नहीं किया है, और न इसके निर्यात में आवश्यक रुचि ली है। यदि भारत में अमरूद का पाउडर रूपी न्यूट्रास्यूटिकल तैयार किया जाए तो विदेशों में इसकी अत्यधिक मांग होगी।

आज के भूमंडलीकरण के युग में देसी बाजार पर विदेशी कब्जे की होड़ लगी है। इस विदेशी एकाधिकार से बचने के लिये अन्य उत्पादों की भांति भारतीय फल विक्रेताओं व किसानों को भी बाजार में अपने पैर जमाए रखने हेतु उत्पाद की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर विकास करना होगा। वैज्ञानिक गौतम कल्लू के अनुसार 'इंटर फंक्शनल जिनोमिक्स' द्वारा इस गुणवत्ता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। गुणवत्ता में वृद्धि करके ही, आयातित फलों का देश के बाजार पर आधिपत्य होने से रोका जा सकता है। दूसरी आवश्यकता है, भारतीय फलों की लागत मूल्य में कमी करने की। इस दिशा में अमरूद के विपणन एवं व्यापार नीतियों को विशेष क्रियाशील एवं प्रभावी बनाने की जरूरत है। फलों के उत्पादन में सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं है। पर संरक्षण से कहीं अधिक प्रभावी कदम होगा इस क्षेत्र में सहभागिता की स्थापना, जिसके द्वारा फलों के उत्पादन तथा इनकी गुणवत्ता, दोनों ही क्षेत्रों की वृद्धि व विकास में सहायता मिलेगी।

एक अन्य विचारणीय प्रश्न है, भारत का फलों के उत्पादन में अग्रणी देश होने के बावजूद, यहां की अधिकांश जनता फलों से वंचित रहती है क्योंकि सौ करोड़ की जनसंख्या के लिये पैदावार पर्याप्त नहीं पड़ती। यहां के गरीब लोगों को, विशेषकर उनके बच्चों को, 'गरीबों के फल' कहे जाने वाले केले, अमरूद, बेर जैसे फल भी नसीब नहीं होते। किसान अपनी लागत की पूर्ति हेतु, तुरंत मुद्रा प्राप्ति के लिये, अपने उत्पाद शहर की मंडियों में बेच देते हैं; जिसे धनी वर्ग क्रय कर उपयोग करता है। पैदावार की मात्रा में यथेष्ट वृद्धि एवं उत्पाद के लागत मूल्य में यथोचित कमी में ही इस समस्या का समाधान निहित है। ❑

(लेखक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं)

साहित्य की सामाजिकता

❍ कृष्ण कुमार

कृति : साहित्य की सामाजिकता; लेखक : मिथिलेश्वर; **प्रकाशक :** शिल्पायन, 10295, लेन नं. 1, बेस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032 पृष्ठ : 184; मूल्य : 200/- रुपये;

मिथिलेश्वर हमारे बीच एक ऐसे कथाकार हैं जो सत्तर के दशक से निरंतर सृजनरत हैं। अपनी पीढ़ी के वह पहले लेखक हैं जिन्होंने संख्या और गुण दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय कार्य किया है। पिछले दिनों प्रकाशित *यह अंत नहीं* और *सुरंग में सुबह* नामक उनके दो उपन्यास व्यापक चर्चा में रहे। इस बीच उन्होंने साहित्य की गंभीर पत्रिका *मित्र* का संपादन-प्रकाशन भी शुरू किया है।

मिथिलेश्वर का संपूर्ण रचना कर्म सामाजिक यथार्थ की ही अभिव्यक्ति है। नर-नारी के गोपन पक्ष के रोमांस में पाठकों को भरमाने की अपेक्षा समाज के प्रति उन्हें सजग-सचेत बनाना मिथिलेश्वर के लेखन का अभीष्ट जान पड़ता है। उनका साहित्य पढ़ते हुए उनकी समाज सापेक्ष दृष्टि का स्पष्ट इजहार होता है।

मिथिलेश्वर मुख्यत: कथाकार हैं। उन्होंने कहानियों और उपन्यासों की ही रचना की है। लेकिन समाज-सापेक्ष साहित्य की जरूरतों के तहत प्रेमचंद की भांति वह समय-समय पर चिंतनपरक लेख भी लिखते रहे हैं। इस संदर्भ में लेखों की उनकी पहली किताब *साहित्य की सामाजिकता* आई है। यह किताब दो खंडों में विभक्त है। पहले खंड में साहित्य और समाज के विभिन्न मुद्दों पर विचारपरक लेख हैं तथा दूसरे खंड में सृजन-प्रक्रिया के तहत लेखकीय अनुभव के लेख हैं।

पहले खंड के प्राय: सभी लेख हमारे समय और समाज के सवालों पर केंद्रित हैं, जिनमें हिंदी समाज से साहित्य के दूर पड़ते जाने के कारणों का विवेचन है। 'साहित्य, समाज और राजनीति' के परिप्रेक्ष्य के महत्व का जोरदार रेखांकन है। मिथिलेश्वर का कहना है कि "वर्तमान समय की संवेदनहीनता से सिर्फ साहित्य ही हमें बचा सकता है। मनुष्य को पुन: संवेदनशील बनाते हुए उसकी खोती संस्कृति और अस्मिता के प्रति सचेत इसे बनाने का कार्य साहित्य ही कर सकता है। इसलिये साहित्य की प्रासंगिकता अब और बढ़ गई है" (पृष्ठ 63)।

इस खंड में 'घटती पाठकीयता' की वजहों की पड़ताल भी की गई है। यहां पुरस्कारों के औचित्य और विश्वसनीयता का बेबाक विश्लेषण किया गया है और इक्कीसवीं सदी में साहित्य के विकास का मार्ग अन्वेषित किया गया है। पत्रकारिता के संकटों को चिह्नित करने के साथ-साथ पहले खंड में जनता और राजनीति के अंतर्संबंधों का विवेचन भी किया गया है तथा वर्णवाद के कसते शिकंजे के तहत जातीयता की बढ़त को मानवीयता के विकास में अवरोध माना गया है। मिथिलेश्वर कहते हैं - "यह तथ्य गौरतलब है कि राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिये वर्णवाद की अभूतपूर्व सफलता ने अधिकांश सत्ताकामियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। इस संबंध में यह आश्चर्य जैसा लगता है कि वर्ग की बात करने वाले भी वर्णवाद को समर्थन देने लगे हैं। कुर्सी की साझीदारी ने उन्हें यह मानने पर विवश कर दिया है कि कुछ जातियां दुखी, पीड़ित और शोषित-उपेक्षित रही हैं। यहां यह प्रश्न उठता है कि तब उस वक्त वे क्या कर रहे थे? वर्ण की राजनीति के तहत किसी वर्ण पर उनका ध्यान जाना क्या उन्हें कठघरे में खड़ा नहीं करता? क्या वे नहीं जानते कि दुख-पीड़ा और शोषण-उपेक्षा किसी वर्ण या जाति के पर्याय नहीं होते" (पृष्ठ 89)।

साहित्य को समाज से दूर रखने वाले बाहरी अवरोधों की शिनाख्त करते हुए मिथिलेश्वर उसकी आंतरिक स्थिति पर भी प्रकाश डालते हैं - "बाजार के लिये यह तथ्य सर्वमान्य होता है कि आपसी प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता में ही उसका विकास निहित होता है। इस बिंदु पर साहित्य ने शायद बाजार को समझने में भूल की है, इसीलिये प्रतिस्पर्धा एवं प्रतिद्वंद्विता के नाम पर एक-दूसरे के प्रति कुत्सित आरोपों की सारी सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया है। यहां अब अपनी रचनात्मकता को बड़ी लकीर बना कर पूर्व की लकीर को छोटी कर देने की श्लाघनीय प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश नहीं रही है। अब तो भद्दे गाली-गलौज और घृणित

आरोप-प्रत्यारोप से ही एक-दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है" (पृष्ठ 57)।

इस पुस्तक का दूसरा खंड रचना-प्रक्रिया के अन्वेषण का अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है। कोई सर्जक प्रतिभा कैसे रचनात्मकता ग्रहण करती है और उसे कैसे रचती है, इसका विश्लेषण सचमुच रोचक और जिज्ञासामूलक है। इस खंड में मिथिलेश्वर अपनी 'पहली रचना' का उत्स बताते हुए उसकी रचना-प्रक्रिया पर एक जिम्मेदार लेखक की पहलकदमी का खुलासा करते हैं। 'युद्ध बनते गांव और डायन होती औरत' शीर्षक के तहत अपने उपन्यास *युद्ध स्थल* की रचना प्रक्रिया पर वह प्रकाश डालते हैं। 'अकथ कहानी प्रेम की' शीर्षक के अंतर्गत वह अपने उपन्यास *प्रेम न बाड़ी ऊपजै* की रचना-प्रक्रिया बताते हैं। वह 'लेखकीय प्रतिबद्धता और सृजन की सार्थकता' का अपना पक्ष रखते हुए सृजन-संसार की लेखकीय दुनिया से पाठकों का साक्षात्कार कराते हैं। 'सृजन के सुख-दुख' का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं और *यह अंत नहीं* उपन्यास की रचना प्रक्रिया को 'अंतहीन समस्याओं से मानवीय संघर्ष की रचना-यात्रा' कहते हैं। वह 'हिंदी कथा-साहित्य : रचना प्रक्रिया में व्यवस्था के विद्रूप' का विश्लेषण करते हैं तथा 'उपन्यास लेखन की रचना प्रक्रिया से उपजे सवालों' को सामने लाते हैं।

विदित है कि मिथिलेश्वर एक प्रतिबद्ध कथाकार हैं इसीलिये अपनी समाज-सापेक्ष रचना-प्रक्रिया के तहत अपनी प्रतिबद्धता को भी उजागर करते हैं - "प्रतिबद्धता लेखक के भीतर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं। प्रतिबद्धता लेखक की जीवन दृष्टि हो; प्रतिबद्धता लेखक की आचार-संहिता हो; सत् और असत् के बीच लेखकीय निर्णय का मार्गदर्शक हो। वह गहन मानवीय संवेदनाओं का परिचालन स्रोत हो और हंस का नीर-क्षीर विवेक हो, जीवन और जगत के व्यापक तथा विस्तृत फलक पर रचनागत चुनाव का सर्वोत्तम निमित्त हो" (रचना प्रक्रिया खंड : पृष्ठ 135)।

अपनी रचना-प्रक्रिया को उद्घाटित करते हुए मिथिलेश्वर कहते हैं- "कथा-सृजन के लिये कब, कहां और कैसे कोई विषय प्राप्त हो जाता है, यह बेहद संयोग भरा होता है। यह सोचकर कि मुझे अमुक विषय पर लिखना है, मैं जब भी बैठा हूं उस विषय में उलझता गया हूं तथा वह लेखन शुष्क और बोझिल होता चला गया है। लेकिन इसके विपरीत जीवन के दैनिक क्रिया-कलापों एवं सामाजिक संबंधों-सरोकारों के बीच से अचानक कोई विषय इस तरह मुझे अनुभव संपन्न कर देता है और लिखने की ऐसी प्रेरणा और ताज़गी भर देता है कि कागज-कलम हाथ में लेते ही छूटती बंदूक की तरह उसके सृजन का प्रवाह चल निकलता है" (रचना प्रक्रिया खंड : पृष्ठ 159)।

निष्कर्षत: हम पाते हैं कि हमारे समय की यह एक ऐसी पठनीय पुस्तक है जो रचना और विचार के विविध पक्षों का उद्घाटन करते हुए साहित्य और समाज की चिंताओं से हमें रू-ब-रू करती हैं। निस्संदेह यह एक उल्लेखनीय कृति है। ❑

(पृष्ठ 48 से आगे)

गया है कि वह मनुष्य जिसमें क्रोध है, जिसका हृदय निर्मल नहीं है और जो प्राणियों पर अपनी आत्मा के समान अनुभव नहीं करता, उसे तीर्थ करने से कोई लाभ नहीं मिलता। पवित्र ग्रंथ न *हदीस* में रमज़ान के संबंध में कहा गया है कि यदि तुम झूठ बोलते हो, दूसरों को सताते हो, हराम की कमाई खाते हो, पड़ोसी का हक़ अदा नहीं करते, तो अल्लाह को इसकी कोई जरूरत नहीं कि तुम रोज़ा रखकर भूखे-प्यासे रहो।

हम अपने दैनंदिन जीवनचर्या में भी देखते हैं कि जो लोग दूसरे के कटु वचनों को सुनकर भी हमेशा मधुर बोलते हैं, लोग उनके स्वभाव की तारीफ़ करते नहीं थकते। ऐसे उदारवादी संतों को इतिहास अपने पृष्ठों पर सदा के लिये अंकित कर लेता है। जो व्यक्ति जितना महान होता है उसकी सहनशीलता भी उतनी ही अधिक होती है। भगवान राम तीन दिन तक सिंधु नदी से पथ मांगते रहे। सुकरात को व्यक्ति गाली देता रहा और वह सुन-सुनकर मुस्कारते रहे। हमें यह बात आत्मसात कर लेनी चाहिए कि विद्या का गुण है विजय प्रदान करना, और दंभ विद्या को वंध्या या पुंश्ल बना देता है। शास्त्रों का कथन है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, किंतु अप्रिय बात सत्य होने पर भी न बोलो।

लोक व्यवहार में भी जो लोग झुककर चलते हैं उन पर सब की कृपा होती है, किंतु उदंड, अहंकारी, दंभी और कटुवचन बोलने वाले व्यक्ति की कोई कैफ़ियत तलब करने नहीं जाता। पवित्र धर्मग्रंथ *कुरान* की सूक्ति है - तुम मेरी धरती पर अकड़ कर मत चलो। इसलिये संत लोग अकड़ कर चलने की बजाय झुक कर चलने की शिक्षा देते हैं:

नर की अरू नल नीर की गति एकै कर जोय
जेतौ नीचै हवै चलै तेतौ ऊंचो होय

कदाचित यही कारण है कि सूफी संत दूसरों की छोड़ स्वयं को ही अज्ञानी, पापी, अल्पज्ञ, दुष्ट सब कुछ कह डालते हैं।

चाणक्य नीति है कि दुर्जन और सांप इन दोनों में सांप अच्छा है, क्योंकि सांप काल आने पर डसता है, किंतु दुर्जन तो पग-पग पर कष्टदायक होता है।

अस्तु! हम कह सकते हैं कि सहिष्णुता मनुष्य का एक ऐसा दैविक गुण है, जो शत्रु को भी मित्र और क्रोधी को भी सहिष्णु बना देता है। यह व्यक्ति की महानता, बड़प्पन, सहिष्णुता और विवेकशीलता का परिचायक है। जिस समाज और राज्य में इसका अभाव हो जाता है, वह अधोगति का कारण बनता है, क्योंकि हिंसा से भरा हुआ राज्य जल्दी ही अपना अस्तित्व और अपनी पहचान खो देता है। ❑

The RAU'S IAS experience...

...incisive, intensive & innovative.

It translates learning into winning performance.

THE VISION

Rau's IAS Study Circle was established as a top ranking institute nearly 50 years ago, solely with the aim of helping serious students achieve success in Civil Services Exam by providing the highest quality coaching. The method, content & teaching standards established by the Study Circle have become synonymous with success in the minds of civil service students.

Be Sure, we have no branches or associates any where in India. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of centres across India, but it can never be equalled.

THE PERFORMANCE

Our 2004 Exam Results: Seven positions secured by our students in first 20 and 41 in first 100 with overall 181 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS, PCS & Judicial Services Coaching.

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs.50/- favouring Rau's IAS Study Circle.

THE PROGRAMMES

Civil Services/PCS Exam - 2006/07

- Personal Guidance (English Medium) is available for - General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.
- पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) - सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भूगोल में उपलब्ध।
- Postal Guidance in English Medium available for - General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.
- पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) - केवल सामान्य अध्ययन एवं भारतीय इतिहास में उपलब्ध।
- Hostel facility arranged.

New batches for 2006/07 Exam, start from 2nd June, 2006

RAU'S IAS
STUDY CIRCLE

309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001. Phone : 23318135-36, 23738906-07, 55391202, 39448880-81, Fax: 23317153,
Visit : www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

YE-3/6/03

प्रकाशक व मुद्रक उमाकांत मिश्र, निदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स (प्रा.) लिमिटेड, डब्ल्यू-30, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कांप्लेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। प्रधान संपादक : अनुराग मिश्रा

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2006-08 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस–प्राप्त
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2006-08 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi.
पंजी सं. 951/57
R.N. 951/57

केवल **एक पुस्तक** के माध्यम से
धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना व लिखना सीखिए
विश्वास के साथ
अब और आसान

प्रतिदिन
आधा घंटा दें
और
फर्राटे से
अंग्रेजी
बोलें व लिखें

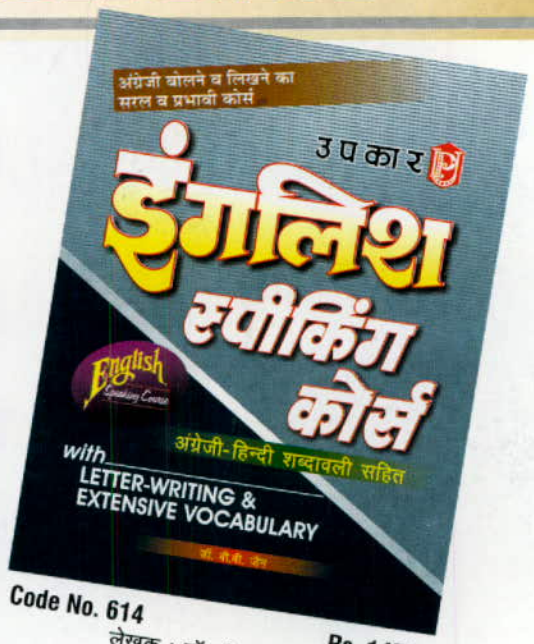

Code No. 614
लेखक : डॉ. बी. बी. जैन
Rs. 145/-

यह पुस्तक :

- वाक्यों को रटना नहीं सिखाती वरन् शुद्ध अंग्रेजी बोलने व लिखने के संक्षिप्त नियम भी बताती है
- विस्तृत अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश (शुद्ध उच्चारण के साथ)
- व्यक्तिगत, सरकारी, पारिवारिक, व्यावसायिक पत्रों को लिखने के नमूने
- विशिष्ट वाक्यों एवं वार्तालाप के उत्कृष्ट नमूने
- साक्षात्कार बोर्ड के सामने उत्तर-प्रत्युत्तर देने की क्षमता बढ़ाएं

अब पुस्तक खरीदने का फैसला आपका

CUT HERE

पुस्तक मंगाने के लिए कूपन — CODE NO. 614

नाम.....
पता.....
.....
.....पिन ☐☐☐☐☐☐

145/- रु. का मनीआर्डर/बैंक ड्राफ्ट भेजने पर ही पुस्तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जायेगी जिसमें रजिस्टर्ड डाक खर्च फ्री रहेगा।

उपकार प्रकाशन 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा & 2 फोन : 2531101, 2530966, 2602653; फैक्स : (0562) 2531940
• E-mail : upkar1@sancharnet.in • website : www.upkarprakashan.com
ब्रॉंच आफिस : 4840/24, गोविन्द लेन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-2 फोन : 23251844, 23251866

YH-4/6/01